(मात्र कार्यालय उपयोगार्थ)



बिहार सरकार जल संसाधन विभाग

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम – 11, 1998)

विषय सूची

	क्रमांक	अध्याय	विषय - विवरण	पृष्ठ २ हिन्दी
	1	अध्याय - I	प्रारंभिकी (धारा 1-2)	1
-	2	अध्याय - II	अधिकार (धारा 3-5)	10
	3	अध्याय – III	पदाधिकारियों की शक्ति (धारा 6-11)	12
	4	अध्याय - IV	सिंचाई (धारा 12)	15
	5	अध्याय - V	जल निकास एवं जल जमाव की रोकथाम (धारा 13-17)	17
•	6	अध्याय - VI	तटबंध संकर्म (धारा 18-21)	19
	7	अध्याय - VII	निजी सिंचाई संकर्म (धारा 22-26)	22 .
	8	अध्याय - VIII	नौ परिवहन संकर्म (धारा 27-30)	25
•	9	अध्याय - IX	ग्राम जल-सरणी (धारा 31-48)	27

10	अध्याय - X	जलापूर्त्ति (धारा 49-61)	39
11	अध्याय - XI	जल–दर और कर (धारा 62–75)	52
12	अध्याय - XII	सुधार-अंशदान का उद्ग्रहण (धारा 76-81)	58
13	अध्याय - XIII	अपराध और शास्तियां (धारा 82-89)	63
14	अध्याय – XIV	आपात स्थिति में सिंचाई संकर्म के लिये श्रमिक एंव सामग्री प्राप्त करना (धारा 91-94)	69
15	अध्याय - XV	सिंचाई संकर्म की सुरक्षा (धारा 95-103)	71
16	अध्याय - XVI	अधिकारिता (धारा 104-106)	75
17	अध्याय - XVII	प्रकीर्ण (धारा 107-116)	77

•

[बिहार अधिनियम - 11, 1998 1

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997

सिंचाई, तटबंध, जल निकास, जल की दर का निर्धारण एवं उद्ग्रहण, सुधार-अंशदान से संबंधित विधि को समेकित करने तथा तत्संबद्ध विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। भारत-गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित

रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - ।

प्रारंभिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

(1) यह अधिनियम बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत लागू होगा।

2. परिभाषाएं -

इस अधिनियम में जबतक विषय या संदर्भ में कुछ विरूद्ध न हो-

- (क) ''सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र'' से अभिप्रेत है धारा 50 कं अधीन एक सुनिश्चित सिंचाई योग्य क्षेत्र घोषित किया जानेवाला क्षेत्र;
- (ख) ''हिताधिकारी'' से अभिप्रेत है-
 - (i) किसी सिंचाई सरणी के संबंध में वह व्यक्ति, जिसकी भूमि राज्य सरकार के किसी सिंचाई संकर्म द्वारा सिंचित होती हो या सिंचित होने योग्य हो;

- (ii) किसी बाढ़ तटबंध संकर्म के संबंध में वह व्यक्ति जिसकी भूमि
 ऐसे तटबंध से संरक्षित हो या संरक्षित होने वाली हो;
- (iii) किसी जल-निकास संकर्म के संबंध में वह व्यक्ति जिसकी भूमि
 ऐसे जल निकास संकर्म से लाभान्वित हो या होनेवाली हो;
- (ग) ''सुधार-अंशदान'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अध्याय XII के अधीन उद्गृहीत अंशदान;
- (घ) ''सुधार उदग्रहण पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार किसी सिंचाई संकर्म के क्षेत्र या किसी सिंचाई संकर्म के भाग के संबंध में सुधार उदग्रहण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करे;
- (ड.) ''प्रखंड'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, 1993 का 19) को धारा 2 के अधीन उस रूप में परिभाषित क्षेत्र;
- (च) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, 1993 का 19) की धारा 2 के अधीन उस रूप में नियुक्त पदाधिकारी;
- (छ) ''नहर राजस्व'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है जल की दर, सुधार-अंशदान, जल उपकर, मछली पकड़ने और नौचालन हेतु अनुज्ञापित शुल्क, सिंचाई संकर्म की भूमि पर उत्पन्न होनेवाली घास, वृक्षों और अन्य उपज की बिक्री, सिंचाई संकर्म की भूमि के पट्टा से और पनचक्कियों से आगम;
- (ज) ''समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत है किसी जिले का प्रधान राजस्व पदाधिकारी और इसमें शामिल है कोई उपायुक्त या समाहर्त्ता के किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी;
- (झ) ''कृषि योग्य कमान क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वैसी सभी भूमि जो किसी सिंचाई संकर्म के सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र के अधीन खेती करने के लिए उपयुक्त हो;

- (त्र) ''नहर'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है -
 - (i) ''मुख्य नहर'' जो किसी सिंचाई संकर्म से निकलता है और सामान्यत: जिससे खेतों की सीधी सिंचाई नहीं होती है;
 - (ii) ''शाखा नहर'' जो मुख्य नहर से निकलती है और वितरिकाओं
 में जलापूर्ति करती है, शाखा नहर से भी मुख्य नहर की भांति खेतों की सीधी सिंचाई नहीं हो सकती है;
 - (iii) ''वितरिका/उपवितरिका'' जो मुख्य नहर या शाखा नहरों या किसी बड़ी वितरिका से सीधे निकलकर लघुवितरिका और जल सरणियों में जलापूर्ति करती है;
 - (iv) "लघु वितरिका" जो किसी वितरिका या उप-वितरिका से निकलकर अन्य लघु वितरिकाओं, जल-सरणियों और/या खेत की जल-सरणियों में जलापूर्त्ति करती है। विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों में लघु वितरिकाओं की क्षमता भिन्न-भिन्न हो सकती है;
 - (v) ''जल-सरणी'' जो किसी वितरिका या लघु वितरिका से निकलकर खोतों की जल-सरणी में जलापूर्ति करती है। विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों में इसकी क्षमता भिन्न-भिन्न हो सकती है;
 - (vi) ''निर्गम द्वार'' जो किसी सिंचाई संकर्म में निर्मित वह द्वार है जिससे होकर जल किसी खेत-सरणी में या सीधे खेतों में पहुंचाया जाता है;
- (ट) ''जल निकास संकर्म'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है -
 - बेकार या फालतू जल के निस्सरण हेतु प्राकृतिक या कृत्रिम जल सरणियों और ऐसी जल सरणी से संबद्ध या सहायक सभी संकर्म;
 - (ii) किसी सिंचाई संकर्म से नि:सृत निकास जल-सरिणी, बांध, बंधारा, तटबंध, बाढ़ सुरक्षा तटबंध, जल कपाट, पुलिनरोध और उससे संबद्ध अन्य संकर्म, किन्तु इसमें मल-जल के निस्सरण हेतु संकर्म शामिल नहीं हैं;

- (iii) किसी क्षेत्र के जल-निकास के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उद्धार या सुधार की गई किसी प्रणाली के संबंध में कोई संकर्म;
- (iv) सभी खेत-नाले, अर्थात् नाले, निकास, जल-सरणी और अन्य समान संकर्म, जो स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा अथवा स्वामियों या अधिभोगियों की ओर से और उनकी लागत पर राज्य सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित हो,
- (ठ) (i) "तटबंध" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है किसी भूमि से जल छोड़ने या उसमें जल रखे रहने के लिए निर्मित या व्यवहृत पुश्ता, बांध, दीवार और रालभिति (डाईक), प्रत्येक जलकपाट, ठोकर, पुलिनरोध, प्रशिक्षण-दीवार और ऐसे किसी तटबंध से उपाबद्ध या उसके अंश स्वरूप अन्य संकर्म;
 नदियों द्वारा या उसकी धारा-प्रवाह द्वारा या बाढ़ द्वारा होनेवाले कटाव या जलप्लावन से ऐसे किसी तटबंध या किसी भूमि के संरक्षणार्थ बनाया गया या खड़ा किया गया प्रत्येक पुश्ता, बांध, रालभिति (डाईक), दीवार, पुलिनरोध या ठोकर, तथा निरीक्षण के प्रयोजनार्थ आशयित सभी भवन और सड़कें;
 - (ii) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित लोक तटबंध;
- (ड) (i) "अभियंता" से अभिप्रेत है क्षेत्र में सिंचाई संकर्म का प्रभारी अभियंता या किसी कार्य के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अभियंता के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई अभियंता;
 - (ii) "मुख्य अभियंता" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग का मुख्य अभियंता, और इसमें शामिल है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुख्य अभियंता के रूप में अधिसूचना द्वारा सामान्यत: या ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी प्रस्तावित कार्य या संस्वीकृत कार्य के संबंध में नियुक्त कोई व्यक्ति और जो अपने अधीनस्थ सिंचाई संकर्म की शाखा के समुचित

एवं दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिये जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा तथा अपनी शाखा से संबंधित सभी मामलों में सरकार का सलाहकार भी होगा;

- (iii) ''अधीक्षण अभियंता'' से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक इकाई के किसी अंचल के प्रभारी अधीक्षण अभियंता के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी जो अपने अंचल के अन्तर्गत प्रशासन एवं विभाग के सिंचाई संकर्म प्रभारी पदाधिकारियों के सामान्य वृत्तिक नियंत्रण के लिए मुख्य अभियंता के प्रति जिम्मेवार होगा और इसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा सामान्यत: या ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी प्रस्तावित कार्य या संस्वीकृत कार्य के संबंध में अधीक्षण अभियंता के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी शामिल है;
- (iv) ''कार्यपालक अभियंता'' से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग की कार्यपालक ईकाई के किसी प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी जो अपने प्रमंडल में सभी संकर्मों के निष्पादन और प्रबंध के लिये अधीक्षण अभियंता के प्रति जिम्मेवार होगा और इसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा सामान्यत: या ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी प्रस्तावित या संस्वीकृत कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी शामिल है;
- (v) "प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी" से अभिप्रेत है एक कार्यपालक अभियंता, जो सिंचाई कार्य के किसी प्रमंडल या किसी सिंचाई कार्य के किसी भाग पर नियंत्रण रखता हो और इसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा सामान्यत: या ऐसी अधिसूचना में किसी प्रस्तावित कार्य या संस्वीकृत कार्य के संबंध में प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी शामिल है;

- (vi) "नहर पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है वैसा पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य के किसी अनुमंडल या सिंचाई कार्य के किसी भाग पर नियंत्रण रखता हो और इसमें ऐसा पदाधिकारी भी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन नहर पदाधिकारी का कोई कृत्य राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया गया हो:
- (ढ़) ''समुन्नत भूमि'' से अभिप्रेत है ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के अधीन किसी संकर्म के निष्पादन से पूर्व कृषि के लिए उपयुक्त थी, किन्तु जिसकी उत्पादन शक्ति ऐसे संकर्मो द्वारा बढा़ई गई हो;
- (ण) ''सिंचाई संकर्म'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है -
 - राज्य सरकार द्वारा जल की आपूर्ति या भंडारण हेतु निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित सभी जलाशय, टंकी, बांध, बराज, बंधारा (वीयर), नहर, जल सरणी, घरेलू जलापूर्ति संकर्म, पाईप, तालाब, श्रोत तालाब, श्रोत-जलसरणी, जल सेतु, जल-कपाट, पॉपिंग संस्थापन के द्वारा उद्वह सिंचाई;
 - (ii) सभी संकर्म, तटबंध, संरचनाएं, जल-निर्गम-मार्ग सहित निर्माण संरचनाएं, ऐसे जलाशयों से संबद्ध आपूर्ति और निकास जल-सरणी, टंकियों, बांध, बराज, बंधारा (वीयर), नहरें, जल-सरणियाँ, घरेलू जलापूर्ति संकर्म, पाईप, तालाब, श्रोत तालाब, श्रोत जल-सरणी, जल-सेतु, जल-कपाट, पंपिंग संस्थान और ऐसे संकर्मो के निर्माण या अनुरक्षण और प्रचालन को सुकर बनाने के लिए निर्मित सड़कें;
 - (iii) सभी जल-निकास संकर्म, बाढ़ सुरक्षा तटबंध, कुआं और ग्राम जल-सरणी;
 - (iv) किसी नदी, सरिता, झील या प्राकृतिक जल-संग्रह या प्राकृतिक जल-निकास और भूगर्भ जल का वैसा कोई भाग जिसपर राज्य सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किया हो; और

- (v) ऐसे जलाशयों, टंकियों, बांधों, बराजों, बंधारों (वीयरों), नहरों, जल-सरणियों, घरेलू जलापूर्त्ति संकर्मों, पाईपों, तालॉबों, श्रोत-तालाबों, श्रोत जल-सरणियों, जल-सेतुओं, जल-कपाटों, पंपिंग संस्थापनों के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा धारित सभी भूमि और ऐसी भूमि पर अवस्थित सभी भवन, मशीनरी, बाड़, द्वार और परिनिर्माण;
- (त) ''भूमि'' से अभिप्रेत है और इसमें भूमि हित, भूमि से उद्भूत लाभ और भू-बद्ध वस्तुएं अथवा भू-वद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं शामिल हैं;
- (थ) ''सिंचाई योग्य क्षेत्र के अधीन भूमि'' से अभिप्रेत है, ऐसी भूमि जो किसी सिंचाई संकर्म के कमान क्षेत्र के अधीन हो और उसके जल के बहाव या उद्वहन द्वारा सिंचित हो या सिंचित होने में सक्षम हो और इसमें ऐसी कृषि भूमि भी शामिल होगी जिसे कार्यपालक अभियंता की राय में, किसी सिंचाई संकर्म के रिसन द्वारा या अन्यथा, अथवा पार्श्व-भूमि से या उससे होकर होनेवाले अप्रत्यक्ष बहाव, अन्त:श्राव या जल निकास से फसल को हितकारी लाभ मिलता हो;
- (द) ''उद्वह सिंचाई'' से अभिप्रेत है मानव या पशु शक्ति के बिना प्रचालित किसी पम्प के जरिये जल के उद्वहन द्वारा सिंचाई;
- (ध) ''नौचालन मार्ग'' से अभिप्रेत है नहर नौ परिवहन:
- (न) अधिसूचना से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना;
- (प) ''अधिभोगी'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है भूमि या संपत्ति का अधिभोगी
 जो तत्समय उस पर कृषि करता हो या कब्जा रखता हो;
- (फ) ''कृषि क्षेत्र (फार्म) विकास'' से अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित संकर्म शामिल है -
 - भूमि समतलन और भूमि संरूपण, जिसमें खेत की सीमाओं का
 पुन: संरेखण शामिल है;
 - (ii) प्रपात, पुलियों, अन्य आवश्यक संरचनाओं और खेतों में कृषि क्षेत्र-सड्कों की व्यवस्था करना;

- (iii) अभियंत्रण, जैविक और रासायनिक उपायों, जिनमें अपक्षालन भी शामिल है, का उपयोग कर भूमि का सुधार करना;
- (iv) समोच्च बांध और नाला बांध बनाना;
- (v) ऐसे अन्य संकर्म, जो भूमि या स्थल अथवा प्रवाह जल-क्षमता के विकास के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो, और भूमि एवं जल संसाधनों के समुपयोग से अच्छे परिणाम निकलने के लिये हो;
- (ब) "स्वामी" से अभिप्रेत है और इसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जो भूमि के स्वामित्व में हित रखता हो और जिसे वैसे अधिकार और वाध्यताएं प्राप्त हों जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी स्वामी से संबद्ध हो, अथवा स्वामित्व में ऐसा संयुक्त हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संयुक्त रूप में और अलग-अलग संबद्ध हो;
- (भ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विनिर्मित नियमों द्वारा विहित;
- (म) ''संभावित सिंचाई योग्य क्षेत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन संभावित सिंचाई योग्य क्षेत्र के रूप में घोषित कोई क्षेत्र;
- (य) ''सुधारी गयी भूमि'' से अभिप्रेत है ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के अधीन किसी संकर्म के निष्पादन से पूर्व खेती के लिये अनुपयुक्त थी, किन्तु ऐसे संकर्म द्वारा जिसे उत्पादक बनाई गई हो;
- (र) ''जलयान'' में कोई पोत, बजरा, नौका, बेड़ा-काष्ठ, बांस अथवा किसी प्रकार पालित प्लवमान सामग्री शामिल है;
- (ल) (i) "ग्राम-जल-सरणी" से अभिप्रेत है, खेत की जल-सरणी सहित ऐसी कोई जल-सरणी, जिसके द्वारा जल, नहर से सिंचाई किए जाने वाले खेतों में गिरता है और इसमें प्रधान जलकपाट जिससे होकर किसी नहर से ऐसी सरणी में जलापूर्ति होती है, को छोड़कर ऐसी किसी जल-सरणी से संबद्ध सभी सहायक संकर्म शामिल

है जो स्वामियों या अधिभोगियों या हिताधिकारियों या राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से और अपनी लागत पर निर्मित हो तथा ऐसे स्वामिओं या अधिभोगियों या हिताधिकारियों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अपनी लागत और अपनी ओर से अनुरक्षित हो, सरकारी वितरिकाएं, उप-वितरिका, लघु वितरिकाएं, और जलमार्ग भी ग्राम जल-सरणी के रूप में मानें जायेंगे, यदि इन्हें हिताधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों को अथवा हिताधिकारियों द्वारा गठित जल उपयोगकर्त्ता संघों को अथवा हिताधिकारियों द्वारा गठित जल अपयोगकर्त्ता संघों को अपनी लागत पर या पूर्णत: या आंशिक सरकारी अनुदान पर उनके द्वारा अनुरक्षित या प्रचालित किये जाने के लिये सौंप दिया गया हो, और ये इस अधिनियम के अध्याय IX के उपबंधों द्वारा शासित होंगे;

- (ii) ''खेत जल-सरणी'' एक ऐसी जल-सरणी है जो किसी निर्गम मार्ग से सिंचाई चक तक या सिंचाई चक में बनाई जाती है और इसमें सभी सहायक संकर्म शामिल है, सिवाय निकास मार्ग के जिसके द्वारा किसी सिंचाई संकर्म के लिये जलापूर्त्ति होती है;
- (iii) फार्म जल-सरणी सिंचाई के लिये खेत जल-सरणी से जल लेने के लिये किसानों द्वारा अपने खेतों में निर्मित अस्थायी या स्थायी जल-सरणी है;
- (व) ''जल उपयोगकर्त्ता संघ'' से अभिप्रेत है नहर के अनुरक्षण और प्रचालन के लिये तथा नहर जल का उपयोग करने के लिये नहर या उसके भाग के हिताधिकारियों द्वारा बिहार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम 1860 का 21) के अधीन पंजीकृत जल उपयोगकर्त्ता संघ;
- (श) ''कूप'' से अभिप्रेत है, भूगर्भ जल की खोज या निष्कर्ष के लिए खोदा गया कोई कूप और इसमें मुक्त कूप, उत्खनित कूप, वेधित कूप, उत्खनित सहबेधित कूप, नलकूप और फिल्टर स्थल शामिल है।

अध्याय - 📗

अधिकार

जल पर राज्य सरकार का अधिकार:-

- (1) किसी नदी, प्राकृतिक जलधारा, प्राकृतिक जल निकास सरणी, प्राकृतिक झील या अन्य प्राकृतिक जल संचय के जल पर सभी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 एवं सातवीं अनुसूची की तालिका-1 की 5वीं प्रविष्टि के अधीन राज्य सरकार में निहित होंगे।
- (2) जब राज्य सरकार नहर बनाये जाने का प्रस्ताव करे तब इस आशय की घोषणा करते हुए और मुख्य संकर्म के स्थल को दशाते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी।
- (3) किसी नदी, प्राकृतिक जलधारा या प्राकृतिक जल निकास सरणी, झालि, अन्य प्राकृतिक जल संचय जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी विद्यमान या निर्माणाधीन नहर में जल की आपूर्त्ति करता हो, निर्माण किये जाने वाले किसी नहर में जलापूर्त्ति की जाय तो उनके जल पर भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) के उपबंधों के अधीन सरकार के विरूद्ध कोई भी अधिकार अर्जित नहीं किया जायेगा।

4 सिंचाई संकर्मो का सरकार में निहित होना:-

प्रत्येक सिंचाई संकर्म या ऐसे किसी सिंचाई संकर्म की या उस पर स्थित या उसका अंश स्वरूप सभी भूमि, मिट्टी, पगडंडी, फाटक, पटरी, और बाड़ा और राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित तटबंध के समानान्तर बने प्रत्येक नौकर्षण पथ राज्य सरकार में निहित होंगे।

मरम्मत के लिए मिट्टी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लायी गयी भूमि का सर्वेक्षण:-

- (1) ऐसे सभी भूखंड या उसके अंश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी सिंचाई संकर्म, प्राकृतिक जल-सरणी और जलाशय तटबंध नौकर्षण पथ की मरम्मत के लिए मिट्टी या अन्य सामग्रियाँ प्राप्त करने के योजनार्थ उपयोग में लाये गये हों अथवा जो करार के द्वारा ऐसी भूमि के बदले में प्रतिस्थापित किये गये हों, ऐसी मिट्टी या अन्य सामग्रियों का उपयोग करने या हटाने के लिये प्रतिकार का भुगतान किए बिना ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के अधीन समझे जायेंगे।
- (2) समाहर्ता ऐसे सभी भू-खंडों एवं भू-खंड अंशों को अभिनिश्चित,
 ' सर्वेक्षित और सीमांकित करा सकेगा।

अध्याय - ॥।

पदाधिकारियों की शक्ति

जांच के लिये प्रवेश:-

जब किसी प्रायोजित सिंचाई संकर्म या उसके निर्माण अथवा किसी विद्यमान सिंचाई संकर्म के अनुरक्षण अथवा जल के विनियमन, आपूर्ति या संचयन के प्रयोजनार्थ किसी सिंचाई संकर्म के जल के उपयोजन या उपयोग के संबंध में कोई जाँच या परीक्षण करना आवश्यक हो, तब इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त कोई नहर पदाधिकारी –

- (क) ऐसी भूमि, संरचना या इस भूमि से संबद्ध किसी भी वस्तु पर प्रवेश कर सकेगा जिसे वह इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे,
- (ख) उनका सर्वेक्षण प्रारम्भ कर सकेगा या उसके आधार पर तलेक्षण कर सकेगा,
- (ग) अवमृदा की खुदाई या बेधन कर सकेगा,
- (घ) जहां अन्यथा ऐसी जांच पूरी न की जा सके वहाँ किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काट और साफ कर सकेगा,
- (ड) ऐसी भूमि के संबंध में यदि राज्य सरकार ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबंधों के अधीन इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी हो कि उस परिक्षेत्र की भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजनों के लिये हो सकती है, तो वह ऐसी भूमि के संबंध में उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो वह प्रयोग कर सकता हो और वे सभी कार्य कर सकेगा जो वह कर सकता हो, और
- (च) गेज, निस्सरण या गाद मापी केन्द्रों की स्थापना एवं अनुरक्षण कर सकेगा तथा ऐसी जाँच एवं परीक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सकेगा।

7. जलापूर्त्ति का निरीक्षण एवं विनियमन करने की शक्तियां:-

कोई नहर पदाधिकारी या इस संबंध में उसके सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति आपृरित जल के निरीक्षण या विनियमन के लिए या उससे सिंचित या नहर राजस्व से प्रभार्य भूमि की नापी के लिए किसी भूमि, भवन, ग्राम जल-सरणी, जिसकी बावत जलदर प्रभार्य हो, में प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे सिंचाई संकर्म जिससे जलापूति की जाती हो, के उचित विनियमन एवं प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

8. भवन के अधिभोगी को नोटिस:--

.)

जब ऐसा नहर पदाधिकारी या ऐसा व्यक्ति किसी भवन या उसके अनुलग्न प्रांगण या किसी आवासीय मकान से संलग्न बगीचा, जिस किसी नहर से प्रावाहित जल की आपूर्त्ति नहीं की जा रही हो और जो किसी बाढ़ सुरक्षा तटबंध से सटा हुआ न हो, में प्रवेश करने का प्रस्ताव करे तब वह ऐसे भवन, प्रांगण या बागीचा के अधिभागी को ऐसी युक्तियुक्त नोटिस पहले देगा जो मामले की अत्याधिकता के अनुरूप हो।

9. मरम्मत करने की शक्ति:-

अभियंता किसी सिंचाई संकर्म अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निष्पादित या भार साधन में लिए गये किसी अन्य संकर्म की मरम्मत कर सकेगा और उसके अनुरक्षण के लिए सभी आवश्यक और उचित कार्य कर सकेगा।

10. अस्थायी सड़क मार्ग, जल-सरणी या बांध बनाने की शक्ति

(1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी सिंचाई संकर्म निर्माण के उपर से कोई अस्थायी सड़क मार्ग बनवाने अथवा किसी लोक तटबंध स कोई अस्थायी जल परणी बनवाने अथवा किसी तटबंध युक्त नदी या लोक जल परणी में कोइ अस्थायों पांध वनवान की इच्छा कर तब वह प्रभारी कार्यपालक आंभयता के पास आवेदन करेगा।

(2) ऐसा अभियंता उस आवेदन को अपनी राय के साथ अधीक्षण अभियंता को संप्रेषित करेगा और उसके संबंध में उसके आदेश की प्रतीक्षा करेगा, जबतक कि वह यह न समझे कि कार्य को तुरत निष्पादित करने का कोई विशेष कारण है, ऐसी स्थिति में वह अधीक्षण अभियंता के आदेश की प्रतीक्षा किये बिना उसका निष्पादन कर सकेगा।

- (3) यदि प्रस्तावित कार्य का निष्पादन सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा किया जाना हो तो आवेदक कार्य प्रारंभ होने के पूर्व कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलित व्यय की रकम जमा करेगा जो ऐसे सड़क मार्ग को बनवाने या हटवाने अथवा ऐसी जल-सरणी या बांध को बनवाने, बंद करने या हटवाने का व्यय और आनुर्षोगक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी।
- (4) यदि बाद में यह पाया जाए कि जमा की गई रकम अपेक्षित रकम से अधिक है तो उक्त आवेदक को ऐसा आधिक्य लौटा दिया जायगा और इसी प्रकार यदि वास्तविक व्यय जमा की गई रकम से कम हो, तो बकाया राशि उक्त आवेदक से वसूल कर ली जायगी।

11. भूमि से मिट्टी लेने की शक्ति:-

जब कभी राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी सिंचाई संकर्म, तटबंध या जल-सरणी या तटबंध नौकर्षण पथ की मरम्मत करना अपेक्षित समझा जाय, तब कार्यपालक अभियंता या इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी भूमि पर प्रवेश करके उसपर समुचित कब्जा रखे और वहां से मिट्टी या अन्य सामग्री हटाकर ऐसी मरम्मत के प्रयोजनार्थ उनका उपयोग करे।

अध्याय - IV

. .

सिंचाई

12. लोक प्रयोजनों के लिए जलापूर्त्ति की जाने के लिये अधिसूचनाः--

- (1) जब कभी राज्य सरकार को यह समीचीन प्रतीत हो कि किसी नदी (इसकी सहायक नदियों सहित) का जल या प्रावृतिक जल-सरणी से बहनेवाली धारा अथवा किसी झील या स्थिर जल के किसी प्राकृतिक संचय का जल अथवा भूमिगत जल अथवा किसी जल-सरणी में बहने वाला जल या उसका कोई अंश जहाँ राज्य सरकार द्वारा निर्मित किसी सिंचाई संकर्म से प्राप्त होता हो और ऐसा जल चाहे रिसन या प्रवृद्धि के द्वारा या जल छोड़ने से या अन्यथा राज्य सरकार द्वारा किसी विद्यमान या प्रायोजित सिंचाई संकर्म के लिये अथवा जल के विनियमन आपूर्त्ति या संचय के लिए प्रयोग या उपयोग किया जाय, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उक्त जल का उस रूप में प्रयोग या उपयोग उक्त अधिसूचना में अंकित की जाने वाली किसी तारीख के बाद, से जो उसकी तारीख से तीन माह से पहले की नहीं होगी, किया जायगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से सशक्त कोई पदाधिकारी सुविधाजनक स्थानों पर यह सार्वजनिक नोटिस लगवाएगा कि राज्य सरकार उस उप-धारा में निर्दिष्ट जल का प्रयोग या उपयोग करना चाहती है।
- (3) उक्त जल के प्रयोग या उपयोग अथवा राज्य सरकार के प्रबंधनाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सिंचाई संकर्म के जल के प्रयोग या उपयोग का विनियमन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (4) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि किसी निर्मित या निर्माण के लिये प्रस्तावित सिंचाई संकर्म से उचित सिंचाई के हित में किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों में वैयक्तिक या सामुदायिक आधार पर केवल घरेलू उपयोग से भिन्न किसी प्रयोजन से कूपों के निर्माण को नियंत्रित करना

आवश्यक है तो राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिप्ट कर सकेगी और तब कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में कूप का निर्माण, सिवाय राज्य सरकार या इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की पूर्वानूमति के तथा ऐसी शर्तो के अधीन जो राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए जाए, नहीं कर सकेगा।

 $\frac{1}{2}$

- (5) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि किसी निर्मित या निर्माण के लिए प्रस्तावित किसी सिंचाई संकर्म से उचित सिंचाई के हित में किन्हीं क्षेत्र या किसी क्षेत्रों में वैयक्तिक या सामुदायिक आधार पर केवल घरेलू उपयोग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विद्यमान कूपों के परिचालक को विनियमित करना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगीं जो उनसे जल निकालने के संबंध में वह उपयुक्त समझे। त्तपश्चात् ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में कोई व्यक्ति, ऐसे कूप से जल, सिवाय ऐसी शर्तो के अनुसार जो राज्य सरकार अधिरोपित करे, नहीं निकालेगा।
- (6) जब राज्य सरकार की राय हो कि समुचित सिंचाई के हित में किसी मौजूदा अथवा प्रस्तावित सिंचाई संकर्म के अधीन किसी भू-खंड को किसी दूसरे प्रस्तावित अथवा मौजूदा संकर्म में स्थानान्तरित करना है या किसी मौजूदा संकर्म से पूर्णत: अलग करना है तो, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र तथा ऐसे संकर्मों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख, जो उसकी तारीख से छ: महीने से कम न हो, से प्रभावी होगी।
- (7) जब राज्य सरकार की राय हो कि उपलव्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के हित में, फसल को बिना क्षति पहुंचाये किसी भू-खंड को अस्थायी रूप से जलमग्न करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र तथा जलमग्न रहने की ऐसी अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो उस तारीख से छ: महीने से कम की नहीं होगी।

अध्याय - V

जल निकास तथा जल जमाव की रोकथाम

13. अवरोधों का प्रतिषेध:-

•)

- (1) जब कभी राज्य सरकार को लगे कि लोक स्वास्थ्य, लोक सुविधाओं या किसी सिंचाई संकर्म या ऐसी किसी भूमि जिसके लिए किसी नहर से सिंचाई उपलब्ध हो, उस किसी नदी, श्रोत या प्राकृतिक जल निकास मार्ग के अतिक्रमण से कोई क्षति उत्पन्न हो गई हो या होने वाली हो तो राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हो रहे ऐसे किसी अतिक्रमण को प्रतिषिद्ध कर सकेगी अथवा ऐसे अतिक्रमण को हटाने अथवा ऐसे अवरोध को हटाने अथवा अन्य तरह से उपान्तरित करने का आदेश निर्गत कर सकेगी।
- (2) उसके बाद उक्त नदी, श्रोत या प्राकृतिक जल निकास सरणी का उतना भाग, जो ऐसी सीमाओं के भीतर समाविष्ट है, जल निकास संकर्म माना जायगा।
- 14. अवरोधों को हटाने का आदेश:-

नहर पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत दूसरा व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के बाद ऐसे अवरोध करने वाले और उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को आदेश में निर्धारित समय के भीतर उसे हटाने या उसे उपान्तरित करने का आदेश निर्गत कर सकेगा।

15. अतिक्रमण को हटाना:-

यदि इस प्रकार निर्धारित समय के भीतर ऐसा व्यक्ति आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो नहर पदाधिकारी ऐसे अवरोध को हटवा सकेगा या उसमें परिवर्तन करा सकेगा और ऐसे अवरोध के हटाने या उसमें उपान्तरण कराने में लगे व्यय की वसूली संबद्ध व्यक्ति से की जायगी।

परन्तु यह कि प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी आपातकालीन मामलों में अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व भी अवरोध हटवा सकेगा और इस पर उपगत व्यय संबद्ध व्यक्ति से वसूलनीय होगा।

16. जल निकास संकर्म के निर्माण के लिए अधिसूचना:-

- (1) जब कभी राज्य सरकार को प्रतीत हो कि खेत-जल निकास को छोड़कर, कोई जल निकास संकर्म लोक स्वास्थ्य हित में, या किसी भूमि के विकास के लिए, या उसमें समुचित कृषि संकर्म या उसकी सिंचाई के लिए आवश्यक है अथवा किसी भूमि की बाढ़ से या किसी अन्य प्रकार से जल जमाव से या हानिकारक नमक या नदी द्वारा कटाव से बचाने की जरूरत है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उस जल निकास संकर्म का निर्माण उक्त अधिसूचना में वर्णित किये जाने वाले दिन के पश्चात् जो उसकी तारीख से तीन महीने से कम न हो, किया जायगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से शक्ति प्रदत कोई अन्य पदाधिकारी सुविधाजनक स्थानों पर आम सूचना दिलवायेगा जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि राज्य सरकार खेत-जल निकास को छोडकर, जल निकास संकर्म के निर्माण का इरादा रखती है।

17. जल निकास स्कीमों का कार्यान्वयन:-

धारा 16 के अधीन अधिसूचना में वर्णित दिन के पश्चात् राज्य सरकार ऐसे संकर्म के लिए स्कीमों को तैयार करायेगी और उनको कार्यान्वित करा सकेगी और ऐसी स्कीमों को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या कोई अन्य पदाधिकारी नहर पदाधिकारियों को प्रदत किसी एक या सभी शक्तियों का प्रयोग उसके संबंध में कर सकेगें और वे नहर पदाधिकारियों पर अधिरोपित किसी एक या सभी वाध्यताओं के लिए जिम्मेवार होंगे।

तटबंध संकर्म

18. तटबंध संकर्म का कार्यान्वयन:-

1.4

2.1

जब कभी संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) को ऐसा प्रतीत हो कि निम्नलिखित कार्रवाईयों में से कोई भी कार्रवाई की जाय या संकर्मो का कार्यान्वयन किया जाय, यथा:--

- (क) ऐसा कोई तटबंध जो सार्वजनिक तटबंधें को जोड़ता हो, या जो तटबंधों की श्रृंखला के हिस्से का सन्धि स्थल हो, या कोई ऐमा तटबंध या जल-सरणी जो पास-पड़ोस की भूमि की सुरक्षा अथवा जल निकास के लिए आवश्यक हो, उसका सरकार के पदाधिकारियों द्वारा प्रभार लिया जाय तथा अनुरक्षित किया जाय,
- (ख) कोई तटबंध, या किसी प्रकार का कोई अवरोध जिससे सार्वजनिक तटबंध के स्थायित्व या किसी गांव अथवा शहर की सुरक्षा पर खतरा हो या जो किसी भू-क्षेत्र के सामान्य जल निकास या बाढ़ जल निकास को बाधित करके सम्पति को नुकसान पहँचाता हो, उसे हटा या बदल दिया जाय,
- (ग) किसी सार्वजनिक तटबंध के लाईन को बदला जाय या बढ़ाया जाय या किसी सार्वजनिक तटबंध के बदले नये सार्वजनिक तटबंध का निर्माण किया जाय, या किसी भू-खंड के रक्षार्थ या किसी जल-सरणी के सुधार के लिए किसी तटबंध का निर्माण किया जाय या किसी सार्वजनिक तटबंध में जल द्वार बनाया जाय.
- (घ) किसी जल द्वार या जल-सरणी को बनाया जाय या लोक स्वाम्थ्य
 में सुधार के लिए या किसी गाँव या उपजाट भूमि की सुरक्षा
 के लिए किसी सार्वजनिक जल-सरणी में परिवर्तन किया जाय

 (ड.) किसी सड़क, जो किसी भू-क्षेत्र के जल निकास में व्यवधान उत्पन्न करती हो, में फेरबदल किया जाय या ऐसी सड़क के नीचे से या उसपर गुजरने वाली जल-सरणी का निर्माण किया जाय,

∱ an

संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) ऐसे कार्यो के आवश्यकतानुसार उसके नक्सा एवं विनिर्देश के साथ प्राक्कलन तैयार करायेगा। इसके साथ वह जिले के सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा उक्त कार्यो तथा संकर्मो द्वारा प्रभावित होनेवाले संभावित भूमि की सीमाओं को दर्शाते हुए एक मानचित्र भी तैयार कराएगा और निष्पादित किए जानेवाले निर्माण कार्यो से संबंधित अपने आशय का आम सूचना प्रकाशित करायेगा:-

परन्तु यह कि जब संबद्ध प्रमंडलीय पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) की राय हो कि अधिनियम के अधीन सामान्य सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही के कारण हुए किसी निर्माण के निष्पादन में विलम्ब के चलते जीवन और सम्पति पर गंभीर और आसन्न खतरा उपस्थित हो सकता है तो वह ऐसी कार्यवाही के पूरा होने की प्रत्याशा में तत्काल ऐसा कार्य का निष्पादन प्रारम्भ करा सकता है:-

परन्तु यह और कि वह अविलम्ब मानचित्र की प्रति के साथ प्रस्तावित संकर्म का प्राक्कलन विनिर्देश एवं नक्सा तैयार करायेगा और ऐसी आम सूचना दिलायेगा कि उसमें उल्लिखित संकर्म पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है।

19. सूचना (नोटिस) का फारम:-

ऐसी आम सूचना जो विहित की जाय, और इसमें जहाँतक मालूम हो वैसे गाँवों की सूची जो प्रस्तावित संकर्म से प्रभावित होने वाले हों, दी जायेगी।

20. नये जल-द्वार, तटबंधों या जल निकास के लिए आवेदन:-

- (क) यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि जल निकास या सिंचाई के
 प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक तटबंध में जल-द्वार बनाया जाय, या
- (ख) यदि कोई व्यक्ति चाहता हो कि कोई नया तटबंध बनाया जाय या किसी मौजूदा तटबंध को बढा़या जाय, विस्तारित किया जाय, मरम्मत की जाय या हटाया जाय या किसी तटबंध की लाईन को बदला जाय या कोई नई जल-सरणी बनायी जाय या कोई नई जल-सरणी बन्द की जाय या दूसरे मार्ग पर ले जायी जाय,

तो वह संबंधित कार्यपालक अभियंता के पास लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा।

21. जल-द्वार का परिचालन:-

1 at

किसी सार्वजनिक तटबंध में निर्मित जल द्वार कार्यपालक अभियंता द्वारा या उसकी सामान्य अथवा विशेष अनुमति से या तटबंध का तत्काल प्रभार धारण करने वाले पदाधिकारी द्वारा ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन खोला या बन्द किया जायगा, जैसा कि वह कार्यपालक अभियंता से प्राप्त करे।

अध्याय - VII

निजी सिंचाई संकर्म

- 22. विद्यमान सिंचाई संकर्म की मरम्मत या नये संकर्म के निर्माण के लिए समाहर्त्ता द्वारा नोटिस जारी करना:-
- (1) जब कभी समाहत्ती को ऐसा प्रतीत हो कि:-
 - (क) जिला के भीतर किसी गाँव या स्थानीय क्षेत्र के लाभ के लिए विद्यमान निजी सिंचाई संकर्म की मरम्मत करना आवश्यक है तथा ऐसे सिंचाई संकर्म की मरम्मत न होने से जलापूर्त्ति पर निर्भर रहने वाली भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, या
 - (ख) जल-धारा या जल-सरणी के गलत या अनुचित दिशा परिवर्तन से उत्पन्न विवाद को निपटाने या टालने या जल की बर्बादी या भूमि की क्षति को रोकने के प्रयोजनार्थ या कृषि प्रयोजन हेतु जलापूर्ति या जल वितरण को नियमित करने के लिए किसी निजी सिंचाई संकर्म में किसी जल कपाट, बंधारा, निर्गम द्वार, निकास, जल शीर्ष तंत्र, बाँभ या अन्य संकर्म का निर्माण वांछनीय है।
- (2) यदि उसे यह समाधान हो जाय कि यह मामला लोक महत्व का है तो वह:-
 - (क) विहित रीति से ऐसे भू-स्वामी को नोटिस तामिल करवा सकेगा, जिसकी भूमि पर सिंचाई संकर्म अवस्थित हो तथा ऐसे प्रत्येक गाँव में, जहाँ ऐसा सिंचाई संकर्म अवस्थित हो, सुविधाजनक स्थान पर, इसका उल्लेख करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी करवायेगा कि वह इस अध्याय के अधीन उक्त संकर्म की मरम्मत करने बि वह इस अध्याय के अधीन उक्त संकर्म की मरम्मत करने या इसके विस्तार या इसमें परिर्वतन करने की कारवाई करने का इरादा रखता है और उसमें उस तारीख का भी विनिर्देश करेगा जिस तारीख को जाँच की जायगी,

(ख) विहित रीति से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस तामिल कर सकेगा जिसके बारे में ज्ञात हो या विश्वास हो कि वह सिंचाई संकर्म को दक्षतापूर्ण अवस्था में रखने के लिए बाध्यताधीन है और उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को कारण बताने के लिए कहा जायगा कि उक्त संकर्म की पूर्वोक्त रीति से मरम्मत, उसमें विस्तार या परिवर्तन करने की उससे अपेक्षा क्यों नहीं की जाय।

23. समाहत्ती द्वारा जाँच:-

जारी की गई नोटिश में उल्लिखित तारीख या ऐसी अन्य किसी तारीख को जब कार्यवाही स्थगित की जा सके, समाहर्त्ता जाँच करेगा तथा ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें नोटिस तामिल की गई हो तथा आदेश से प्रभावित या प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्ति जो उपस्थित हों, की सुनवाई करेगा तथा ऐसे साक्ष्य को लिखित रूप में दर्ज करेगा जिसे वह निम्नलिखित के संदर्भ में उपयुक्त समझें:-

- (क) उक्त सिंचाई संकर्म की मरम्मती, उसका विस्तार या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता,
- (ख) ऐसी मरम्मत (विस्तार या परिवर्तन) के लिए अपेक्षित कार्यों का स्वरूप,
- (ग) सिंचाई संकर्म के दक्षतापूर्ण अवस्था में बनाये रखने की बाध्यता तथा
 ऐसे कारण जिनके चलते ऐसा बाध्यताधीन व्यक्ति इसकी मरम्मत नहीं करा सका, तथा
- (घ) मरम्मत, विस्तार या परिवर्तन के प्रस्तावित कार्य की संभावित लागत।
- 24. मरम्मत या निर्माण का आदेश देने के लिए समाहत्ता की शकितः-कथित जाँच के पश्चात् समाहत्तां को समाधन हो जाय कि सिंच्यई संकर्म की मरम्मत नहीं करने पर जलापूर्ति के लिए उस पर निर्भर रहने वाली भूमि की सिंचाई पर उसका तात्विक रूप से प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो अथवा ऐसे सिंचाई संकर्म का विस्तार या परिवर्तन आवश्यक हो, तो वह खंड (क) के उपबंधों के अघ्यधीन यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि मरम्मत, विस्तार या परिवर्तन संबंधित प्रस्तावित कार्य का निष्पादन,

- (क) ऐसे व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जायगा, जिन्हें धारा 22 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नोटिस तामील की गई हो तथा जो छक्त कार्य निष्पादन करने के लिए सहमत हो, अथवा
- (ख) ऐसे किसी अभिकरण द्वारा किया जायगा, जैसा कि वह उचित समझें, लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हए।

25. आपातकालीन कार्यवाही:-

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समाहत्ता द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से जब कभी उसकी राय हो कि विद्यमान सिंचाई संकर्म में होने वाले विलम्ब से ऐसी भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो, जो जलापूर्त्ति के लिए ऐसे सिंचाई संकर्म पर निर्भर हो, तो ऐसे सिंचाई संकर्म की मरम्मत करवा सकेगा: परन्तु यह कि समाहर्त्ता ऐसे प्रत्येक गाँव में जहाँ सिंचाई संकर्म अवस्थित हो,

परन्तु यह कि समाहत्ता एस प्रत्यक गाव में जहा सिचाइ सकम अवास्थत हा, सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस दिलवाएगा, जिसमें यह उल्लेख किया रहेगा कि इसमें उल्लिखित कार्य का प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) जब कोई ऐसा कार्य पूरा हो जायगा तब समाहर्त्ता पूर्वोक्त रीति से यह कहते हुए सार्वजनिक नोटिस दिलवाएगा कि इसमें उल्लिखित कार्य पूरा कर लिया गया है।

26. मरम्मत के निर्माण हेतु प्राधिकार का प्रत्यायोजनः-

मरम्मत, विस्तार या परिवर्त्तन का कोई कार्य करने के लिए कोई अपेक्षित व्यक्ति यदि उस रीति से और विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अथवा ऐसी आगे की अवधि जो समाहर्त्ता द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत की जाय, के अन्दर वैसा कार्य करने में विफल रहे, तो समाहर्त्ता विहित नियमों के अध्यधीन, लिखित आदेश द्वारा किसी अभिकरण को उक्त कार्य को ऐसी रीति और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

अध्याय - VIII

नौ परिवहन संकर्म

27. नाव्य जल-सरणी:-

राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी घोषणा करना राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि इस अध्याय के उपबंध ऐसी अधिसूचना में विर्निदिष्ट किसी नाव्य जल मार्ग पर लागू होंगे, तथा ऐसे प्रकाशन से और इसके बाद इस अध्याय के उपबंध ऐसी नाव्य जल-सरणी पर लागू और प्रवृत होंगे।

28. नाव्य जल-सरणी का प्राधिकारी:-

नाव्य मार्ग बनाने और खोलने या नाव्य नहर को साफ और गहरा करने तथा किसी जल-सरणी को अवरूद्ध करने या खोज पथ बनाने या ऐसी नहर बनाने या इसमें सुधार करने हेतु अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए किसी संबंधित पदाधिकारी को समय-समय पर प्राधिकृत करना राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा।

29. पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं उसकी शक्ति:-

इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन किसी व्यक्ति को नौपरिवहन के किसी मार्ग का पर्यवेक्षक नियुक्त करना राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा तथा ऐसे व्यक्ति को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह ऐसा कोई पेड़ काट डाले और हटा दे जो नौपरिवहन मार्ग में गिर पड़ा हो या जिसके गिरने की संभावना हो तथा जब भी वह आवश्यक समझें, डुबे हुए जलयान को हटा दे और नौपरिवहन के किसी अवरोध को, चाहे वह किसी प्रकार का हो, निवारित करे या हटा दे।

30. शक्ति के प्रयोग की रीति:-

Ţ,

- (1) जब कभी ऐसा पर्यवेक्षक महसूस करे कि पेड़ का काट डालना और इसे हटाना या किसी अन्य बाधा का निवारण आवश्यक है, तो वह आपात स्थिति में इसे तुरत हटा देगा तथा इस प्रयोजनार्थ किसी निजी सम्पत्ति पर प्रवेश कर सकेगा।
- (2) गैर-आपात स्थिति में वह ऐसी निजी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी को लिखित नोटिस तामील करेगा तथा युक्तियुक्त समय के भीतर अवरोध हटा लेने के लिए उसे निर्देश देगा।
- (3) सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी के उपलब्ध नहीं होने पर उसके
 निवास स्थान के सहजद्रश्य स्थान पर नोटिस चिपकायी जायगी।
- (4) यदि सम्पत्ति का स्वामी या अधिभोगी नाटिस में दिये गये समय के भीतर अवरोध नहीं हटाये, तो पर्यवेक्षक स्वयं इसे हटाने के लिए अग्रसर होगा और इस प्रयोजनार्थ किसी निजी सम्पत्ति पर प्रवेश कर सकेगा।
- (5) इस प्रकार हटाने पर हुए सभी व्यय का भुगतान हटाये गये सामान के विक्रय द्वारा उस रीति से किया जाय जो पथकर की वसूली के लिए इस अधिनियम में उपबंधित हो।

अध्याय - IX

ग्राम जल-सरणी

31. ग्राम जल-सरणियों का रजिस्टर रखना:-

- (1) नहर पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम-सरणी, जो पहले से विद्यमान हो या इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई हो, की पंजी रखेगा, तथा उसमें प्रत्येक ग्राम जल-सरणी के सम्बंध में अंकित करेगा कि वह सार्वजनिक जल-सरणी है या निजी जल-सरणी तथा उसका अनुरक्षण सरकार को या उसके स्वामी की लागत पर किया जाता है तथा ऐसी सभी निजी जल-सरणियों के स्वामियों के नाम को पंजीकृत करेगा।
- (2) विद्यमान ग्राम जल-सरणी के विस्तार या शाखा के रूप में बनाई गई ग्राम जल-सरणी पृथक ग्राम जल-सरणी के रूप में रजिस्टर में दर्ज की जायगी तथा किसी ग्राम जल-सरणी की उतनी लम्बाई, जितनी किसी गाँव या मौजे की प्रसीमा के भीतर आती हो, पृथक ग्राम जल-सरणी के रूप में रजिस्टर में दर्ज की जायगी।

रजिस्टर में इस प्रकार पृथक रूप में दर्ज किसी ग्राम जल-सरणी की प्रत्येक प्रशाखा इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित सभी अधिकारों और दायित्व के संबंध में एक पृथक ग्राम जल-सरणी समझी जायगी:-

परन्तु यह कि जब कभी किसी विशेष कारणवश नहर पदाधिकारी को किसी ग्राम जल-सरणी की किसी प्रशाखा को जिसमें दो या उससे अधिक गाँवों या मौजे के भीतर पडनेवाले भाग शामिल हों एक ग्राम जल-सरणी के रूप में अपने रजिस्टर में दर्ज करना उचित प्रतीत हो तो वह ऐसी प्रशाखा को एक ग्राम जल-सरणी के रूप में रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित सभी अधिकार तथा दायित्वों की बाबत ऐसी प्रशाखा एक ग्राम जल-सरणी समझी जायगी।

32. करार द्वारा ग्राम जल-सरणी का अर्जनः-

नहर पदाधिकारी की सहमति से कोई व्यक्ति किसी विद्यमान ग्राम जल-सरणी के सुधार या अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ उसके स्वामित्व को-

(क) सरकारी ग्राम जल-सरणी का ग्रहण करके,

(ख) निजी ग्राम जल-सरणी के स्वामी से करार द्वारा अन्तरण कराके
 अर्जन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय में ''व्यक्ति'' शव्द में शामिल है संयुक्त रूप से कार्य कर रहे कई व्यक्ति तथा जल उपयोगकर्त्ता संघ भी।

33. नयी ग्राम जल-सरणी का निर्माणः-

नहर पदाधिकारी की अनुमति से कोई व्यक्ति इस हेतु अपेक्षित भूमि के स्वामियों एवं अधिभोगियों की सहमति प्राप्त कर ग्राम जल-सरणी का निर्माण कर सकेगा।

34. नयी ग्राम जल-सरणी के निर्माण के लिए आवेदनः-

कोई व्यक्ति जो नयी ग्राम जल-सरणी का निर्माण करने के लिए इच्छुक हो, किन्तु प्रभावी होनेवाले भूमि के स्वामी और अधिभोगी के साथ निजी करार के अधीन, यथा अंतिम पूर्ववर्त्ती धारा में उल्लिखित, निर्माण के लिए असमर्थ या अनिच्छुक हो, तो यह व्यक्त करते हुए-

- (क) कि वह चाहता है कि उक्त नहर पदाधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्च पर ऐसी ग्राम जल-सरणी बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्य करे,
- (ख) कि वह भूमि अर्जन तथा ऐसे ग्राम जल-सरणी के निर्माण पर लगने वाले सभी आवश्यक खर्च को अदा करने के लिए तत्पर है, लिखित आवेदन नहर पदाधिकारी को दे सकेगा।

35. ग्राम जल-सरणी के निर्माण के लिए प्रक्रिया:-

- (1) यदि नहर पदाधिकारी के विचार में ऐसी ग्राम जल-सरणी का निर्माण करना समीचीन हो तो वह आवेदक से खर्च का कोई भाग, जो वह आवश्यक समझे, जमा करने के लिए कहेगा।
- (2) (i) पैसा जमा किये जाने पर नहर पदाधिकारी उक्त ग्राम जल-सरणी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संरेखण करने हेतु जाँच करवाएगा, और उसके निर्माण के लिए उसकी राय में जितनी भूमि आवश्यक हो उसे अधिभोग करने के लिए भूमि को चिन्हांकित करेगा।
 - (ii) जिन गावों से होकर ग्राम-सरणी ले जाना प्रस्तावित हो, वैसे प्रत्येक गॉव में अधिसूचना तुरत प्रकाशित करेगा कि अमुक गॉव के अन्तर्गत अवस्थित अमुक भूमि का उतना भाग उस निमित्त चिन्हॉंकित कर दिया गया है, और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति ऐसे प्रत्येक जिला के समाहर्त्ता को भेजेगा जिस-जिस जिला में ऐसी भूमि का कोई भाग अवस्थित हो।
- (3) (क) ऐसी अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से भी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिनों के भीतर आवेदन देने के लिए कहा जा सकेगा जो ऐसी ग्राम जल-सरणी के संयुक्त स्वामी के रूप में सम्मिलित किए जाने की इच्छा रखता हो।
 - (ख) यदि कोई ऐसा आवेदक उपस्थित हो और उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाय तो वह ऐसी ग्राम जल-सरणी की निर्माण लागत तथा ऐसी भूमि की अर्जन लागत का अपना हिस्सा चुकाने का दायी होगा और ऐसी ग्राम जल-सरणी का निर्माण होने पर उसका वह सह-स्वामी होगा।

36. भूमि का अर्जन:-

(1) अधिसूचना की प्रति प्राप्त होने पर, समाहर्त्ता भू-अर्जन अधिनियम, 1894
 के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जन हेतु कार्यवाही करेगा।

- (2) ग्राम जल-सरणी के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि का उपयोग प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के आदेश के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा।
- 37. ग्राम जल-सरणी का निर्माण हो जाने के बाद की प्रक्रिया:-
- (1) भूमि को कब्जा में ले लेने के बाद नहर पदाधिकारी अपेक्षित ग्राम जल-सरणी का निर्माण करेगा और उसके पूरा हो जाने पर, आवेदक को उसकी तथा भू-अर्जन और ग्राम जल-सरणी के निर्माण खर्च मद्दे उसके द्वारा देय राशि की, नोटिस देगा।
- (2) ऐसी नोटिस दी जाने के बाद, उक्त राशि आवेदक द्वारा नहर पदाधिकारी को देय हो जायेगी।
- (3) उपगत सभी व्ययों का पूरा-पूरा भुगतान पा लेने के बाद नहर पदाधिकारी
 ऐसी ग्राम जल-सरणी को ऐसे आवेदक के कब्जा में दे देगा।

38. नहर पदाधिकारी ग्राम जल-सरणी के अन्तरण का निदेश दे सकेगा:-

- (1) जब कभी कोई नहर पदाधिकारी यह समझे कि किसी ग्राम जल-सरणी से होने वाली सिंचाई का उचित प्रबंध करने के लिए उस स्वामी से उस ग्राम जल-सरणी का अन्तरण कराना आवश्यक है, तब वह उस पंजीकृत स्वामी को यह नोटिस तामील करायेगा कि नोटिस तामिल होने के बाद पन्द्रह दिनों से अन्यून किसी निश्चित तारीख को उपस्थित हो तथा ऐसे अन्तरण पर कोई आपत्ति करे।
- (2) ऐसी आपत्ति की सुनवाई के बाद नहर पदाधिकारी यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी ग्राम जल-सरणी ऐसे व्यक्ति के जिम्में अंतरित की जायगी, जिसे वह उचित समझे और ऐसा व्यक्ति उक्त ग्राम जल-सरणी के स्वामी के रूप में पंजीकृत किया जाय:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम जल-सरणी के स्वामी के रूप में तबतक पंजीकृत नहीं होगा, जबतक कि वह इस प्रकार पंजीयन की इच्छा लिखित रूप में व्यक्त न कर चुका हो, और जबतक

कि वह नहर पदाधिकारी को उसके द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान न कर चुका हो।

39. ग्राम जल-सरणी के संयुक्त स्वामी के रूप में सम्मिलित किया जाना:-

- (1) किसी विद्यमान ग्राम जल-सरणी का संयुक्त स्वामी बनने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति नहर पदाधिकारी को उस आशय की अर्जी दे सकेगा और ऐसी अर्जी प्राप्त होने पर, नहर पदाधिकारी यदि वह उचित समझे तो अंतिम पूर्ववर्त्ती धारा में यथाउपबंधित नोटिस पंजीकृत स्वामी को जारी कर सकेगा और आवेदक को संयुक्त स्वामी के रूप में सम्मिलित किये जाने के विरूद्ध पंजीकृत स्वामी द्वारा की गई किसी आपत्ति की सुनवाई कर लेने के बाद, यह निदेश दे सकेगा कि आवेदक ऐसे संयुक्त स्वामी के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा।
- (2) किसी ग्राम जल-सरणी के सभी संयुक्त स्वामी इसमें तबतक समानहित धारण करने वाले होंगे, जबतक कि नहर पदाधिकारी की अनुमति से, वे अपने विशिष्ट और असमान हितों को दर्ज न करा लें।

40. संयुक्त स्वामित्व के लिए भुगतान:-

अंतिम पूर्ववर्त्ती दोनों धाराओं में से किसी के अन्तर्गत स्वामित्व के अन्तरण अथवा संयुक्त स्वामी के रूप में सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर निर्णय करते समय, नहर पदाधिकारी यह भी अवधारित करेगा कि-

कार्यवाही के खर्च के रूप में।

पूर्व स्वामियों को प्रतिकर के रूप में, कितनी रकम चुकायी जाय।

और इस प्रकार अवधारित रकम यथास्थिति अन्तरिती या संयुक्त स्वामी के रूप में पंजीयन के लिए स्वीकृत व्यक्ति द्वारा देय होगी, तथा उक्त रकम को भुगतान करने के बाद ग्राम जल- सरणी को अन्तरित कर दिया जायगा, अथवा आवेदक को यथास्थिति स्वामी के रूप में या संयुक्त स्वामी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

41. अन्तरित ग्राम जल-सरणी के लिए लगान:-

अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रतिकर का भुगतान का अधिनिर्णय करने के बदले नहर पदाधिकारी वार्षिक लगान की एक रकम नियत कर सकेगा जो पूर्व स्वामी को उस व्यक्ति द्वारा जिसे ग्राम जल-सरणी अंतरित की गई हो, प्रतिवर्ष भुगतान किया जायगा।

42. ग्राम जल-सरणी के स्वामी का अधिकार और बाध्यताएं:-

- (1) किसी ग्राम जल-सरणी का प्रत्येक स्वामी निम्नलिखित कार्य करने के लिए आबद्ध होगा:-
- (क) ऐसी ग्राम जल-सरणी के निर्माण के समय विद्यमान नहरों, ग्राम जल-सरणी, जल निकास सरणियों तथा सार्वजनिक सड़कों के लिये और उससे बाधित जल निकास के लिए उस ग्राम जल-सरणी के आर-पार गमन हेतु सभी आवश्यक संकर्मो का निर्माण तथा अनुरक्षण करना और आस-पास की भूमि के दखलदारों की सुविधा हेतु उस पर समुचित आवागमन की व्यवस्था केरना:-
- (ख) पानी ले जाने के लिए मरम्मत करके ठीक-ठाक हालत में
 रखने हेतु उस ग्राम जल-सरणी का अनुरक्षण करना:-
- (ग) नहर पदाधिकारी द्वारा साम्यापूर्ण ढ़ंग से यथाघोषित ऐसी शत्तों
 पर अन्य लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति देना:-
- (घ) ऐसी दरों और ऐसी शत्तों पर ऐसी ग्राम जल-सरणी से जलापूर्त्ति
 लेने का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित हो:-
- (ड.) अन्य व्यक्तियों द्वारा ग्राम जल-सरणी का उपयोग करने के लिए
 ऐसा लगान लेना जैसा कि नहर पदाधिकारी अधिर्निणित करे।

- (2) इस अधिनियम के अधीन अंतरित कोई ग्राम जल-सर¹ यदि लगातार तीन वर्षो तक अव्यवहत रहे तो आवेदक अथवा उसके हित का प्रतिनिधित्व करने वाला का ग्राम जल-सरणी को दखल करने का अधिकार पूर्णत: समाप्त हो जायेगा।
- यदि ग्राम जल-सरणी का स्वामी कार्य को निष्पादित या मरम्मत न करा सके, तो नहर पदाधिकारी वैसा कर सकेगा:-

यदि किसी ग्राम जल-सरणी का स्वामी अंतिम पूर्ववर्त्ती धारा की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), एवं (ग) में उल्लिखित बाध्यताओं को पूरा न करा सके तो नहर पदाधिकारी नोटिस देकर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो पन्द्रह दिनों से अन्यून होगी, आवश्यक निर्माण कार्यो को निष्पादित करे, या आवश्यक मरम्मत करे, और यदि वह ऐसा नही कर सके तो नहर पदाधिकारी ही उसकी ओर से उन्हें निष्पादित कर सकेगा:

और ऐसे निर्माण कार्यों के निष्पादन या मरम्मत पर हुए सारे खर्च की राशि उक्त स्वामी द्वारा सरकार को देय होगी।

और यदि ऐसा कोई स्वामी, जो पहले भी एक अवसर पर, अपेक्षा की जाने पर, उक्त निर्माण का निष्पादन न करा सका हो या उक्त मरम्मत न करा सका हो, और इन्हें उसके बदले नहर पदाधिकारी द्वारा निष्पादित कराने के लिए छोड़ दिया हो, पुनः अपेक्षा की जाने पर किसी निर्माण का निष्पादन या मरम्मत न कराये अथवा यदि ऐसा कोई स्वामी अंतिम पूर्ववर्त्ती धारा की उप-धारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित बाध्यताओं को, नहर पदाधिकारी के लिखित नोटिस द्वारा उन्हें पूरा करने की अपेक्षा की जाने के बाद भी पूरा करने हेतु किसी प्रकार इन्कार करे, तो नहर पदाधिकारी पंजी से उक्त ग्राम जल-सरणी का नाम काट दे सकेगा और इस प्रकार उसे आगे नहर का जल ले जाने का माध्यम होने के अयोग्य घोषित कर सकेगा।
44. जब संयुक्त स्वामी ग्राम जल-सरणी के अनुरक्षण की अपेक्षा करे या अनुरक्षण करने से इन्कार करे तब अपनाई जानेवाली प्रक्रिया:-

- (1) यदि किसी ग्राम जल-सरणी के अनुरक्षण के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेवार अथवा किसी ग्राम जल-सरणी का अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति अनुरक्षण मुद्दे खर्च से संबंधित अपने अंश चुकाने में अथवा अनुरक्षण से संबंधित अंश का कार्य करने में अथवा ऐसे अनुरक्षण के लिये आवश्यक किसी कार्य से संबंधित अपने अंश का कार्य करने में उपेक्षा करे या करने से इन्कार करे, तो प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी ऐसी उपेक्षा या इन्कार से व्यथित किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर सभी संबद्ध पक्षकारों को एक नोटिस देगा कि नोटिस देने के पन्द्रह दिनों की समाप्ति पर वह मामले का अन्वेषण करेगा और उस अवधि की समाप्ति पर मामले का तदनुसार अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसा आदेश देगा, जो वह उपयुक्त समझे।
- (2) ऐसे आदेश के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका उस पर आदेश अंतिम होगा।
- (3) ऐसे आदेश द्वारा निदेशित किसी राश्चि का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जायेगा।

45. प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी आपूर्त्ति को प्राधिकृत कर सकेगा:-

(1) जब कभी किसी प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के पास किसी सिंचाई संकर्म से जलापूर्त्ति के लिए आवेदन किया जाय तथा उसे समीचीन प्रतीत हो कि ऐसी जलापूर्त्ति की जाय और वह कुछेक ग्राम जल-सरणी से की जाय तो ऐसी जल-सरणी के अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को नोटिस देगा जो ऐसी नोटिस की तारीख से कम से कम चौदह दिनों के भीतर कारण बतादों कि उक्त जलापूर्त्ति क्यों नहीं इस प्रकार की जाय और ऐसी तारीख की जाँच करने के पश्चात् प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी अवधारित करेगा कि क्या ऐसी ग्राम जल-सरणी से उक्त जलापूर्त्ति की जायगी और यदि की जायगी तो किन शर्तों पर की जायेगी : परन्तु ऐसा आवेदन वैसी भूमि के लिये फ़या जायगा जो उस सिंचाई संकर्म में पहले से ही सम्मिलित हो।

- (2) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के अवधारण से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अवधारण के तीस दिनों के भीतर अधीक्षण अभियंता के पास अपील कर सकेगा।
- (3) जब प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी यह अवधारित करे कि किसी सिंचाई संकर्म से जलापूर्त्ति पूर्वोक्त किसी ग्राम जल-सरणी से की जाय और विनिश्चय के विरूद्ध की गई अपील पर जब अधीक्षण अभियंता उक्त विनिश्चय को सम्पुष्ट या उपान्तरित कर दे तब वह आवेदक के तथा उस व्यक्ति के लिये भी बाध्यकारी होगा जो उक्त जल-सरणी के अनुरक्षण के लिये जिम्मेवार हो।
- (4) ऐसा आवेदक ऐसी ग्राम जल-सरणी का उपयोग करने का हकदार तबतक नहीं होगा जबतक कि वह उसे जलापूर्ति करने में ऐसी ग्राम जल-सरणी में किये गये आवश्यक परिवर्तन में हुए खर्च का तथा ऐसी ग्राम जल-सरणी में उपगत प्रथम लागत के ऐसे अंश का भुगतान न कर दे जो, यथास्थिति, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या अधीक्षण अभियंता अवधारित करे।
- (5) ऐसा आवेदक जबतक ऐसी ग्राम जल-सरणी का उपयोग करता रहेगा तबतक वह उसकी अनुरक्षण लागत से संबंधित अपने अंश का भी दायी होगा।
 (6) नहर पदाधिकारी ऐसी ग्राम जल-सरणी का उपयोग करने के निमित्त उसके स्वामी को भुगतान किये जाने वाले लगान के रूप में एक राशि भी नियत करेगा।
- 46. सरकार जल उपयोगकर्ता संघ को वितरिका, लघु वितरिका या जलमार्ग अंतरित कर सकेगी:--
- (1) सरकार हिताधिकारियों या व्यक्ति समूह द्वारा बनाये गये संघ (संघों) को कोई वितरिका, लघु वितरिका या जल मार्ग अंतरित कर सकेगी जिसे / जिन्हें उनके अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए सरकार द्वारा उक्त जल-सरणियों का स्वामी होने के उपयुक्त समझा जा सकेगा। ऐसे किसी मामले में इन जल-सरणियों को ग्राम जल-सरणी माना जायगा और तदनुसार इस अध्याय के उपबंधों द्वारा ये शासित होंगे।

(2) वितरिका, उप वितरिका एवं लघु वितरिका का प्रबंधन जल उपयोगकर्त्ता संघ को सौंपे जाने की दशा में जल उपयोगकर्त्ता संघ को ऐसी जल-सरणियों के शीर्ष नियामक (हेड रेगुलेटर) पर प्राधिकृत निस्सरण (डिस्चार्ज) की आपूर्त्ति की जायगी। कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की गई जलापूर्त्ति उस जल-सरणी से सिंचित की जानेवाली भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में हों। उद्गम जल-सरणी (पैरेन्ट चैनल) में कम जलापूर्त्ति की स्थिति में उस कमी को विभिन्न जल-सरणियों के बीच साम्यापूर्ण रूप से वितरित किया जायगा।

47. कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिये स्कीम का प्रारूप तैयार करना:-

- (1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी तथा ऐसे नियमों के अध्यधीन जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई पदाधिकारी स्वप्रेरणा से अथवा कृषि योग्य कमान क्षेत्र में भूमि के कम-से-कम पचास प्रतिशत स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा आवेदन किये जाने पर खेतों के एक समूह या खंड पर कृषि क्षेत्र विकास के लिये स्कीम का प्रारूप तैयार कर सकेगा।
- (2) उप धारा (1) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक स्कीम में अन्य बातों के साथ साथ, कृषि क्षेत्र विकास संकर्मों की लागत, उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र की योजना की रूप रेखा तथा उक्त स्कीम द्वारा लाभान्वित होने वाले स्वामियों या अधिभोगियों की विशिष्टियां वर्णित की जायेगी।
- (3) प्रत्येक स्कीम तैयार किये जाने के बाद यथाशक्ति शीघ्र ऐसे रूप में और ऐसी रीति से प्रकाशित की जायगी जैसाकि विहित की जाय और इसके प्रकाशन के इक्कीस दिनों के भीतर इसके संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जायेगे।
- (4) ऐसी आपत्तियों एवं सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद उक्त पदाधिकारी स्कीम को या तो उस रूप में जैसाकि मूलत: प्रकाशित किया गया था या ऐसे उपांतरित रूप में जैसाकि वह उपयुक्त समझे अनुमोदित करके उसे प्रकाशित करेगा।

(5) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अभिहित पदाधिकारी किसी समय अथवा अनुमोदित स्कीम से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (4) के अधीन स्कीम की विशिष्टियों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर आवेदन किये जाने पर उक्त पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित स्कीम का पुनरीक्षण कर सकेगा;

> परन्तु यह कि ऐसा पुनरीक्षण प्रभावित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिये बिना नही किया जायगा।

- (6) ऐसी स्कीम के संबंध में जो अनुमोदित न की गयी हो, उक्त पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई स्वामी या अधिभोगी आदेश पारित होने के तीस दिनों के भीतर इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अभिहित ऐसे पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (7) उप-धारा, (4) के अधीन उक्त अधिकारी द्वारा किसी स्कीम के अनुमोदित किये जाने के पश्चात् अथवा जहाँ उप-धारा (6) के अधीन किसी पदाधिकारी के समक्ष कोई अपील लंकित हो, वहाँ उसके द्वारा निपटाव कर देने के बाद स्कीम ऐसी रीति से प्रकाशित की जायेगी जैसाकि विहित की जाय और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् इसका निष्पादन खेतों के समूह या खंड के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा अपनी लागत पर ऐसी अवधि के भीतर जो उक्त पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, किया जायगा या करवाया जायगा।
- (8) उक्त पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त किसी या सभी स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा कार्य निष्पादित न किये जाने की स्थिति में अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त पदाधिकारी को लिखित रूप में किसी या सभी स्वामियों और अभिभोगियों द्वारा यह सूचित किये जाने पर कि वह यथापेक्षित कार्य निष्पादित करने या करवाने में असमर्थ है या है, राज्य सरकार द्वारा या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अवधारित किसी अभिकरण द्वारा कार्यो का निष्पादन किया जा सकंगा तथा यथास्थिति राज्य सरकार या उक्त अभिकरण द्वारा इस प्रकार निष्पादित कार्यो की लागत, राज्य सरकार या उक्त अभिकरण द्वारा ऐसे स्वामियों या अधिभोगियों से वसूलनीय

होगी जो यथापेक्षित कार्यो को निष्पादित न कर सकें या करवा सकें अथवा निष्पादित करने या करवाने के बारे में अपनी असमर्थता की सूचना नहीं दे सकें।

- (9) यथास्थिति राज्य सरकार या उक्त खेतों के समूह या खंड में निष्पादित कार्यो की लागत में वैयक्तिक स्वामियों या अधिभोगियों के शेयर का अवधारण यथास्थिति राज्य सरकार या उक्त अभिकरण द्वारा किया जायगा।
- 48. प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी, स्वामी या अधिभोगी की ओर से खेत नालों का निर्माण कर सकेगा:-
- (1) धारा 16 की उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी खेत नालों के लिये एक स्कीम तैयार करवा सकेगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रत्येक स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ इसकी प्राक्कलित लागत, यथास्थिति प्रस्तावित खेत नालों का संरेखन या विद्यमान खेत नालो का पुर्नसंरेखन इससे लाभान्वित होने वाले स्वामियों या अधिभोगियों तथा अन्य व्यक्तियों की विशिष्टियां और स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र की योजना की रूपरेखा उपवर्तित की जायगी।
- (3) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी स्वामियों या अधिभोगियों की ओर से खेत नालों का निर्माण कर सकेगा और स्वामियों या अधिभोगियों से अनुपातत: लागत वसूल कर सकेगा।

अध्याय - Х

जलापूर्त्ति

49. प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा सिंचाई के लिए जल की आपूर्त्ति को विनियमित किया जाना:-

> किसी सिंचाई संकर्म या किसी वर्ग के सिंचाई संकर्म के संबंध में किसी अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त कोई प्रमंडलीय पदाधिकारी, ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद जो वह उचित समझे, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए अथवा परिस्थिति की अपेक्षानुसार एक ही बार में वर्षों की एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी सिंचाई संकर्म को निम्नलिखित के संबंध मे विनियमन कर सकेगा :-

- (i) सिंचाई के लिए जल छोड़ने का समय,
- (ii) आपूर्त्ति की अवधि,
- (iii) आपूर्त्ति की मात्रा और
- (iv) वे क्षेत्र जिन्हें विभिन्न समयों पर आपूर्त्ति की जायेगी।

स्पष्टीकरण – कोई भी भूमि जलापूरित समझी जायेगी भले हीं उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया गया हो, और ऐसा अनुपयोग केवल ऐसी भूमि के मालिक या इसके हितवद्ध अधिभोगी की ओर से बरती गई सक्रियता या निष्क्रियता के चलते ही हुआ हो।

50. किसी नहर के सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमाण्ड क्षेत्र की घोषणा:-

 (1) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र घोषित कर सकेगा, जिसमें ऐसी भूमि शामिल रहेगा

जिसकी सिंचाई अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष की ऐसी अवधि के दौरान नहर की जलघारा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित हो जो प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की राय में उक्त अवधि के दौरान फसल के परिपक्व होने तक के लिए पर्याप्त हो, और कोई ऐसा क्षेत्र भी संभाव्य सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र होगा जिसमें ऐसी भूमि भी शामिल होगी जिसकी सिंचाई तो अनिश्चित हो पर उक्त अवधि के दौरान जो जल उपलब्धता के अध्यधीन हो।

- (2) ऐसे क्षेत्रों में लगान की वसूली के लिए ग्राम पंचायत के सभी कार्यालयों में, पुलिस थाना में, अंचलाधिकारी के कार्यालय में तथा राज्य सरकार की सभी कचहरियों में एक सार्वजनिक नोटिस चिपकायी जायगी और अधिसूचित क्षेत्र में पड़ने वाले सभी गाँवों में ढो़ल पिटवाकर उस नोटिस के सारांश की घोषणा की जायेगी तथा उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले दो समाचार पत्रों के दो लगातार अंकों में सारांश को प्रकाशित किया जायेगा।
- 51. सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड या संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र में शामिल करने अथवा उससे अलग रखने के लिए आवेदन दिया जाना।
- (1) भूमि का कोई अधिभोगी नहर पदाधिकारी के समक्ष धारा 50 में निर्दिष्ट अधिसूचना के प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र अथवा संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र में किसी भूमि को शामिल करने या उससे अलग रखने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (2) नहर पदाधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, आवेदक की सुनवाई करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।
- (3) नहर पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध उप-धारा (2) के अधीन पारित किये गये आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर कोई अपील की जा सकेगी और प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

52. आदेश का लिखित रूप में किया जाना:-

यदि धारा 51 के अधीन दिये गये किसी आवेदन पर नहर पदाधिकारी किसी नहर के सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र या संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र में किसी भूमि को शामिल करने या उससे अलग रखने के लिए आदेश देगा, तो वह बनाये गये नियमों द्वारा विहित फार्मो में अपने आदेशों को लिखित रूप में दर्ज करायेगा।

53. जलापूर्त्ति का हकदार व्यक्ति:-

- (1) किसी नहर के कितना सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के भीतर भूमि का प्रत्येक अधिभोगी धारा 50 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उगाई गई फसलों के पकने तक सिंचाई प्रयोजनों के हेतु नहर से पर्याप्त जलापूर्त्ति का हकदार होगा और किसी नहर के संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र में भूमि का प्रत्येक अधिभोगी उस अवधि के दौरान जल उपलव्ध रहने तक उसकी आपूर्त्ति का हकदार होगा और ऐसा प्रत्येक अधिभोगी यथा अवधारित जल प्रभार का भुगतान करने का भागी होगा भले ही उसने ऐसे जल का उपयोग किया हो या नहीं।
- (2) सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र या संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के अधिसूचित होने तक नहर पदाधिकारी द्वारा सिंचाई के लिए जलापूर्त्ति की जाती रहेगी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे जलापूर्त्ति की गई हो, राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित जल प्रभार का भुगतान करने का भागी होगा।
- (3) ''सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र'' अथवा ''संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र'' से बाहर की भूमि का कोई अधिभोगी किसी नहर से अपनी भूमि में जलापूर्त्ति का इच्छुक होगा तो विहित फारम में उस आशय का एक लिखित आवेदन नहर पदाधिकारी को देगा तथा, सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड एवं संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्रों की आवश्यकताओं को आंकने के पश्चात् जलापूर्त्ति की जा सकेगी (वशर्ते कि सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र एक सघन खंड हो) तथा ऐसा प्रत्येक अधिभोगी राज्य सरकार द्वारा अवधारित जल प्रभार का भुगतान करने का भागी होगा।

54. जलापूर्त्ति का विनियमनः-

- (1) नहर पदाधिकारी निम्नलिखित मामलों में ऐसी ग्राम जल-सरणी या किसी
 ऐसे व्यक्ति को जलापूर्त्ति रोक सकेगा जो जलापूर्त्ति का हकदार हो:-
- (क) जब कभी और जबतक सक्षम पदाधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने पर किसी कार्य निष्पादित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी जलापूर्त्ति का रोका जाना आवश्यक हो,
- (ख) जब कभी और जबतक किसी ग्राम जल-सरणी ऐसी बेमरम्मती की स्थिति
 में हो कि उससे जल के व्यर्थ बहाव को रोका जा सके,
- (ग) जब कभी और जबतक जल के हकदार अन्य व्यक्तियों की विधिसम्मत मांगों का चक्रानुक्रम से आपूर्त्ति करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो,
- (घ) जब कभी और जबतक जल की बर्बादी या दुरूपयोग के निवारणार्थ जलापूर्ति रोकना आवश्यक हो,
- (ड.) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत अवधि के भीतर जिसकी सम्यक् सूचना दी जायेगी,
- (च) जब कभी किसी प्राकृतिक या मौसमी कारण से सिंचाई संकर्म में जलापूर्त्ति
 में कमी हो जाय और जबतक ऐसा करना आवश्यक हो,
- (छ) किसी ऐसे कारण से जो प्रमंडलीय पदाधिकारी के नियंत्रण से परे हो।
- (2) किसी सिंचाई संकर्म से जलापूर्त्ति विफल होने पर या उसमें रूकावट के कारण हुई हानि के संबंध में प्रतिकर के लिए राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जायगा:-

परन्तु यह कि ऐसी हानि से पीड़ित व्यक्ति जल के उपयोग के लिए देय प्रभार में ऐसी छूट का दावा कर सकेगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है।

- 55. नहर जल के उपयोग के अधिकार का विक्रय या उप-पट्टे पर दिया जाना:-
- (1) अधीक्षण अभियंता की अनुमति के बिना किसी सिंचाई संकर्म के जल के उपयोग करने का हकदार कोई व्यक्ति जल का ऐसे उपयोग करने के अपने अधिकार को न तो बेचेगा न उप-पट्टे पर देगा, न अन्यथा अंतरित करेगा और न तो अनाधिकृत प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करेगा;

परन्तु यह कि किसी खेतीहर अभिचारी द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम जल-सरणी के स्वामी द्वारा आपूरित जल के लिए, ऐसे अभिचारी द्वारा धारित भूमि को सिंचाई के लिए जलोपयोग के लिए कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा।

- (2) किसी भूमि को कृषि के प्रयोजनों के लिए अथवा अन्य अचल संपत्ति के लिए जलापूर्त्ति का अधिकार, उससे संबद्ध रहेगा और जब कभी ऐसी भूमि या अचल संपत्ति का कोई अंतरण होगा, तब उस अधिकार को भी उसी प्रकार अंतरित माना जायगा।
- 56. आपूर्त्ति अवधि:-

जब किसी सिंचाई संकर्म से केवल एक या एक से अधिक फसलों की सिंचाई के लिए जलापूर्त्ति की जाय, तब ऐसे जल का उपयोग करने का अधिकार तभीतक जारी माना जायगा जबतक कि ऐसी फसल या फसलें परिपक्व न हो जाय और केवल ऐसी फसल या फसलों के लिए हीं जल का उपयोग किया जायेगा।

57. नहर पदाधिकारी सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए जलापूर्त्ति कर सकेगा।

> सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले जल की आपूर्ति के लिए आवेदन किये जाने पर, नहर पदाधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए आपूर्त्ति की परिसीमा और नियंत्रण विषयक ऐसी विशेष शर्त और निबंधनों के अधीन जल लेने की अनुमति दे सकेगा जो वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना उचित समझेगा।

राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र हेतु फसल क्रम 58. की घोषणाः-

- जहाँ राज्य सरकार को यह समाधन हो जाय कि भूमि पर खेती और फसल (1)के उत्पादन को बेहतर करने एवं किसी सिंचाई संकर्म के जल संसाधनों के सम्यक् संरक्षण और समुचित उपयोग के लिए अथवा लोकहित में उन फसलों की किस्म, जिन्हें किसी सिंचाई संकर्म या उसके किसी भाग के सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के अधीन भूमि पर बोई, रोपी या उपजाई जाए तथा उस अवधि को जिसके दौरान ऐसी फसलें ऐसी भूमि पर बोई रोपी या लगाई जाय, विनियमित करना समीचीन है, राज्य सरकार भूमि के लक्षणों, जलवायु, वर्षा और उपलब्ध जल को धयान में रखते हुए लिखित आदेश द्वारा उस आशय की एक घोषणा कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नहर पदाधिकारी द्वारा ऐसी घोषणा का ऐसी रीति से व्यापक प्रचार किया जायेगा जैसा कि वह उचित समझे।
- ऐसी किसी घोषणा के बाद, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन से नहर पदाधिकारी ऐसी रीति से प्रकाशित नोटिस द्वारा जो उसके द्वारा अवधारित हो उन फसलों की किस्म का जो सिंचाई संकर्म या उसके किसी भाग के सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के अधीन भूमि पर बोई, रोपी या उपजाई जाएगी, फसलों के क्षेत्रफल का और उसकी अवधि का जिसके दौरान ऐसी फसलें बोई, रोपी या उपजाई जायेगी, विनिर्देश कर सकेगा। उसके बाद नहर पदाधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधयधीन आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसी फसलों के बोने. रोपने और उपजाने के लिए सिंचाई संकर्म से जलापूर्त्ति को विनियमित करेगा।
- राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, फसलों को और उस अवधि को, (3)जिसके दौरान ऐसी फसलें बोई रोपी या उपजाई जाय, अवधारित करने के लिए और इस प्रयोजनार्थ जलापूर्त्ति को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी। ऐसे नियमों में किसी सिंचाई संकर्म के सिंचाई कमांड के अधीन भूमि पर विभिन्न फसलों को बोने, रोपने या उपजाने के लिए सिंचाई

(2)

की मात्रा नियत करने हेतु उपवंध किया जा सकेगा।

- (4) उप-धारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशित होने के बाद, कोई भी व्यक्ति ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट सिंचाई संकर्म या उसके किसी भाग के सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के अधीन किसी भूमि पर और उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बोने, रोपने या उपजाने के लिए ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट फसल या फसलों को छोड़कर कोई अन्य फसल नहीं बोएगा, रोपेगा या उपजाएगा अथवा न ऐसा होने देगा।
- (5) उप-धारा (2) के अधीन दी गई किसी नोटिस से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अधीक्षण अभियंता से अन्यून पंक्ति के ऐसे पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्ति करें। अपीलीय पदाधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करके ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे, और उसके बाद नोटिस उस परिमाण तक उपान्तरित मानी जायेगी जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (6) कोई व्यक्ति, जिसने किसी अनधिकृत फसल को बोया, रोपा या उसे उपजाया हो अथवा किसी भूमि पर ऐसी अनधिकृत भूमि पर बोने रोपने या उपजाने की अनुमति दी हो, वह--
 - (क) इस धारा के उपबंधों का उलंघन करने का भागी होगा, और
 - (ख) ऐसी अनधिकृत फसल के लिए इस अधिनियम के अधीन वह किसी शास्ति का भागी होने के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी जल की दर को अदा करने का भागी भी होगा जो उस जल दर से, जो उसे अन्यथा अदा करना अपेक्षित होता उससे पाँच गुणा से अन्यून ओर दस गुना से अनधिक होगी:

परन्तु यह कि यदि कोई फसल उपजाने के लिए सिंचाई संकर्म से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: जल का उपयोग नहीं

किया गया हो, तो उप-धारा (4) और (6) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

59. जल समिति को स्कीमों का अन्तरण:-

- (1) जहाँ राज्य सरकार की राय में किसी सिंचाई संकर्म से किसी क्षेत्र में 200 हेक्टेयर से अनधिक या यथाविहित भूमि में सिंचाई करने की संभावना हो, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके लोकहित में ऐसे सिंचाई संकर्म से ऐसी भूमि को जल की आपूर्त्ति करने हेतु एक स्कीम का प्रारूप तैयार कर सकेगी। स्कीम के प्रारूप में इसके लिए नियुक्त जल समिति की सिंचाई का प्रबंध सौंपने और उससे जल वितरण का उपबंध किया जायेगा।
- (2) स्कीम प्रारूप में निम्नलिखित व्योरे अन्तर्विष्ट होंगे:-
 - (क) वह क्षेत्र जिसमें वह स्कीम लागू होगी,
 - (ख) ऐसे क्षेत्र में शामिल भूमि के सर्वे नम्बर, एवं उसके स्वामियों और अभिभोगियों के नाम,
 - (ग) किस अवधि में या किन-किन अवधियों के लिए ऐसी भूमि में जल की आपूर्त्ति की जायेगी,
 - (घ) किस फसल या किन-किन फसलों को उस पर उपजाने की
 अनुमति दी जायेगी,
 - (ड.) इस स्कीम में शामिल की गई भूमि में किस जल दर पर आपूर्त्ति की जा सकेगी,
 - (च) राज्य सरकार द्वारा जल समिति को सिंचाई संकर्म का प्रबंध करने हेतु दी जानेवाली राशि, और
 - (छ) ऐसी स्कीम से संबंधित आपत्तियों या सुझावों को प्रस्तुत करने के
 लिए कोई अवधि नियत करना जो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन
 की तारीख से तीन महीने से अन्यून होगी।

- (3) ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के बाद इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त नहर पदाधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों की भाषा में जहाँ से होकर सिंचाई संकर्म गुजरता हो, ऐसी अधिसूचना से प्रभावित हो सकने वाले स्वामियों और अधिभोगियों की सूचना के लिए इसे ऐसे स्थान या स्थानों में एवं ऐसी रीति जैसा वह उपयुक्त समझे, यथासाध्य शीघ्र प्रकाशित करेगा।
 - (4) यथा पूर्वोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त ऐसी आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद राज्य सरकार सम्यक् जाँच करने के बाद स्कीम के प्रारूप में कोई परिवर्तन करे अथवा बिना परिवर्तन के मंजूर अथवा इसे नामंजूर कर सकेगी।
 - (5) उप-धारा (4) के अधीन मंजूर की गई स्कीम राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी तथा गाँव में या प्रखंड कार्यालय एवं जिला के मुख्यालयों में, जहाँ स्कीम में सम्मिलित की गई भूमि अवस्थित है, ऐसी रीति से प्रकाशित की जायेगी जिसे राज्य सरकार उपयुक्त समझे, और ऐसे प्रकाशन के बाद स्कीम को अंतिम माना जायेगा।
 - 60. स्कीम को लागू, परिवर्तन एवं रद्द करनाः-
 - (1) स्कीम ऐसी तारीख को लागू की जायेगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
 - (2) किसी भी समय स्कीम का परिर्वतन धारा 59 के उपबंधों के अनुसार बनाई,
 प्रकाशित एवं स्वीकृत की गई किसी पश्चात्वर्त्ती स्कीम के द्वारा किया जा सकेगा।
 - (3) किसी भी समय स्कीम को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा रद्द कर सकेगी।
 - 61. जल समिति की नियुक्ति:-
 - (1) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्कीम के लागू हो जाने पर राज्य सरकार स्कीम को निष्पादित करने के लिए एक जल समिति की नियुक्ति करेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त नहर पदाधिकारी

के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहेगी।

- (2) जल समिति में पाँच या यथाविहित व्यक्ति होंगे जिनकी नियुक्ति स्कीम में सम्मिलित की गई भूमि के स्वामियों एवं अधिभोगियों में से की जायेगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी पदाधिकारी द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जा सकेगी।
- (4) समिति के सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से सामान्यत: दो वर्षो की अवधि तक पद धारण करेंगे।
- (5) समिति के सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और राज्य सरकार समिति के सभी या किसी भी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा समाप्त कर सकेगी।
- (6) जल समिति समय समय पर बैठक कर सकेगी और अपने कार्य सम्पादन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।
- (7) जल समिति:-
 - (क) इस स्कीम में शामिल भूमि के लिए सिंचाई-संकर्म का प्रबंध और समुचित जल वितरण सुनिश्चित करेगी,
 - (ख) स्कीम के उपबंध के अनुसार किसी अवधि में या किन अवधियों के दौरान कौन सी फसलें उपजाई जायेंगी, इसका निर्णय करेगी,
 - (ग) सिंचाई संकर्म का दिन-प्रतिदिन अनुरक्षण एवं मरम्मत करायेगी,
 - (घ) सिंचाई संकर्म की सिंचाई प्रणाली को निर्गम मार्ग से आगे ठीक से जलापूर्ति करने की स्थिति में बनाये रखेगी।
 - (ड.) नहर पदाधिकारी को:-
 - (i) सिंचाई संकर्म तथा उससे संबंधित भूमि पर अतिक्रमण को पता लगाने एवं रोकने में.

- (ii) सिंचाई संकर्म में हो रही जिसे को रोकने के लिए,
- (iii) सिंचाई संकर्म में हुई किसी क्षति की मरम्मत करने के
 लिए सहायता करेगी,
- (च) जल समिति को जल का अनाधिकृत उपयोग करने अथवा बिना पारी के जल का उपयोग करने अथवा स्कीम के उपबंधों के प्रतिकूल फसल उगाने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।
- (छ) इसे दी गई रकम का लेखा जोखा ऐसी रीति से रखेगी जैसी
 कि विहित की जाय।
- (8) शास्ति के रूप में एक हजार रूपये से अनधिक का जुर्माना भी शामिल हो सकेगा।
- (9) जल समिति के निर्णयो से व्यथित कोई व्यक्ति, जल समिति का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर नहर पदाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा।
- (10) राज्य सरकार, आदेश की तारीख से दो वर्षो के पश्चात् जल समिति या सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के ऐसे आदेश के अधीनस्थ की गई जाँच पड़ताल या की गई कार्यवाही के अभिलेख को किये गये किसी विनिश्चय या दिये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अथवा कार्यवाही की नियमित्ता के बारे में अपना संमाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगाकर उसकी जाँच पड़ताल कर सकेगी तथा वह जल समिति या ऐसे किसी पदाधिकारी के आदेश को मान्य ठहराने, बातिल करने, उपांतरित करने या उल्टा करने के लिए कोई आदेश पारित कर सकेगी :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कोई आदेश तबतक नहीं दिया जायेगा जबतक कि ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर न दिया जाय।

- (11) यदि किसी समय राज्य सरकार की राय हो -
 - (क) कि जल समिति ने इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन इस पर अधिरोपित कृत्यों के अनुपालन में बार-बार व्यतिक्रम किया है, या
 - (ख) कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके चलते लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जल समिति को दो वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, अवक्रमित कर सकेगी।

परन्तु यह कि खंड (क) में उल्लिखित कारणों से इस उप-धारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य सरकार जल समिति को यह कारण बताने के लिए कि क्यों नहीं उसे अवक्रमित कर दिया जाय, उचित अवसर देगी तथा जल समिति के स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करेगी।

- (12) उप-धारा (11) के अधीन जल समिति को अवक्रमित करनेवाली किसी अधिसूचना के प्रकाशित होने पर -
 - (क) अवक्रमण की तारीख से सभी सदस्य उस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे;
 - (ख) ऐसी सभी शक्तियाँ, कृत्य एवं कर्त्तव्य जिनका प्रयोग, निष्पादन या निर्वाहन जल समिति द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किया गया हो, उनका प्रयोग, अनुपालन या निर्वाहन उप-धारा (13) के अधीन जल समिति पुनर्गठित नहीं होने तक नहर पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दें।
 - (ग) उप-धारा (13) के अधीन जल समिति के पुनर्गठित होने तक जल समिति के स्वामित्व की या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी।

- (13) उप-धारा (11) के अधीन निर्गत अधिसूचना · विनिर्दिष्ट अवक्रमण की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार:-
 - (क) अवक्रमण की अवधि को छ: माह से अनधिक अतिरिक्त अवधि
 के लिये बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे, अथवा
 - (ख) नई नियुक्ति कर के जल समिति का पुनर्गठन कर सकेगी और
 ऐसे मामले में कोई व्यक्ति जिसने उप-धारा (11) के खंड (क)
 के अधीन अपना पद रिक्त किया है, नियुक्ति के लिये अयोग्य
 नहीं समझा जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अवक्रमण की अवधि समाप्त होने के पूर्व, चाहे वह अवधि उप-धारा (1) के अधीन मूलत: अवक्रमित हो यथवा इस उप-धारा के अधीन बढ़ाई गई हो, किसी भी समय इस उप-धारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

अध्याय - XI

जल-दर और कर

62. जल के लिये प्रभार - जब कभी -

- (क) राज्य सरकार के या उसके द्वारा निर्मित या उसकी ओर से किसी सिंचाई संकर्म से सिंचाई, नगरपालिका आपूर्त्ति, औद्योगिक या व्यापारिक प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्त्ति की जाती हो, उपलब्ध कराया जाता हो, या उपयोग में लाया जाता हो, और
- (ख) किसी ऐसे संकर्म का जल सीधे प्रवाह या रिसन द्वारा अथवा अप्रत्यक्ष प्रवाह, आसन्न भूमि से या उससे होकर रिसन या जल निकास द्वारा कृषि योग्य भूमि को सिंचित करता हो अथवा किसी जलाशय में गिरता हो और उसके बाद सीधे प्रवाह या रिसन या अप्रत्यक्ष प्रवाह द्वारा आसन्न भूमि से या उससे होकर रिसन या जल-निकास द्वारा किसी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करता हो और प्रमंडलीय पदाधिकारी की राय में ऐसी सिंचाई ऐसी भूमि पर लगी फसलों के लिये लाभप्रद हो, तो सरकार ऐसे जल के लिये पश्थक प्रभार की उगाही करने का हकदार होगी, जो इसके बाद जलकर के नाम से निर्दिष्ट है और सरकार वे दरें विहित कर सकेगी जिनपर ऐसी जल-दरें उद्गृहित की जाएंगी जो -
 - (i) सिंचाई या जल निकास संकर्म के परिचालन और अनुरक्षण के खर्चा को धयान में रखते हुए आपूरित किये गये, उपलव्ध करायें गये या उपयोग में लाये गये जल के संबंध में भिन्न हो सकती है:

- (ii) विभिन्न प्रयोजनों के लिए आपूरित किये गये, उपलब्ध कराये गये या उपयोग में लाये गये जल के संबंध में भिन्न हो सकती है,
- (iii) किसी भूमि पर उपजाई गई फसल या फसलों के लिए अथवा ऐसी भूमि पर जो फसल उपजाई जाय, उसके लिए उस भूमि की सिंचाई के लिए आपूरित किये, उपलव्ध कराये गये और उपयोग में लाये गये जल के संबंध में भिन्न हो सकती है;
- (iv) जलापूर्त्ति को मात्रा, समय पर जलापूर्त्ति या सिंचाई की संख्या के संबंध में भिन्न हो सकती है।

63. जल प्रभार का निर्धारण:-

नहर पदाधिकारी उन उद्देश्यों के लिए जल प्रभार का निर्धारण करेगा जिसके लिए किसी सिंचाई संकर्म से जलापूर्ति की गई, जल उपलब्ध कराया गया या उसके जल को उपयोग में लाया गया तथा उसे भू-स्वामी या अधिभोगी को तामील करेगा।

64. निर्धारण के विरूद्ध अपील:

नहर पदाधिकारी के निर्धारण-आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील आदेश के पारित होने के इक्कीस दिनों के भीतर विहित रीति से प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के पास की जायगी।

65. मांग की नोटिस:-

जैसे ही धारा 63 के अधीन निर्धारण किया जाय अथवा जहाँ धारा 64 के अधीन अपील की गई हो और उसका निपटारा कर दिया गया हो, वहाँ नहर पदाधिकारी निर्धारित जल-प्रभार की रकम के लिए विहित रीति से मांग-नोटिस तामील करेगा।

66. राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि:-

जिस किसी व्यक्ति पर मांग–नोटिस तामील की गई हो, वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे भुगतान करने का दायी होगा।

67. जल के अनधिकृत उपयोग से लाभान्वित होनेवाली भूमि के अधिभोगियों का दायित्वः-

यदि नहर के जल का अनधिकृत रीति से उपयोग किया जाय तथा यदि ऐसे व्यक्ति की जिसके कार्य या उपेक्षा से ऐसा उपयोग किया गया हो, पहचान न की जा सके तो ऐसी भूमि, जिसपर ऐसा जल प्रवाहित हुआ हो और यदि ऐसी भूमि को उससे लाभ हुआ हो तो उसका अधिभोगी ऐसे उपयोग के लिए प्रभार का दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

स्पष्टीकरण – जल का अनधिकृत रीति से उपयोग किया जाना तभी कहा जायेगा जब किसी नहर निर्गम मार्ग या ग्राम जल-सरणी अथवा सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र या संभावित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध या इस निमित्त किसी नहर पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का उल्लंघन करते हुए जल लिया जाय।

68. जल के बर्बाद हो जाने पर दायित्व:-

- (1) यदि किसी ग्राम जल-सरणी से आपूरित किया गया जल बर्बाद हो जाय और यदि, नहर पदाधिकारी द्वारा जाँच की जाने के बाद भी यह पता न चल सके कि किस व्यक्ति के कार्य की उपेक्षा से जल बर्बाद हुआ उस समय जमीन पर लगी फसल के लिए ऐसी ग्राम-जल-सरणी से आपूरित किये गये जल के संबंध में प्रभार्य सभी व्यक्ति इस प्रकार बर्बाद हुए जल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रभार के संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस धारा तथा अंतिम पूर्ववत्तीं धारा के अधीन उठने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय नहर पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन किया जायेगा।

69. शास्ति के अतिरिक्त वसूलनीय प्रभार:-

जल के अनधिकृत उपयोग के लिए सभी प्रभार को उस पर देय जल की दर समझा जायेगा तथा ऐसे उपयोग या ऐसी बर्बादी के कारण उपगत किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसी जल की दर के रूप में वसूल की जा सकेगी।

70. शोध्य की वसूली के लिए संविदा:-

नहर पदाधिकारी किसी व्यक्ति के साथ, किसी तीसरे पक्षकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन भुगतेय किसी राशि को ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल कर सरकार को भुगतान करने के लिए करार कर सकेगा।

71. नौपरिवहन मार्गो पर पथकर:-

इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित रीति से ऐसी दरों पर, जैसी कि निर्धारित की जाय, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी नौपरिवहन मार्ग में प्रवेश करने वाले या इससे होकर गुजरने वाले सभी जलयानों पर पथकरों का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे पथकर तभी तक देय होंगे जबतक कि ऐसा मार्ग नौपरिवहन के निमित्त खुला रहेगा।

72. राज्य सरकार पथकरों की दरें नियत और परिवर्तित कर सकेगी:-

राज्य सरकार ऐसी दरों को नियत और समय-समय पर उसमें परिवर्तन कर सकेगी जिनपर ऐसे पथकर उद्गृहीत किये जायेंगे।

73. पथकर दरों का प्रकाशनः-

पथकर की दरों तथा उसकी वसूली के स्थानों से संबंधित अधिसूचना ऐसे प्रत्येक पथकर केन्द्र पर जनसाधारण के अवलोकनार्थ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में प्रदर्शित की जायेगी।

- 74. राज्य सरकार द्वारा पथकर वसूली के लिए वैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना, जो ठेके पर पथकर की वसूली करा सकेगा:-
- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन पथकर की वसूली के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी कि जिन्हें वह उपयुक्त समझे और इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि राज्य सरकार की मंजूरी से किसी अन्य व्यक्ति से ठेके पर पथकर की वसूली करावे या वैसी वसूली करने में किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित करे।
- (2) ऐसे व्यक्ति को, जिससे ठेके पर पथकरों की वसूली कराया जा सकेगा या जिसे उनकी वसूली में नियोजित किया जा सकेगा, उसी रीति से पथकर वसूलने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होने की शक्ति होगी जिस प्रकार पूर्वोक्त नियुक्त किसी व्यक्ति को है।
- 75. पथकरों की अदायगी:-
- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी जलयान के संबंध में कोई देय पथकर उसे वसूलने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग की जाने पर अदा नहीं किया जायेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे जलयान और इसके किसी उपस्कर को जब्त करके और उन्हें निरूद्ध कर ले।
- (2) ऐसे व्यक्ति जब्ती और निरोध के चौबीस घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट निकटतम जिला के, जिसमें जब्ती की गई हो समाहर्त्ता या उप-समाहर्त्ता को अथवा उस निमित्त सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य लोक पदाधिकारी को करेगा।

(3) इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर समाहर्त्ता, उप-समाहर्त्ता या पूर्वोक्त अन्य पदाधिकारी उक्त जलयान और उसके किसी उपस्कर की बिक्री के लिए कोई तारीख नियत कर एक नोटिस प्रकाशित करेगा।

- (4) बिक्री की नोटिस के प्रकाशन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिनों के बाद बिक्री की जायेगी और यदि पथकर को तथा अदायगी न करने से हुए व्यय को अदा नहीं किया जाय अथवा अदायगी नहीं करने का पर्याप्त कारण बिक्री के पूर्व समाहर्त्ता, उप-समाहर्त्ता या पूर्वोक्त अन्य पदाधिकारी को न बताया जाय, तो ऐसा पदाधिकारी जलयान और जब्त किये गये उपस्कर या उसके उतने भाग को बेच देगा जितना पथकर के तथा अदायगी न करने से हुए व्यय को अदा करने के लिए आवश्यक हो।
- (5) जब्त की गई सम्पति के उतने भाग को, जो बेचा न गया हो तथा बिक्री आगम के उतना भाग को, जितना पथकर पूरा करने और अदायगी न करने से हुए व्यय को चुकाने के लिए आवश्यक राशि से अधिक हो, जलयान के प्रभारी व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा।

अध्याय - XII

सुधार अंशदान का उद्ग्रहण

76. हिताधिकारियों द्वारा सुधार अंशदान अदा करनाः-

(1) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार वैसे स्वामी से सुधार अंशदान नामक कर उद्गृहीत किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा किसी सिंचाई संकर्म के निर्माण, विस्तार, सुधार या परिवर्तन से लाभान्वित होते हैं।

> स्पष्टीकरण - (1) लाभ का उपभोग नहीं किये जाने पर भी किसी भूमि को लाभान्वित माना जायेगा, वशर्ते कि ऐसा अनुपभोग ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से बरती गई सक्रियता या निष्क्रियता के कारण ही हुआ है।

> स्पष्टीकरण – (2) राज्य सरकार के खर्च पर पूर्णत: या अंशत: किसी सिंचाई संकर्म की मरम्मत और अनुरक्षण के निष्पादन के कारण ही किसी भूमि का लाभान्वित होना नहीं माना जायेगा।

(2) सुधार अंशदान के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ विहित पदाधिकारी अधिसूचना द्वारा किसी सिंचाई संकर्म के निर्माण, विस्तार, सुधार या परिवर्त्तन के कार्य का प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने की तारीखों तथा जिस तारीख को ऐसी भूमि को जल उपलब्ध कराया जाता हो, उसके आधार पर किसी सिंचाई संकर्म के प्रारम्भ एवं समाप्त होने की विभिन्न तारीखों को विनिर्दिष्ट करेगा।

77. सुधार अंशदान का निर्धारणः-

(1) किसी भूमि के संबंध में देय सुधार अंशदान की रकम सिंचाई संकर्म के निर्माण, विस्तार या सुधार या परिवर्तन की कुल लागत का राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भाग के बराबर होगा :

> परन्तु यह कि किसी भूमि के संबंध में देय सुधार अंशदान की रकम प्रति हेक्टेयर उतनी से अधिक नहीं होगी जितनी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय :

परन्तु यह और कि सिंचाई संकर्म के निर्माण, विस्तार, सुधार या परिवर्तन की कुल लागत के विभिन्न भाग तथा सुधार अंशदान के प्रयोजनार्थ विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत आनेवाली विभिन्न भूमियों के लिये प्रति हेक्टेयर विभिन्न दरें सरकार द्वारा विहित की जा सकेंगी;

परन्तु यह और भी किसी भूमि के संबंध में सुधार अंशदान उद्गृहनीय नहीं होगी-

- (क) जिस तारीख को जल उपलब्ध कराया जाय उससे पांच वर्ष पूर्वतर नहीं,
- (ख) जो कृषि योग्य नहीं हो,
- (ग) वैसे किसी सिंचाई संकर्म के जो चालीस हेक्टेयर से अधिक
 भूमि की सिंचाई करने में सक्षम नहीं हो निर्माण, विस्तार, सुधार
 या परिवर्तन से लाभान्वित भूमि।
- (2) किसी सिंचाई संकर्म के संबंध में धारा 76 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् यथाशीघ्र सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी एक विवरण तैयार करेगा जिसमें वैसे सिंचाई संकर्म के, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सुधार अंशदान देय है, सिंचाई योग्य कमांड के अधीन भूमि को तथा विभिन्न भूमियों की हो सकने वाली सिंचाई के स्वरूप और मात्रा को दर्शाया जायेगा।
- (3) इस प्रकार तैयार किये गये विवरण को एक सार्वजनिक नोटिस के साथ ग्राम एवं प्रखंड कार्यालय में ऐसी यथा विहित अन्य रीति से प्रकाशित किया जायेगा तथा ऐसी नोटिस में सिंचाई संकर्म के खेती योग्य कमांड क्षेत्र के अधीन भूमि के स्वामियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी के समक्ष उसमें उल्लिखित स्थान और समय पर जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से एक माह से पहले नहीं होगा, या तो स्वयं या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होकर निम्नलिखित के संबंध में :-

- (क) (i) सिंचाई संकर्म के सिंचाई योग्य कमांड के अधीन भूमि के
 रूप में विवरण में भूमि को सम्मिलित किये जाने पर,
 - (ii) किसी विर्निदिष्ट स्वरूप की भूमि के रूप में विवरण में भूमि को सम्मिलित किये जाने और सिंचाई हो सकने की मात्रा पर अपनी आपत्ति, और
- (ख) सुधार अंशदान की अदायगी के संबंध में, वह आधार जिसपर वे दावा करते हों कि सुधार अंशदान की रकम की संगणना की जानी है का अभिकथन तथा ऐसा कथन लिखित रूप में किया जायेगा और इसपर पक्षकार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।
- (4) सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी ऐसी भूमि के स्वामी या उसकी ओर से प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत अभिकर्त्ता को, जो ऐसे राजस्व जिला के भीतर रहता हो जिसमें भूमि अवस्थित हो, उसी आशय की नोटिस भी तामिल करेगा तथा यदि कोई स्वामी अन्यत्र रहता हो और उसे ऐसा कोई अभिकर्त्ता न हो, तो उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भेजी जायेगी।
- (5) उप-धारा (3) के अधीन नियत तारीख को अथवा ऐसी अन्य तारीख को जब जांच स्थगित की जाय तब विहित रीति से जांच करने तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् जिसमें उप-धारा (3) के अधीन कथन किया हो सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी यह विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश देगा –

(क) उक्त भूमियों के संबंध में देय सुधार अंशदान की रकम, तथा

(ख) ऐसी तारीख जिससे ऐसा सुधार अंशदान देय होगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से माठ दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा तथा प्राधिकारी अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

- (7) उप-धारा (6) के अधीन की गयी अपील पर विहित पा^{रिक}ारी द्वारा पारित आदेश तथा प्राधिकारी के आदेशों के अधयधीन उप-धारा (5) के अधीन सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी के आदेश अंतिम होंगे।
- (8) जिस वर्ष में उप-धारा (1) के अधीन अंशदान का अंतिम रूप से अवधारण किया जाय उससे प्रत्येक चार वर्षों की समाप्ति पर ऐसे अंशदान की कोई भावी किस्त का पुनरीक्षण उसी आधार पर किया जा सकेगा जैसा कि उक्त उप-धारा में उपबंधित किया गया है।
- (9) यदि राज्य सरकार की राय में इस अध्याय के सभी या किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से किसी मामले या मामलों में कठिनाई हो, तो राज्य सरकार उसका आधार बताते हुए अधिसूचना द्वारा ऐसे मामले या मामलों को स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिये इस अध्याय के सभी या किसी उपबन्ध से ऐसी शर्त, यदि कोई हो, के अध्यधीन जिसे सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, छूट दे सकेगी।
- 78. सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी स्वामी पर मांग की नोटिस तामील करेगा:-इस अध्याय के अधीन सुधार उद्ग्रहण पदाधिकारी द्वारा निर्गत अंशदान का मांग संबंधी लिखित नोटिस, स्वामी को तामील की जाने पर अंशदान देय होगा :

परन्तु यह कि स्वामी को मांग नोटिस तबतक तामील नही की जायगी, जबतक कि धारा 77 की उप-धारा (5) के अधीन दिया गया आदेश अंतिम न हो :

परन्तु यह और कि जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संकर्म के निर्माण, विस्तार, सुधार या परिवर्तन को पूरा होने की तारीख से पांच या उससे अधिक वर्ष बीत गये हों, वहां ऐसी नोटिस ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय तामील की जा सकेगी।

79. सुधार अंशदान को राजस्व अंशदान माना जानाः-

(1) ऐसे किसी भूमि के संबंध में अंशदान देय हो, तो उसका स्वामी इसकी अदायगी नगद रूप में बीस से अनधिक ऐसी वार्षिक किस्तों में करेगा जैसा कि विहित की जाय :

> परन्तु जिस तारीख को या जिस तारीख के पूर्व पहली किस्त देय हो अथवा उस तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर पश्चात्वर्ती तारीख को यदि स्वामी यथास्थिति, संपूर्ण अंशदान या अंशदान का अतिशेष अदा कर दे, तो वह, यथा स्थिति, ऐसे अंशदान या अंशदानके अतिशेष पर ऐसी छूट का हकदार होगा जैसा कि विहित की जाय।

- (2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के संबंध में देय अंशदान उक्त भूमि
 पर देय राजस्व मांग माना जायगा।
- 80. भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति अंशदान अदा कर सकेगा:-

किसी भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, ऐसा भूमि का स्वामी नहीं होने पर भी, ऐसी भूमि के संबंध में स्वामी द्वारा देय अंशदान अदा कर सकेगा तथा यदि ऐसा व्यक्ति जिस तारीख को स्वामी अंशदान के भुगतान का दायी हो उस तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर संपूर्ण अंशदान अदा कर दे, तो वह ऐसी छूट का हकदार होगा जैसा कि विहित की जाय।

81. सिंचाई संकर्म में जलापूर्त्ति बन्द या अवरूद्ध होने के कारण दावा:-किसी सिंचाई संकर्म में अस्थायी तौर पर जलापूर्त्ति बन्द या अवरूद्ध हो जाने पर अथवा प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के नियंत्रण के परे किसी कारणवश अथवा ऐसे संकर्म में किसी तरह की मरम्मत, परिवर्द्धन या परिवर्तन के चलते नुकसान के फलस्वरूप मुआवजा अथवा सुधार अंशदान की वापसी के लिये राज्य सरकार से कोई दावा नहीं किया जायेगा।

अध्याय - XIII

अपराध और शास्तियां

82. अधिनियम के अधीन अपराध:-

जो कोई स्वेच्छा और बिना उचित प्राधिकार के निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है :-

- (क) किसी सिंचाई संकर्म को नुकसान पहुंचाता है, उसमें परिवर्तन करता या विस्तार करता है अथवा रूकावट डालता है अथवा उसका अतिक्रमण करता है या ऐसे किसी संकर्म में किसी उपाय से जलस्तर को उँचा करता है या निम्न करता है;
- (ख) किसी सिंचाई संकर्म से, उससे होकर या उसके उपर से या नीचे से जलापूर्त्ति में वृद्धि या कमी करता है या विघ्न डालता है;
- (ग) किसी नदी या सरिता के जल के प्रवाह में विघ्न डालता हो अथवा उसमें परिवर्तन करता हो जिससे कि किसी सिंचाई संकर्म को खतरा पैदा होता हो या नुकसान पहुंचता हो अथवा जिससे उसकी उपयोगिता में कमी आती हो;
- (घ) किसी ग्रम जल-सरणी के अनुसंरक्षण अथवा उपयोग के लिए उत्तरदायी हो और उससे जल की बर्बादी रोकने के लिए समुचित सावधनी बरतने में उपेक्षा करता हो अथवा उसके जल के प्राधिकृत वितरण में विघ्न डालता हो अथवा ऐसे जल का अप्राधिकृत ढंग से उपयोग करता हो अथवा दूसरों को इस जल-सरणी के उपयोग की अनुमति देने से इंकार करता हो;
- (ड.) किसी नहर के पानी को इस प्रकार गंदा या दूषित करता है, जिससे कि वह जिस प्रयोजन में साधरणतया उपयोग में आता है, उसमें उसकी उपयोगिता में कमी हो जाय:

- (च) किसी सरकारी सेवक के प्राधिकार द्वारा नियत किया हुआ स्तर चिन्ह अथवा जलमापी को विनष्ट या विकृत करता हो या खिसका देता हो;
- (छ) किसी सिंचाई संकर्म में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले अथवा विनियमित करने वाले किसी संयंत्र के किसी भाग को विनष्ट करता हो अथवा उसे हटा देता हो:
- (ज) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल वह विहित स्थानों को छोड़कर किसी नहर के संकर्मो, तटबन्धों अथवा जल-सरणियों से किसी प्रकार की गाडी़ को पार करवाता हो;
- (झ) नहर अधिकारी के अनुमति के बिना ही जानबूझकर या स्वेच्छा से ऐसे तटबंधें पर लगी हुई घास अथवा अन्य वनस्पतियों को उखाड़ता हो अथवा कोई वृक्ष, झाड़ी, घास अथवा बाड़ों, जो ऐसे तटबंधें की सुरक्षा के लिये आशयित हो, को हटाता हो, काटता हो या किसी तरह से उन्हें क्षति पहुंचाता हो अथवा उनको इधर-उधर हटवाता हो अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुंचवाता हो;
- (त्र) राज्य सरकार द्वारा विहित नियमावली के प्रतिकूल किसी सिंचाई संकर्म में किसी जलयान को प्रवेश करने देता हो अथवा नौ-परिवहन करवाता हो;
- (ट) ऐसे किसी सिंचाई संकर्म में नौ-परिवहन के समय सिंचाई निर्माण और उसपर चलने वाले जलयान की सुरक्षा के लिये उचित पूर्वीपाय करने में उपेक्षा बरतता हो;
- (ठ) विधित: आबद्ध होते हुए भी किसी मरम्मत अथवा निर्माण के
 निष्पादन से संबंधित कर्त्तब्यों के सम्पादन में बिना युक्तियुक्त
 कारणों से उपेक्षा करता हो;
- (ड) इस अधिनियम के अधीन निर्गत अधिसूचना का उल्लंघन कर कोई
 फसल उपजाता हो अथवा उपजाने की अनुमति देता हो;

- (ढ) अनुमति प्राप्त किये बिना किसी सिंचाई संकर्म से जल का उपयोग करता हो;
- (ण) इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी तटबंध, मकान, झोपड़ी अथवा अन्य भवन को हटाने और समतल करने में अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का विधिक प्रयोग करने में जान-बूझकर विघ्न डालता हो;
- (त) अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी ऐसे नियम जिसे भंग करने
 पर शास्ति का विधान किया गया हो, का अतिक्रमण करता हो;
- (थ) समाहर्त्ता की पूर्व अनुमति के बिना नये तटबंध को बनाता हो अथवा बनवाता हो अथवा स्वेच्छापूर्वक बनाने की जान-बूझकर अनुमति देता हो अथवा किसी विद्यमान तटबंध में परिवर्तन करता हो;
- (द) जान-बूझकर नौ-परिवहन कार्य में बाधा उत्पन्न करता है या बाधा
 उत्पन्न करने में सहायता करता है या ऐसे नौ-परिवहन मार्ग के
 निर्माण को क्षति पहुंचाता है;

तो दोष सिद्ध होने पर अधिकतम पांच सौ रूपये तक जुर्माना अथवा छ: महीनों से अनधिक अवधि के लिये कारावास अथवा दोनों का दायी होगा।

परन्तु धारा 91 के अन्तर्गत कर्तब्य की उपेक्षा के लिए दोष सिद्ध होने पर अधिकतम पांच सौ रूपये तक जुर्माना अथवा एक माह से अनधिक अवधि के लिए कारावास अथवा दोनों का दायी होगा।

83. अन्य अपराध:- नहर पदाधिकारी के प्राधिकार के बिना कोई भी -

(क) किन्हीं बाढ़रोधी तटबंधें में भेदन करता हो अथवा उन्हें काटता हो अथवा भेदन करने अथवा काटने की कोशिश करता हो अथवा उन्हें अन्यथा क्षति पहुंचाता हो, विनष्ट करता हो या उनके स्थायित्व को खतरे में डालता हो;

- (ख) ऐसे किन्हीं तटबंधों के किसी स्लूइस को खोलता या बंद करता
 हो अथवा रूकावट डालता हो अथवा उसे खोलने या बंद करने
 या रूकावट डालने की कोशिश करता हो;
- (ग) जहां बाढ़रोधी तटबंध हो वहां नदी के किनारों पर, नदी की धारा को बदलने या रोकने के प्रयोजन से किसी तरह का बांध बनाता हो अथवा अन्य तरह बाधा डालता हो अथवा नहर पदाधिकारी द्वारा कहे जाने पर भी ऐसे किसी बांध अथवा रूकावट को हटाने से इन्कार या उपेक्षा करता हो;

तो सिद्ध हो जाने पर दो हजार रूपये से अनधिक जुर्माना अथवा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दायी होगा।

84. बाधा हटाना और नुकसानी की मरम्मत -

- (1) अंतिम दोनों पूर्ववर्ती धाराओं में किसी के अधीन अपराध के लिए जब किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध करार किया गया हो, तब दोष सिद्ध करार करने वाला दंडाधिकारी यह आदेश कर सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसे आदेश में नियत अवधि के अन्दर उस बाधा जिसके लिये दोष सिद्ध करार किया गया हो, को हटायेगा या नुकसानी की मरम्मत करायेगा।
- (2) यदि वह व्यक्ति नियत अवधि के भीतर इस आदेश की उपेक्षा करता हो अथवा पालन करने से इन्कार करता हो, तो नहर पदाधिकारी ऐसी बाधा को हटा सकेगा अथवा नुकसानी की मरम्मत कर सकेगा और बाधा हटाने या मरम्मत करने की लागत की वसूली ऐसे व्यक्ति से लोक मांग के रूप में लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बंगाल एवं उड़ीसा अधिनियम 1914 का 4) द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन समाहर्त्ता द्वारा की जा सकेगी।
- 85. नहर पर नियुक्त कर्मचारी अपराधियों को हिरासत में ले सकेगा:-किसी नहर का प्रभारी अथवा नियुक्त कर्मचारी, किसी वैसे व्यक्ति जो उसकी नजर में निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता हो, को नहर की जमीन

अथवा भवन से निकाल सकता है अथवा बिना वारंट के ही उसे हिरासत में ले सकता है ओर विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई करने के लिए उसे तुरत किसी दंडाधिकारी के समक्ष अथवा सबसे नजदीक वाले थाने में ले जा सकता है-

- (क) किसी नहर को जान-बूझकर नुकसान पहुंचाता है अथवा उसमें बाधा उत्पन्न करता हो;
- (ख) उचित प्राधिकार के बिना किसी नहर में अथवा किसी नदी अथवा जलधारा में या उससे पानी की आपूर्त्ति या बहाव में इस तरह विघ्न डालता हो कि नहर खतरनाक बन जाय अथवा उसकी उपयोगिता में कमी आ जाय।
- 86. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकरः-

जब इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति को जुर्माना किया जाय तब न्यायालय ऐसे जुर्माने की पूरी राशि या उसका कोई अंश इस अपराध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति या उस व्यक्ति जिसकी सूचना पर अपराध का पता लगा हो अथवा अपराधी की दोष सिद्ध हुई हो, को प्रतिकार के रूप में देने का निदेश दे सकेगा।

87. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृतिः-

इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजन से नहीं रोकेगी।

88. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे:-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट कोई भी बात होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

89. जब अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तब प्रक्रियाः-

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करनेवाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो अपराध किये जाने के समय, इस कंपनी का प्रभारी तथा कम्पनी के कारोबार के संचालन

के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति इस अपराध के लिये दोषी समझे जायेंगे और उन सभी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी और तदनुसार दण्डित किये जायेंगे :

परन्तु यह कि इस उप-धारा के अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का दायी नहीं बनायेगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है अथवा उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये उचित तत्परता अपनायी हो।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या मनोनुकूलता या उपेक्षा के फलस्वरूप हुआ हो, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य पदाधिकारी भी इस अपराध के लिए दोषी माना जायेगा और तदनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई चलाये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा।

> स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनार्थ (क) कम्पनी से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और उसमें शामिल है - कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ, और (ख) किसी फर्म के संबंध में निदेशक से अभिप्रेत है उस फर्म का कोई भागीदार।

90. अपराधों के लिये प्रतिकार:-

इस अधिनियम के अधीन शक्ति प्रदत्त कोई नहर पदाधिकारी, किसी व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि उसने इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, तो ऐसे अपराध के प्रतिकार के रूप में विहित राशि जो दो हजार रूपये से अधिक न हो, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन उपस्थित कराने के पूर्व स्वीकार कर सकेगा।

अध्याय - ४।४

आपात स्थिति में सिंचाई संकर्म के लिये श्रमिक एवं सामग्री प्राप्त करना

- 91. आपात स्थिति में स्थानीय क्षेत्र से श्रमिक के लिये नहर पदाधिकारी का अधिकार:-
- (1) जब कभी प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या उसके सामान्य या विशेष, आदेश के अधीन कार्यरत किसी पदाधिकारी को ऐसी प्रतीत हो कि जबतक मरम्मती या कुछ कार्य का निष्पादन तत्काल नहीं करीया जाता है, तब कोई सिंचाई संकर्म इतना गंभीर रूप में क्षतिग्रस्त हो जायेगा कि उससे अचानक तथा व्यापक सार्वजनिक क्षति हो या किसी सुव्यवस्थित सिंचाई कार्य में गंभीर अवरोध हो, और यथोचित समय के अन्दर वैसी क्षति या अवरोध को रोकने या उसे दूर करने हेतु उसके समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक श्रमिक सामान्य रीति से समय पर प्राप्त नहीं किये जा सके, तब प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या उक्त आदेश के अधीन कार्यरत कोई पदाधिकारी धारा 92 में सूचीबद्ध श्रमिकों को, ढोल पिटवाकर सार्वजनिक घोषणा द्वारा, जो कार्य निष्पादित होने वाले क्षेत्र से आठ किलोमीटर के अन्दर किसी ग्राम में रहता हो किसी विशिष्ट सिंचाई संकर्म की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित उसको आवंटित कर्त्तब्य का निर्वाह करने के लिये बुला सकेगा।
- (2) इस प्रकार श्रम करनेवाले सभी व्यक्ति उंस दर पर भुगतान पाने के हकदार होंगे जो सम्प्रति पास-पड़ोस में समान श्रॉमक को भुगतेय उच्चतम दर से कम नहीं होगा।
- (3) यदि वितरिकाओं, उप-वितरिकाओं या लघु वितरिकाओं का प्रबंध इस अधिनियम के अनुसार जल उपयोगकर्ता संघ को सौंपा जाय, तो जल उपयोगकर्ता संघ प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के आदेशाधीन और जल उपयोगकर्ता संघ की अधिकारिता में उसकी ओर से कार्य करनेवाला एक अभिकरण (एजेंसी) होगा तथा तद्नुसार कार्य कर सकेगा और आपात स्थिति में सिंचाई संकर्म के लिए श्रमिकों और सामग्रियों को प्राप्त करने से संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार से सहायता की मांग कर सकेगा।
92. ऐसे श्रमिकों की सूची तैयार करनाः-

इस निमित्त यथानिर्मित ऐसे नियमों के अध्यधीन प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी यथोक्त कर्त्तब्यों को पूरा करने के इच्छुक एवं काम करने के योग्य श्रमिकों की सूची तैयार करेगा तथा समय-समय पर ऐसी सूची या उसके किसी भाग में परिवर्तन या परिवर्द्धन करेगा।

93. नहर पदाधिकारी आपात स्थिति में कार्य के लिये अपेक्षित सामग्रियों को कब्जा में ले सकेगा:-

जब कभी प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या उसके सामान्य या विशेष आदेश के अधीन इस निमित्त कार्यरत किसी पदाधिकारी को यह लगे कि निर्माण में क्षति द्वारा हुई सार्वजनिक हानि को रोकने के लिए किसी सिंचाई संकर्म पर अत्यावश्यक निर्माण को पूरा कराना आवश्यक है, तो वह तुरत मरम्मत या अन्य कार्य की अपेक्षा रखने वाले सिंचाई संकर्म के पड़ोस के किसी अचल सम्पति पर या उसमें प्रवेश कर सकेगा तथा किसी वृक्ष, लकड़ी, बांस, चटाई, रस्सी, पुआल, मिट्टी, पत्थर एवं अन्य सामग्रियों को ले सकेगा तथा उनपर कब्जा कर सकेगा और लाई गई सामग्रियों की सूची तैयार करेगा, उन सामग्रियों के लिए उस उच्चतम मूल्य का भुगतान किया जायेगा जितने पर वे पास-पड़ोस में बिकती हों और यदि इस प्रकार की किसी सामग्री को हटाने, अभिग्रहण करने या काटने के क्रम में किसी व्यक्ति को नुकसान हो तो नहर पदाधिकारी द्वारा क्षतिपूर्त्ति का भुगतान किया जायेगा।

94. मजदूरी निर्धारण से व्यथित श्रमिक द्वारा अपील:-

धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन मजदूरी निर्धारण से व्यथित कोई व्यक्ति साठ दिनों के भीतर अधीक्षण अभियंता के समक्ष, जिनका निर्णय अंतिम होगा, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

अध्याय - XV

सिंचाई संकर्म की सुरक्षा

95. सिंचाई संकर्म पर अतिक्रमण का निषेध:-

जैसा विहित किया जाय, कोई भी व्यक्ति, बिना नहर पदाधिकारी की अनुमति के -

- (क) सिंचाई संकर्म में बाधा या उसपर अतिक्रमण नहीं करेगा, अथवा
- (ख) किसी सिंचाई संकर्म के उपर या नीचे प्रवाहित होनेवाली किसी सरणी या जलधारा पर मिट्टी या ईट-पत्थर का बांध या बंधारा का निर्माण नहीं करेगा।
- 96. सिंचाई संकर्म के उपर निर्माण:-
- (1) ऐसा प्रत्येक मालिक जिसका टैंक, कुआं, तालाब, श्रोत तालाब, या अन्य जलाशय, किसी सिंचाई संकर्म से उपर अवस्थित है, वह इस प्रकार के टैंक, कुआँ, तालाब, श्रोत तालाब, श्रोत सरणी या जलाशय के बांध एवं अतिरिक्त व्यवस्था को निरापद एवं प्रभावकारी हालत में रखेगा।
- (2) यदि नहर पदाधिकारी की राय में ऐसे बांध या उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट संकर्मों की अतिरिक्त ष्यवस्था सही हालत में नहीं है और नीचे सिंचाई संकर्म को खतरे में पड़ने की संभावना है, तब संबद्ध स्वामी को, ऐसे ढंग एवं ऐसे समय के भीतर, जैसाकि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, इस प्रकार के बांध या अतिरिक्त व्यवस्था को उचित ढंग से उपयुक्त दशा में करने के लिये सूचना निर्गत की जायेगी।
- (3) यदि उक्त स्वामी विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना का अनुपालन नहीं करता है अथवा नहर पदाधिकारी की राय में की गई मरम्मत असंतोषजनक है, तो नहर पदाधिकारी आवश्यक मरम्मत करायेगा और उक्त स्वामी से खर्च वसूल कर सकेगा।

- (4) इस धारा के अधीन नहर पदाधिकारी के किसी आदेश पर आदेश संसूचित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रमंडलीय पदाधिकारी के पास अपील की जायेगी जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।
- 97. सिंचाई संकर्म के आस-पास विस्फोटक के उपयोग का निषेध:-कोई व्यक्ति नहर पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना सिंचाई संकर्म की सीमा से यथाविहित दूरी के भीतर खनन् या उत्खनन् के लिए अपेक्षित विस्फोटक का उपयोग नहीं करेगा।
- 98. सिंचाई संकर्म के नजदीक कुआं का निर्माण:-

धारा 12 की उप-धारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, नितांत घरेलू उपयोग के लिए चाहे व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर सिंचाई संकर्म की सीमा के पास, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथाविहित ऐसी दूरी के भीतर तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाय, कोई भी कुआं नहीं खोदा जायेगा।

99. मछली मारने के लिए अनुमति:-

किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार या वैसे पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, की लिखित अनुमति के बिना और सिवाय ऐसी शर्तों और बंधेजों तथा ऐसा शुल्क का भुगतान करने पर, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, सरकार द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित जलाशय, तालाब या टैंक या नहर या जल-सरणी के आर-पार या बगल में मछली मारने या जलपोत चलाने का अधिकार नहीं होगा।

100. कोई व्यक्ति नहर से जल निकालने का हकदार नहीं होगा:-नहर पदाधिकारी या इस निमित्त विधिवत् सशक्त किसी पदाधिकारी से भिन्न कोई भी व्यक्ति बांध काटकर, स्लूईस निर्माण कर या जल निकास द्वारा

या किसी अन्य तत्समान युक्ति द्वारा नहर या जल-सरणी से जल नहीं निकालेगा।

- 101. सिंचाई संकर्म से जल निकासी के लिये अनुमति:-
- (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति उस प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी की अनुमति के बिना, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर जल निकालने के लिये ऐसे पम्प सेट या अन्य साधन लगाये गये हों तथा ऐसी शर्तों एवं बंधेजों के अध्यधीन तथा ऐसे शुल्क के भुगतान के अध्यधीन जो विहित किये जायें, किसी भी प्रयोजन के लिये सिंचाई संकर्म से जल निकालने के लिए पम्प सेट या अन्य वैद्युत या यांत्रिक साधनों को लगाकर जल नहीं निकालेगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) का अतिक्रमण करते हुए सिंचाई-संकर्म से जल निकालता है, तो प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या उस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को वैसी किसी संपत्ति, स्थान या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होगी, जहां जल निकालने के लिए कोई निर्माण किया गया या कोई पम्प सेट या कोई अन्य वैद्युत या यांत्रिक साधन लगाये गये हैं तथा वह इस प्रकार के निर्माण या पम्प सेट या अन्य साधन को हटा सकेगा या उसको हटवा सकेगा।
- (3) इस प्रकार का कार्य चोरी माना जायेगा, पम्पसेट को जब्त कर लिया जायेगा
 और अंतर्ग्रस्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराधिक मामला संस्थित किया जायेगा।

102. किसी सिंचाई सरणी के समीप खान-उत्पाद या मिट्टी जमा करने पर निषेध:-

कोई व्यक्ति खान-उत्पादन या मिट्टी या अन्य सामग्री, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम वैसी किसी जल-सरणी या खेत की नाली या अन्य संकर्म में या उसके समीप जमा नहीं करेगा जिससे होकर वर्षा या अन्य जल किसी सिंचाई संकर्म में बहता हो।

- 103. कोई व्यक्ति सिंचाई संकर्म का जल प्रदूषित नहीं करेगाः-
- (1) कोई व्यक्ति किसी सिंचाई संकर्म के जल में मल-जल का बहिश्राव या व्यवसाय से संबंधित बहिश्राव का निस्सरण करके उसे प्रदूषित नहीं करेगा, जिससे कि सिंचाई संकर्म को हानि पहुंच सके या सिंचाई संकर्म के जल की गुणवत्ता में कमी आ सके या किसी सिंचाई संकर्म के अवतृण के उपज को बढा़वा दे।
- (2) उप-धारा (1) से संबंधित मामले में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय - XVI

अधिकारिता

- 104. ग्राम जल-सरणी से हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित विवादों का निपटाराः-
- (1) जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी ग्राम जल-सरणी के उपयोग, निर्माण या अनुरक्षण के संबंध में उनके पारस्परिक अधिकारों या दायित्वों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो, तब ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति नहर पदाधिकारी को विवाद के विषय का उल्लेख करते हुए लिखित आवेदन कर सकेगा।
- (2) तत्पश्चात् ऐसा पदाधिकारी अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस देगा कि वह ऐसी नोटिस में दी गई तारीख को उक्त मामले की जांच प्रारम्भ करेगा और ऐसी जांच के बाद उस पर अपना आदेश पारित करेगा अथवा इस मामले को प्रमंडलीय पदाधिकारी के पास अंतरित कर देगा, जो तत्पश्चात् उक्त मामले की जांच करके उस पर अपना आदेश पारित करेगा।
- 105. हिस्सा और भुगतान से संबंधित विवादः-

जब कभी किसी ग्राम जल-सरणी के संयुक्त स्वामियों के बीच व्यय में अपने-अपने हिस्सो के संबंध में अथवा अलग-अलग किये गये अंशदान की रकम के संबंध में अथवा किसी स्वामी द्वारा अपने हिस्से का अंशदान करने में असफल होने पर कोई विवाद उत्पन्न हो, तब उस मामले के संबंध में जांचोपरान्त नहर पदाधिकारी या प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

106. अधीक्षण अभियंता द्वारा पुनरीक्षण:-

अधीक्षण अभियंता, जिसकी अधिकारिता में ग्राम जल-सरणी अवस्थित है, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित किये गये आवेदन पर, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आवेदन तबतक ग्राह्य नहीं होगा जबतक कि ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं दिया जाय।

प्रकीर्ण

107. राज्य सरकार या इसके पदािकारी हानि या क्षति के लिए भागी नहीं होंगे:-

> राज्य सरकार या राज्य के कार्य कलापों के सिलसिले में सेवारत राज्य सरकार के किसी सेवक के विरूद्ध कोई वाद निम्नलिखित के संबंध में नहीं चलाया जायेगा :-

- (क) किसी भी कारण से किसी सिंचाई संकर्म से जलापूर्त्ति नहीं होने
 या रूक जाने अथवा किसी जल निकास या अन्य संकर्म के
 विफल या अंशत: विफल हो जाने से हुई हानियाँ,
- (ख) ऐसे किसी संकर्म से अधिक जल बहाव से अथवा या ऐसे किसी संकर्म से प्रत्यक्षत: या परोक्षत: हुआ कोई नुकसान या क्षति।
- 108. प्रतिकर के दावा में प्रत्येक हानि के लिए दावा का सम्मिलित होना:-इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के फलस्वरूप हुई किसी हानि के लिए प्रतिकर के प्रत्येक दावे में ऐसी प्रत्येक हानि के संबंध में प्रतिकर का संपूर्ण दावा सम्मिलित होगा जो प्रतिकर का दावा करनेवाले व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के फलस्वरूप हुई हो या होने की संभावना हो, और जहां कोई व्यक्ति प्रतिकर का दावा करना छोड़ दे अथवा ऐसी किसी हानि के लिए प्रतिकर के किसी दावे का साशय परित्याग कर देता हो, वहां वह उसके संबंध में बाद में कोई प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

109. शक्ति का संचयी होना:-

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियां, ऐसी किन्हीं अन्य शक्तियों के अल्पीकरण करने वाली नहीं होगी बल्कि इसके अतिरिक्त होंगी जो

अधिनियम के अलावा राज्य सरकार या सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयुक्त होंगी।

110. उद्घोषणा प्रकाशित करने और नोटिस जारी करने का ढंग:-

इस अधिनियम की अपेक्षानुसार जारी की जानेवाली प्रत्येक उद्घोषणा और दी जानेवाली सामान्य नोटिस की एक प्रति ऐसे प्रत्येक समाहर्त्ता, अनुमंडलाधिकारी या मुंसिफ के जिसकी अधिकारिता में ऐसी उद्घोषणा या नोटिस से प्रभावित कोई भूमि अवस्थित हो, के कार्यालय में चिपका कर और ऐसे प्रत्येक थाना, जिसकी प्रसीमाओं के भीतर ऐसी भूमि पड़ने की जानकारी समाहर्त्ता को हो, में चिपका कर तथा ऐसे हाटों, बाजारों, शहरों, गांवों या अन्य सार्वजनिक स्थलों में, जैसा कि समाहर्त्ता निदेश दें, सुगोचर स्थानों पर चिपका कर तथा जहां-जहां ऐसी प्रतियां चिपकाई गई हो, वहां ऐसे सार्वजनिक स्थानों में ढोल पीटकर यह सूचना दी जायेगी कि ऐसी प्रतियां चिपका दी गई हैं और ऐसी उद्घोषणा या सामान्य नोटिस संबंधित विषय की सूचना से युक्त कागजात की एक प्रति, सभी संबंधित के निरीक्षणार्थ समाहर्त्ता के कार्यालय में रखी जायेगी।

111. नोटिस की तामील:-

इस अधिनियम द्वारा तामील की जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस या आदेश को निम्नलिखित रूप से तामील किया जायेगा -

- (1) जिस व्यक्ति को यह निदेशित हो, उसे उसका एक प्रति देकर अथवा इस प्रकार तामील नहीं होने पर, जिस मकान में उक्त व्यक्ति रहता हो, उसके सहज दृश्य भाग पर उसकी एक प्रति चिपका कर या जिस व्यक्ति को ऐसी नोटिस या आदेश निदेशित हो, उसके लिए सामान्यत: हाजिर होने के लिये प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता को उसकी एक प्रति देकर, अथवा
- (2) जिस व्यक्ति को ऐसी नोटिस या आदेश निदेशित हो, उसके सामान्य निवास पर अथवा जहां उसके निवास करने की जानकारी हो उस स्थान पर उस नोटिस या आदेश की प्रति निबंधित डाक से भेजकर, अथवा

(3) ऐसी नोटिस या आदेश की एक प्रति पंचायत कार्यालय पर, और यदि ऐसा पंचायत कार्यालय नहीं मिले तो उक्त गांव के किसी सुगोचर स्थान पर चिपका कर।

112. किसी सिंचाई संकर्म के लिए जिस भूमि की अब अपेक्षा नहीं रह गई हो उसका निपटाव:-

- (1) जब कभी किसी सिंचाई संकर्म के प्रयोजनार्थ विनियोजित किसी भूमि को प्रतिधरण किये रहने की आगे अपेक्षा नहीं रह जाय और उसका स्थायी रूप से परित्याग करना समीचीन हो जाय, तब ऐसी भूमि, समाहत्तों द्वारा ऐसी भूमि के लिए ऐसे प्रतिकर की रकम, यदि कोई हो, जिसे सिंचाई संकर्म के प्रयोजनार्थ लेते समय अदा की गई थी, के वापस किये जाने पर ऐसी भूमि को उस भू-स्वामी को जिससे मूलत: ली गई थी लौटा दी जायेगी।
- (2) यदि वैसे व्यक्ति जो इस धारा के अधीन किसी भूमि के प्रत्यावर्तन के हकदार हो, या उनमें से कोई मांग करने पर उपयुक्त समय के भीतर ऐसे मूल्य का भुगतान करने से इनकार करते हों या उपेक्षा करते हों, तो वह भूमि समाहर्त्ता द्वारा ऐसे मूल्य को रखते हुए, जिसे वह इसके लिए प्राप्त कर सके, राजस्व-मुक्त होल्डिंग के रूप में बेच दी जायेगी।
- (3) इस धारा के उपबंधों के अधीन हस्तांतरित भूमि के बदले प्राप्त सभी राशि उस भूमि मद्दे उपगत सभी व्ययों के भुगतान के बाद, किसी नये सिंचाई संकर्म के खर्च के भुगतान में अथवा उक्त भूमि या अन्य निकटस्थ भूमि को प्रभावित करने वाले किसी सिंचाई संकर्म के अनुरक्षण के व्यय में लगाई जायेगी, रकम में कमी होने की दशा में लाभान्वित भूमि के हिताधिकारियों पर प्रभार लगाया जा सकेगा, यदि कोई रकम इस प्रकार प्रभारित की जा सकेगी, तो इसके पहले यथा उपबंधित रीति से की जा सकेगी।

113. नहर पार करने तथा जल निकास के साधन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी:-

सरकारी खर्च पर निर्मित या अनुरक्षित नहरों को पार करने के उपयुक्त साधन की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निकटवर्ती भूमि के निवासियों की समुचित सुविधा के लिए आवश्यक समझे और किसी नहर द्वारा निकटस्थ भूमि के जल निकास में होनेवाली बाधा को रोकने के लिए उपयुक्त पुलों, पुलियों या अन्य संकर्म का निर्माण किया जायेगा।

114. बकाया वसूल किया जाना:-

इस अधिनियम के अधीन बकाया घोषित की जानेवाली प्रत्येक राशि राज्य सरकार की ओर से ऐसे पदाधिकारी जिन्हें इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, द्वारा वसूल की जा सकेगी।

115. नियम बनाने की शक्तिः-

- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उससे संबंद्ध मामलों या जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो, के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियम तबतक नहीं बनाये जायेंगे जबतक कि उनके प्रारूप राजपत्र में एक महीने के लिए प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।

116 निरसन और व्यावृति -

- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निम्नलिखित अधिनियम, यथा--
 - (i) बंगाल नहर अधिनियम, 1864 (1864 का V)
 - (ii) बंगाल तटबंध अधिनियम, 1873 (1873 का VI)
 - (iii) बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 (1876 का III)

- (iv) बंगाल जल निकास अधिनियम, 1880 (1881 का VI)
- (v) बंगाल तटबंध अधिनियम, 1882 (1882 का II)
- (vi) बिहार निजी सिंचाई संकर्म अधिनियम, 1922 (1922 का V)
- (vii) बिहार लोक सिंचाई और जल-निकास संकर्म अधिनियम, 1947(1947 का X)
- (viii) बिहार उद्वह सिंचाई अधिनियम, 1956 (1956 का XVI)
- (ix) बिहार सिंचाई खेत जल-सरणी अधिनियम, 1965 (1965 का XVII) एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) परन्तु ऐसे निरसन का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा :-
 - (क) निरसित किये गये अधिनियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया
 गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, अथवा
 - (ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, अथवा
 - (ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समापहरण या दण्ड पर, अथवा
 - (घ) उपरोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समापहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, कार्यवाही, विधिक कार्यवाही या उपचार पर, और ऐसा कोई अन्वेषण, कार्यवाही, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, कार्रा रखा जा सकेगा या लागू कराया जा सकेगा, और ऐसी, कोई शास्ति, समापहरण या दण्ड अधिरोपित किये जा सकेंगे मानों यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

राजेन्द्र प्रसाद

सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना।

29 जुलाई 1998

संख्या – एल० जी० 1-1-04196 लेज – 1681– बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई 1998 को अनुमत बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम – 11, 1998)

''अंग्रेजी अनुवाद''

Contents

THE I	BIHAR IRRIGATION ACT,1997	6	
CHAF	PTER I: PRELIMINARY	6	
1.	Short title, extent and Commencement:	6	
2.	Definitions	6	
CHAPTER II: RIGHTS		12	
3.	Rights of the State Government in water	12	
4.	Irrigation work to vest in Government	12	
5.	Survey of lands used for obtaining earth for repairs	12	
CHAF	CHAPTER III: POWERS OF OFFICERS1		
6.	Entry for enquiry	13	
7.	Power to inspect and regulate the water supply	13	
8.	Notice to occupier of building		
9.	Power to make repairs	14	
10.	Power to make temporary roadway, water channel of dam	14	
11.	Power to take earth from lands	14	
CHAF	PTER IV: IRRIGATION	15	
12.	Notification when water to be supplied for public purposes	15	
CHAPTER V: DRAINAGE AND PREVENTION OF WATER LOGGING1		17	
13.	Prohibition of obstructions	17	
14.	Order to remove obstructions	17	
15.	Removal of encroachment	17	
16.	Notification for construction of drainage work	17	
17.	Execution of drainage schemes	18	
CHAF	PTER VI: EMBANKMENT WORKS	19	
18.	Execution of Embankment Work	19	
19.	Form of notice	20	
20.	Application for new sluices, embankments or drainage	20	
21.	Operation of sluices	20	
CHAF	CHAPTER VII: PRIVATE IRRIGATION WORKS		
22.	Notice by collector for repair of existing irrigation work or construction of new work	21	
23.	Inquiry by Collector	21	



24.	Power of Collector to order repair or construction	22
25.	Proceedings in emergencies	22
26.	Delegation by Collector of authority to repair or construct	22
CHAPTI	ER VIII: NAVIGATION WORKS	23
27.	Navigable channels	23
28.	Authority for navigable channels	23
29.	Appointment of supervisor and their power	23
30.	Mode of exercising power	23
CHAPTI	ER IX: VILLAGE CHANNELS	24
31.	Register of village channels to be kept	24
32.	Acquisition of village channel by agreement	24
33.	Construction of new village channel	24
34.	Application for construction of new village channel.	24
35.	Procedure for construction of village channel	25
36.	Acquisition of land	25
37.	Procedure after construction of village channel	25
38.	Canal Officer may direct transfer of village Channel	26
39.	Admission of joint owner of village channel	26
40.	Payment for joint ownership	26
41.	Rent for a transferred village channel	27
42.	Rights and obligations of owner of village channel	27
43.	If owner of village channel fails to execute work or repair, Canal Officer may do so	27
44.	Procedure when joint owner neglects or refuses to maintain the village channel	28
45.	Divisional Canal Officer may authorise supply	28
46.	Government may transfer distributary, minor or water course to water users Association	29
47.	Preparation of draft scheme for on-farm development	29
48.	Divisional Canal Officer may construct field drains on behalf of owner or occupiers	30
CHAPTI	ER X: THE SUPPLY OF WATER	32
49.	Divisional Canal Officer to regulate the supply of water for irrigation	32
50.	Declaration of assured irrigable command area of a canal	32
51. irrigab	Filling of application for inclusion in or exclusion from assured irrigable command or probable command area-	
52.	Order to be recorded in writing	33



53.	Person entitled to have supply of water	33
54.	Regulation of supply of water	33
55.	Sale or sub-letting of right to use canal water	34
56.	Duration of supply	34
57.	Canal Officer may supply water for purposes other than those of irrigation	34
58.	Declaration of cropping pattern for assured irrigable command by the State Government	35
59.	Transfer of schemes to water committee	36
60.	Enforcement, alteration and cancellation of the scheme	37
61.	Appointment of Water Committee	37
CHAPT	ER XI: WATER RATES AND TOLL	40
62.	Charges for water- Whenever	40
63.	Assessment of water charges	40
64.	Appeal against assessment	40
65.	Notice for demand	40
66.	Period to be prescribed by the State Government	41
67.	Liability of occupiers of lands benefiting from unauthorised use of water	41
68.	Liability when water runs to waste	41
69.	Charges recoverable in addition to penalty	41
70.	Contract for collection of dues	41
71.	Tolls on lines of navigation	42
72.	State Government may fix and alter rates of tolls	42
73.	Publication of rates of toll	42
74.	State Government to appoint person to collect tolls, who may farm collection	42
75.	Payment of tolls	42
CHAPT	ER XII: LEVY OF BETTERMENT CONTRIBUTION	44
76.	Beneficiaries to pay betterment contribution	44
77.	Assessment of betterment contribution	44
78.	Betterment Levy Officer to serve notice of demand on owner	46
79.	Betterment contribution deemed to be revenue demand	46
80.	Any person having interest in the land may pay the contribution	46
81.	Claim on account of failure or stoppage of water in Irrigation work	47
CHAPT	ER XIII: OFFENCES AND PENALTIES	48
82.	Offences under Act	48



83.	Further offences	49
84.	Obstruction to be removed and repaired	49
85.	Persons employed on canal may take offenders into custody	50
86.	Compensation to person injured	50
87.	Saving of prosecution under other laws	50
88.	All offences under the Act to be cognisable and bailable	50
89.	Procedure when the person committing an offence is a company	50
90.	Compensation for offences	51
	ER XIV: OBTAINING LABOUR AND MATERIALS FOR IRRIGATION WORK IN	52
91.	Canal Officer empowered to obtain labour from locality in case of emergency	
92.	Preparation of list of such labour	
93.	Canal Officer may take possession of materials required for work in emergency	
94.	Appeal by such labour when aggrieved by fixation of wages	
95.	Encroachment upon irrigation works forbidden	54
96.	Constructions above irrigation work	54
97.	Use of explosives in the vicinity of irrigation work prohibited	54
98.	Excavation of wells near irrigation work	54
99.	Permission for fishing	55
100.	No person entitled to let out water from a canal	55
101.	Permission for pumping water from irrigation works	55
102.	Prohibition of deposit produce of mines or earth near any irrigation channel	55
103.	No person shall pollute water of irrigation work	55
CHAPT	ER XVI: JURISDICTION	57
104.	Settlement of disputes as to mutual rights and liabilities of person interested in village char 57	nnel
105.	Dispute as to share and payments	57
106.	Revision by the Superintending Engineer	57
CHAPT	ER XVII: MISCELLANEOUS	58
107.	State Government or its Officers not liable for loss or damage	58
108.	Claim for compensation to include claim for every loss	58
109.	Power to be cumulative	58
110.	Mode of publishing proclamation and issuing notice	58
111.	Service of notices	58



112.	Disposal of lands no longer required for any irrigation work	59
113.	Government to provide means of crossing canals and drainage	59
114.	Recovery of dues	60
115.	Power to make rules	60
116.	Repeal and saving	60



THE BIHAR IRRIGATION ACT, 1997

To provide for and consolidate the law relating to irrigation embankment, drainage, levy and assessment of water rates, betterment contribution and matter connected therewith;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty eighth year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I: PRELIMINARY

1. Short title, extent and Commencement:-

- (1) This Act may be called the Bihar Irrigation Act 1997.
- (2) It extends to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. Definitions

In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Assured irrigable Command" means an area declared to be an assured irrigable command area under section 50:
- (b) "Beneficiary" means
 - i. In relation to any irrigation channel, a person whose land is irrigated or is capable of being irrigated by any irrigation work of the State Government;
 - ii. In relation to any flood embankment work, a person whose land is protected or is likely to be protected by such embankment;
 - iii. In relation to any drainage work a person whose land is benefited or is likely to be benefited from such drainage work;
- (c) "Betterment Contribution" means contribution levied under chapter XII of this Act;
- (d) "Betterment levy officer" means such officer as the State Government may appoint to be the betterment levy officer in respect of any area of an irrigation work, or portion of an irrigation work:
- (e) "Block" means an area defined as such under section 2 of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993 (Bihar Act 19 of 1993);
- "Block Development Officer" means an officer appointed as such under section 2 of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993 (Bihar Act 19 of 1993);
- (g) "Canal Revenue" means and includes water rate, betterment contribution, water cess, license fee for fishing and navigation, sale of grass, trees and other produce from the land belonging to irrigation



work, proceeds from lease of land belonging to irrigation work, and from water mills;

- (h) "Collector" means the head revenue officer of a district and includes a deputy Commissioner or other officer appointed by the State Government to exercise all or any of the powers of a Collector;
- (i) "Culturable commanded area" means all lands which are fit for cultivation under irrigable command of an irrigation work;
- (j) "Canal" means and includes-
 - (i) "Main Canal". which takes off from an irrigation work and normally does not irrigate the fields directly;
 - (ii) "Branch Canal" which branches off from main canal and feeds the distributaries, like main canal the branch canal may not irrigate the field directly;
 - (iii) "Distributary /Sub-distributary" which takes off directly from main canal or branch canals or a larger distributary to distribute water to minors and water courses;
 - (iv) "Minor" Which takes off from a distributary or sub-distributary to distribute water to other minor water courses and / or field channels, capacities of the minors may be different in different projects/schemes;
 - (v) "Water course" which takes off from a distributary or a minor to distribute water to the field channels. Its capacity may be different in different projects /schemes;
 - (vi) "Outlet" which is an opening constructed in an irrigation work through which water is delivered to a field channel or directly to the fields;
- (k) "Drainage work" means and includes-
 - (i) Channels either natural or artificial for the discharge of waste or surplus water and all works connected with or auxiliary to such channel;
 - (ii) Escape channel from an irrigation work, dams, weirs, embankments, flood embankments, sluices, groynes and other works connected therewith, but does not include works for the removal of sewage;
 - (iii) Any work in connection with a system of reclamation made or improved by State Government for the purpose of drainage of an area;.
 - (iv) all field drains, i.e., drains, except channels and other similar works constructed and maintained by the owners or occupiers or by the State Govt. on behalf and at the cost of the owners or occupiers.
- (l) "Embankment" means and includes



- (i) every bank, dam, wall and dyke made or used for excluding water from or for retaining water upon any land; every sluice, spur, groyne, training wall or other work annexed to, or portion of any such embankment; every bank, dam, dyke, wall groyne or spur made or erected for the protection of any such embankment or of any land from erosion or over flow by or of river, tides, waves or waters; and also all buildings and roads, intended for purpose of inspection and supervision and
- (ii) Public Embankment maintained by the State Government .
- (m) (i) "Engineer" means an engineer in-charge of irrigation works in the area or any engineer specially appointed by the State Government to perform the function of an engineer under this Act;
 - (ii) "Chief Engineer" means the Chief Engineer of the Water Resources Department of the State Government, and includes any person appointed by the State Government, by notification to be Chief Engineer for the purposes of this Act either generally or in respect of any proposed work or sanctioned work specified in such notification who shall be responsible and answerable for the proper and efficient working of the branch of irrigation works under him and work as professional advisor to Government in all matters relating to his branch.
 - (iii) "Superintending Engineer" means an officer appointed by the State Government to be Superintending Engineer in charge of a Circle, an administrative unit of Water Resources Department who shall be responsible to the Chief Engineer for the administration and general professional control of irrigation works and officers of the department within his circle and includes any person appointed by the State Government, by notification to be Superintending Engineer for the purposes of this Act either generally or in respect of any proposed work or sanctioned work specified in such notification.
 - (iv) "Executive Engineer" means an officer appointed by the State Government to be Executive Engineer in charge of a division, an executive unit of Water Resources Department who shall be responsible to Superintending Engineer for execution and management of all works in his division and includes any person appointed by the State Government by notification to be Executive Engineer for the purpose of this Act either generally or in respect of any proposed or sanctioned work specified in such notification.



- (v) "Divisional Canal Officer" means an Executive Engineer exercising control over a Division of an irrigation work, or a portion of an irrigation work and includes any person appointed by the State Government by notification to be Divisional Canal Officer for the purpose of this Act either generally or in respect of any proposed work or sanctioned work specified in such notification.
- (vi) "Canal Officer" means an officer exercising control over a subdivision of an irrigation work or portion of an irrigation work and includes an officer to whom any of the function of a Canal Officer under this Act have been assigned by the State Government
- (n) "Improved Land " means the land fit for cultivation before the execution of any works under this Act but of which the productive powers have been increased by such works.
- (o) "Irrigation Work" means and includes-
 - (i) All reservoirs, tanks, dams, barrages, weirs, canals, channels, domestic water supply works, pipes, ponds, springs-ponds, spring channels, aqueducts, sluices, lift irrigation through pumping installations, constructed, maintained or controlled by the State Government for the supply or storage of water;
 - (ii) All works, embankments, structures, control structures including outlets, supply and escape channels, connected with such reservoirs, tanks, dams, barrages, weirs, canals, channels, domestic water supply works, pipes, ponds, spring ponds, spring channels, aqueducts, sluices, pumping installations and roads constructed for facilitating the construction or maintenance and operation of such works;
 - (iii) All drainage works, flood embankments, wells and village channels;
 - (iv) Any part of a river, stream, lake or natural collection of water or natural drainage and ground water to which the State Government has applied the provisions of this Act, and
 - (v) All lands held by the State Government for the purpose of such reservoirs, tanks, dams, barrages, weirs, canals, channels, domestic water supply works, pipes, ponds, spring ponds, spring channels, aqueducts, sluices, pumping installations and all buildings, machinery, fences, gates and other erections upon such lands;
- (p) "Land" means and includes interest in land, benefit arising out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;



- (q) "Lands under Irrigable Command" means such lands as are irrigated or capable of being irrigated by flow or lift from an irrigation work being under its command and shall include also such cultivated land which received in the opinion of the Executive Engineer, by seepage or otherwise from an irrigation work or by indirect flow, percolation or drainage from or through adjoining land, an advantage beneficial to the crop;
- (r) "Lift Irrigation" means irrigation by lifting water by means of a pump operated otherwise than by human or animal power
- (s) "Line of Navigation" means canal navigation;.
- (t) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (u) "Occupier" means and includes an occupier of land who cultivates or possesses the same for the time being;
- (v) "On -Farm Development" means and includes any of the following works:-
 - (i) Land-levelling and land shaping including realignment of field boundaries;
 - (ii) Providing of falls, culverts, other necessary structures and farm roads in the fields;
 - (iii) Land reclamation by use of engineering, biological and chemical measures, including leaching;
 - (iv) Contour bunding and nala bunding;
 - (v) Such other works as may be necessary or incidental to development of land or ground or flow water potential and for optimising the utilisation of land and water resources;
- (w) "Owner" means and includes every person having interest in the ownership of land or property and the rights and obligations attached to an owner under the provisions of this Act shall attach, jointly and severally to every person having such joint interest in the ownership;
- (x) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (y) "Probable Irrigable Command Area" means an area declared to be a probable irrigable command area under this Act;
- (z) "Reclaimed Land" means land which was unfit for cultivation before the execution of any work under this Act, but which has been rendered productive by such work;
- (aa) "Vessel" includes any ship, barge, boat, raft, timber, bamboos, or floating materials propelled in any manner;
- (ab) (i) "Village Channel" means a channel or a field channel by which water is led from canal into fields to be irrigated and includes all subsidiary works connected with any such channels except the head sluice through which water is supplied from a canal to such channel, constructed by owners or occupiers or



beneficiaries or State Government on their behalf and at their cost and maintained by such owners or occupiers or beneficiaries or by the State Government at their cost and on their behalf; Government distributaries, sub-distributaries, minors and water courses will also be treated as village channels if these are turned over to the beneficiaries or their representatives or Water Users Associations formed by the beneficiaries to be maintained and operated by them at their cost, either fully or with part Government grants and will be governed by provisions of Chapter X of this Act;

- (ii) "Field Channel" is a channel constructed from an outlet to or into the irrigation chuk and includes all subsidiary works except the outlet through which water is supplied from an irrigation work;
- (iii) "Farm channel" is a temporary or permanent channel constructed by the farmers in their fields for taking water from field channels for irrigation;
- (ac) "Water Users' Association" means the Water Users' Association formed by the beneficiaries of a canals or part there of for maintenance and operation of canal and utilisation of canal water and registered under the societies registration; Act 1860 (Act 21, 1860);
- (ad) "Well" means a well sunk for search or extraction of ground water and includes an open well, dug well, bored well, dug cum bored well, tubewell and filter point.



CHAPTER II: RIGHTS

3. Rights of the State Government in water

- (1) All rights in the water of any river, natural stream or natural drainage channel, natural lake or other natural collection of water shall vest in the State Government subject to the provisions of Article 262 and Entry 56 of list of seventh schedule of Constitution of India.
- (2) When the State Government proposes to construct a canal it shall publish a notification declaring its intention and indicating the site of head work.
- (3) No rights shall be acquired against the Government under the provisions of the Indian Easements Act 1882 (No.5 of 1882) in the water of any river, natural stream or natural drainage channel, lake or other natural collection of water, which supply water to a canal existing or under construction at the commencement of this Act or any of whose water will supply the canal when constructed.

4. Irrigation work to vest in Government

Every irrigation work and all land, earth, pathways, gates, berms and hedges belonging to, or forming part of or standing on any such irrigation work and every embarked tow path along the embankment maintained by the State Government shall vest in the State Government.

5. Survey of lands used for obtaining earth for repairs

- (1) All plots or parcel of land which, before the commencement of this Act, have been used for the purpose of obtaining earth or other materials for the repair of any irrigation work, natural channel and reservoir, embanked tow path or which by agreement have been substituted for such lands, shall be deemed to be at the disposal of the State Government for such purpose without payment of compensation for the use or removal of such earth or other materials.
- (2) The collector may cause all such plots or parcels of land to be ascertained, surveyed and demarcated.



CHAPTER III: POWERS OF OFFICERS

6. Entry for enquiry

Whenever it becomes necessary to make any enquiry or examination in connection with a projected irrigation work or its construction or with the maintenance of an existing irrigation work or with the application or use of the water of any irrigation work for the purpose of regulation, supply or storage of water, any Canal Officer duly empowered in this behalf may-

- (a) enter upon such land and structure or anything attached to land as he may think necessary for the purpose;
- (b) undertake survey or take levels thereon;
- (c) dig and bore into the sub-soil;
- (d) where otherwise such enquiry cannot be completed, cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle;
- (e) exercise all powers and do all things in respect of such land as he might exercise and do of the State Government had issued a notification under the provisions of section 4, of the land acquisition Act, 1894 to the effect that land in that locality is likely to be needed for a public purpose, and
- (f) set up and maintain gauge discharge or silt measurement stations and do all other things necessary for purposes of such inquiry and examination.

7. Power to inspect and regulate the water supply

Any Canal Officer or any person acting under his general or special orders in this behalf may enter upon any land, building, village channel on account of which any water rate is chargeable, for the purpose of inspecting or regulating the use of the water supplied, or of measuring the lands irrigated thereby or chargeable with a canal revenue and of doing all things necessary for the proper regulation and management of the irrigation work from which such water is supplied.

8. Notice to occupier of building

When such Canal Officer or such person proposes to enter into any building or enclosed court or garden attached to a dwelling house not supplied with water flowing from any canal, and not being adjacent to a flood embankment, he shall previously give to the occupier of such building, court or garden such reasonable notice as the urgency of the case may allow.



9. Power to make repairs

The Engineer may make repairs and may do all acts necessary and proper for the maintenance of, any irrigation work or any other work executed or taken charge of under the provisions of this Act.

10. Power to make temporary roadway, water channel of dam

- (1) whenever any person desires that a temporary roadway should be made over an irrigation work or that a temporary water channel should be made through any public embankment, or that a temporary dam should be constructed in any embanked river or public water-channel, he shall apply to the Executive Engineer incharge.
- (2) Such Engineer shall transmit the application with his opinion to the Superintending Engineer, and shall await his order in respect thereof, unless he thinks that there is special reason for the immediate execution of the work, in which case he may execute the same without awaiting for the orders of the Superintending Engineer.
- (3) If the proposed work is to be executed by an officer of the Government, the applicant, before the Commencement of the work, shall deposit the amount estimated by the Executive Engineer to be necessary to defray the expenses of, and incidental to making and removing such roadway, or of and incidental to making, closing, removing such water channel or dam.
- (4) If the amount deposited is found afterwards to exceed the amount required, such excess amount shall be returned to the said applicant and likewise if the actual expenditure is more than the amount deposited, the balance amount shall be recovered from the said applicant.

11. Power to take earth from lands

Whenever it is requisite to repair any irrigation work, embankment or waterchannel or embanked tow-path maintained by the State Government, it shall be lawful for the Executive Engineer, or any person authorised in that behalf, to enter in and upon any land and take possession of, appropriate and remove any earth or other material there from, and use the same for the purposes of such repairs.



CHAPTER IV: IRRIGATION

12. Notification when water to be supplied for public purposes

- (1) Whenever it appears expedient to the State Government that the water of any river (including its tributaries) or stream flowing in a natural channel or of any lake or any other natural collection of still water or ground water or water flowing in a channel where such water or part thereof, is received from any irrigation work constructed by the State Government, whether by percolation, regeneration, release, or otherwise should be applied or used by the State Government for the purpose of any existing or projected irrigation work, or for the regulation, supply of storage of water, the State Government may by notification declare that the said water will be so applied or used after a day to be named in the said notification, not being earlier than three months from the date thereof.
- (2) As soon as practicable after the issue of a notification under sub-section (1), the Divisional Canal Officer or any officer duly empowered under this Act shall cause public notice to be given at convenient places, stating that the State Government intends to apply or use the water referred to in that sub-section.
- (3) The application or use of the said water or the application or use of water of any irrigation work under the management or control of the State Government shall be regulated according to the provisions of this Act.
- (4) Where the State Government is of the opinion that in the interest of proper irrigation from any irrigation work constructed or proposed to be constructed it is necessary to control the construction of wells for any purpose other than exclusively domestic use, either on personal or community basis, in any area or areas the State Government may by notification specify such area or areas, and there upon no person shall within such area or areas construct any such well except with previous sanction of the State Government or other authority authorised by the State Government in this behalf, and subject to such conditions as the State Government or such authority may impose.
- (5) Where the State Government is of the opinion that in the interest of proper irrigation from any irrigation work constructed or proposed to be constructed it is necessary to regulate the operation of the existing wells for any purpose other than exclusively domestic use, either on personal or community basis, in any area or areas, the State Government may by notification specify such area or areas and impose such conditions as it many deem fit with regard to extraction of water therefrom. There upon no person shall within such area or areas extract water from such well except according to conditions which the State Government may impose.
- (6) When the State Government is of the opinion that in the interest of proper irrigation, a block of land under any existing or proposed irrigation work is



to be transferred to another proposed or existing work or completely excluded from any existing work, the State Government may by notification specify such area and such works to take effect from a date specified in the notification, not being earlier than six months from the date thereof.

(7) When the State Government is of the opinion that in the interest of proper utilisation of available water resources, it is necessary to subject a block of land for temporary submersion without damage to crop, the State Government may by notification specify such areas and period of such submersion on a date specified in the notification, not being earlier than six months from the date thereof.



CHAPTER V: DRAINAGE AND PREVENTION OF WATER LOGGING

13. Prohibition of obstructions

- (1) Whenever it appears to the State Government that injury to the public health or public convenience or to any irrigation work or to any land for which irrigation from a canal is available, has arisen or may arise from the encroachment of any river, stream or natural-drainage course, the State Government may, by notification published in the official Gazette prohibit, within limits to be specified in such notification, the formation of any such encroachment, or may order the removal or other modification of such encroachment.
- (2) Thereupon so much of the said river, streams or natural drainage channel as is comprised within such limits shall be held to be a drainage work.

14. Order to remove obstructions

The canal officer or other person authorised by the State Government in that behalf may, after such notification, issue an order to the person causing or having control over any such obstruction to remove or modify the same within a time to be fixed in the order.

15. Removal of encroachment

If, within the time so fixed, such person doesn't comply with the order, the canal officer may cause the encroachment to be removed or modified; the expenses involved in such removal or modification, shall be recovered from person concerned;

Provided that the Divisional Canal Officer may, in cases of emergency, remove the encroachment before the publication of notification and the expenses incurred shall be recoverable from the person concerned.

16. Notification for construction of drainage work

- (1) Whenever it appears to the State Government that any drainage work excluding field drainage is necessary in the interest of public health , or for improvement of any lands, or for proper cultivation or irritation thereof or that protection from floods or other accumulation of water or injurious salt or from erosion by a river, is required for any lands, the state Government may by notification declare that the drainage work shall be constructed after a day to be mentioned in the said notification, not being earlier than three months from the date thereof.
- (2) As soon as practicable after the issue of a notification under sub section (i) the Divisional Canal Officer or any Officer duly empowered under this Act shall cause public notice to be given at convenient places, stating that the



State Government intends to construct the drainage work excluding field drain.

17. Execution of drainage schemes

After the day mentioned in the notification under section 16, the State Government may cause a scheme for such works to be drawn up and carried into execution, and the Divisional Canal Officer or any officer authorised by the State Government to draw up and execute such scheme may exercise in connection therewith all or any of the powers conferred on canal officers and shall be liable to any or all of the obligations imposed upon canal officers



CHAPTER VI: EMBANKMENT WORKS

18. Execution of Embankment Work

- (1) Whenever it appears to the concerned Divisional Officer (E.E) of the department that any of the following acts, should be done, or works executed, that is to say;
 - (a) that any embankment which connects public embankments or forms by function with the part of a line of embankments, or that any embankment or water channel which is necessary for the protection or drainage of the neighbouring country, should be taken charge of and maintained by the officers of Government;
 - (b) that any embankment, or any obstruction of any kind, which endangers the stability of a public embankment or the safety of any town or village, or which is likely to cause loss of property by interfering with the general drainage or flood drainage of any tract of lands, should be removed or altered;
 - (c) that the line of any public embankment should be changed or lengthened or that a new public embankment should be constructed instead of any public embankment, or that any embankment should be constructed for the protection of any land or for the improvement of any water- channel, or that a sluice in any public embankment should be made;
 - (d) that any sluice or water channel should be made, or that any public water channel should be altered for the improvement of the public health or for the protection of any village or cultivable land.
 - (e) That any road which interferes with the drainage of any tract of land should be altered, or that any water- channel under or through such road should be constructed.
- (2) The concerned Divisional Officer (EE) shall cause to be prepared estimates of the cost of such works together with plans and specifications of the same as may be required, he shall also cause to be prepared from the survey map of the district, a map showing the boundaries of the lands likely to be affected by the said acts and work, and he shall cause a general notice to be given on his intention to cause such works to be executed;

Provided that whenever it shall appear to the concerned Divisional officer (EE) that delay in execution of any works occasioned by proceeding commenced by a general notice under the Act would be attended with grave and imminent danger of life or property, he may forthwith cause the execution of such works to be began in anticipation of the completion of such proceeding provided further that without delay the estimates, specifications and plans of the proposed works together with a copy of the



map as provided shall be prepared and general notice shall be given that the work mentioned therein has already been commenced.

19. Form of notice

Such general notice as may be prescribed shall be given alongwith a list of all villages, as far as is known, which are likely to be affected by the proposed work.

20. Application for new sluices, embankments or drainage

If any person desires that-

- (a) a sluice be made in any public embankment for the purpose of drainage or irrigation; or
- (b) any new embankment be erected, or any existing embankment be lengthened, enlarged, repaired or removed, or that the line of any embankment be altered or that any new water channel be made, or that any water -channel be obstructed or diverted;

he may make an application in writing to the concerned Executive Engineer.

21. Operation of sluices

Sluices constructed in any public embankment shall be opened or should only by or with the general or special permission of the Executive Engineer or of the officer in the immediate charge of the embankment, under such order, either general or special, as he may receive from the Executive Engineer.



CHAPTER VII: PRIVATE IRRIGATION WORKS

22. Notice by collector for repair of existing irrigation work or construction of new work

- (1) Whenever it appears to the Collector-
 - (a) that the repair of an existing private irrigation work is necessary for the benefit of any village or local area within the district and that the failure to repair such irrigation works adversely affects, or is likely to affect adversely, the lands which are dependent thereon for supply of water, or
 - (b) that it is desirable for the purpose of settling or averting dispute of preventing waste of water or injury to land by the wrongful or undue diversion of a stream or channel or any sluice, weir, outlet, escape, headwork dam or other work should be constructed in any private irrigation work, in order to regulate the supply or distribution of water for agriculture purpose.
- (2) If he is satisfied that the matter is of public importance, he may-
 - (a) cause in the prescribed manner a notice to be served on the owner of the land in which the irrigation work is situated and public notice to be given at convenient places in every village in which such irrigation work is situated stating that he intends to take action under this chapter for the repair of the said work or for extending or altering it and specifying the date on which an inquiry shall be held,
 - (b) Serve a notice in the prescribed manner on every person known or believed to be under an obligation to maintain the irrigation work in an efficient state calling on him to show cause on the date specified in the notice why he should not be required to repair the said work or extend or alter it as aforesaid.

23. Inquiry by Collector

On the date fixed in the notices or any other date to which the proceedings may be adjourned, the Collector shall hold an inquiry and shall hear the persons on whom the notices have been served and any other persons affected or likely to be affected by the order who may attend, and may take down in writing any evidence that he may think fit regarding -

- (a) the necessity for repairing, extending or altering the said irrigation work,
- (b) the nature of the works required for such repair, (extension or alteration),
- (c) the obligation to maintain the irrigation work in an efficient state and the reasons why the person under such obligation has failed to repair it, and



(d) the probable cost of the proposed work of repair, extension or alteration.

24. Power of Collector to order repair or construction

If after making the said inquiry the Collector is satisfied that the state of disrepair of the irritation work is such as materially affect or is likely to affect materially the irrigation of the lands which are dependent thereon for supply of water or that any extension or alteration of such irrigation work is necessary, he shall, subject to the provisions of clause (a), issue an order in writing requiring that the proposed work of repair, extension or alteration shall be carried out-

- (a) by one or more of the persons on whom notice under clause (b) of subsection (2) of section 22 have been served and who agrees or agree to carry out the said work, or
- (b) by any such agency as he thinks proper, for reasons to be recorded in writing.

25. Proceedings in emergencies

(1) Not withstanding anything to the contrary contained in this Act, whenever the Collector, for reasons to be recorded by him, is of opinion that the delay in the repair of any existing irrigation works adversely affects or is likely to affect adversely lands which are dependent on such irrigation work for supply of water, he may forthwith cause the repair of such irrigation work.

Provided that the Collector shall cause public notice to be given at convenient places in every village in which the irrigation work is situated stating that the work mentioned therein has already been begun.

(2) When any such work has been completed, the Collector shall cause notice to be given in the manner aforesaid stating that the work mentioned therein has been completed.

26. Delegation by Collector of authority to repair or construct

If any person required to carry out any work of repair, extension or alteration fails to do so in the manner and within the period specified or within such further period, if any, as may be allowed by the Collector in writing, the Collector may subject to the rules prescribed by a written order, authorise any agency to carry out the said work in the manner and within the period specified in the order.


CHAPTER VIII: NAVIGATION WORKS

27. Navigable channels

It shall be lawful for the State Government from time to time, by notification to that effect published in the official Gazette to declare that the provisions of this chapter shall apply to any line of navigation specified in such notification and from and after such publication the provisions of this chapter shall apply to, and be in force as regards, such navigation channel.

28. Authority for navigable channels

It shall be lawful for the state Government from time to time, to authorise any of the concerned officers to make and open any line of navigation or to clear and deepen any navigable canal and to stop any watercourse, or make any tracking path, or do any other act necessary for the making or improvement of any such canal.

29. Appointment of supervisor and their power

It shall be lawful for the state Government to appoint any person to be the supervisor of any line of navigation subject to the provisions of this chapter, and such person shall be empowered to cut down and remove any tree which may have fallen or may be likely to fall into such line of navigation and to remove any sunken vessel, and to prevent or remove any other obstruction to navigation, of whatever description, whenever he may think it necessary.

30. Mode of exercising power

- (1) Whenever such supervisor shall consider that the cutting down and removal of any tree or the removal of any other obstruction is necessary, he may in cases of emergency at once remove the same, and may for that purpose enter on any private property.
- (2) In cases not of an emergent nature, he shall serve a notice in writing on the owner or occupier of such private property, directing him to remove the same within a reasonable time.
- (3) If the owner or occupier can not be found, notice may be served by affixing it in some conspicuous place of his dwelling house.
- (4) If the owner or occupier shall not remove the obstruction within the time given in the notice, the supervisor may proceed to remove it himself and may for that purpose enter on any private property.
- (5) Payment of all expenses of such removal may be enforced by the sale of the thing removed in the manner provided for the recovery of tolls as provided in this Act.



CHAPTER IX: VILLAGE CHANNELS

31. Register of village channels to be kept

- (1) The Canal Officer shall keep a register of all village channels whether already existing or constructed under this Act, and shall note thereon in respect of every village channel whether it is a public channel or a private channel and whether maintained at the cost of the Government or the owners, and shall register the names of the owners of every such private channel.
- (2) A village channel made as an extension of, or a branch to, an existing village channel shall be registered as a separate village channel; and so much of the length of any village channel as lies within the limits of any one village or mauza shall be entered on the register as a separate village channel.

Every section of a village channel so separately entered on the register shall be deemed to be a separate village channel in respect of all rights and liabilities imposed by this Act.

Provided that, whenever it appears to the canal officer for any special reason to enter upon his register as one village channel a section of village channel which includes portions lying within two or more villages or mouzas, the canal officer may, register such section as one village channel, and such section shall be deemed to be one village channel in respect of all rights and liabilities imposed by this Act.

32. Acquisition of village channel by agreement

Any person may, with the consent of the Canal Officer, acquire the ownership of an existing village channel for the purpose of improving or maintaining it:

- (a) by taking over any village channel belonging to the Government;
- (b) by transfer of ownership of village channel from the owner thereof by private agreement.

Explanation-"Person" in this chapter includes any number of persons acting jointly and also water users association.

33. Construction of new village channel

Any person may with the permission of a canal officer, construct a new village channel if he has obtained the consent of the owners and occupiers of the land required therefor.

34. Application for construction of new village channel.

Any person desiring the construction of a new village channel, but being unable or unwilling to construct it under a private arrangement with the



owners and occupiers of the land affected, as mentioned in the last preceding section, may apply in writing to the Canal Officer stating:

- (a) that he desires the said Canal Officer, in his behalf and at his cost, to do all things necessary for constructing such village channel;
- (b) that he is ready to defray all costs necessary for acquiring the land and constructing such village channel.

35. Procedure for construction of village channel

- (1) If the Canal Officer considers the construction of such village channel expedient, he may call upon the applicant to deposit any part of the expense as he may consider necessary.
- (2) Upon such deposit being made, the Canal Officer shall-
 - (i) Cause inquiry to be made into the most suitable alignment for the said village channel, and mark out the land which, in his opinion, it will be necessary to occupy for the construction thereof,
 - (ii) forthwith publish a notification in every village through which the village channel is proposed to be taken that so much of such land as is situated within such village has been so marked out, and shall send a copy of such notification to the collector of every district in which any part of such land is situated.
- (3) (a) Such notification shall also call upon any person who wishes to be admitted a joint owner of such village channel to make his application in that respect within thirty days of the publication of such notification.
 - (b) If any such applicant appears, and his application is admitted, he shall be liable to pay his share in the construction of such village channel and in the cost of acquiring such land, and shall be a co-owner of such village channel when constructed.

36. Acquisition of land

- (1) On receipt of copy of notification, the Collector shall proceed to acquire land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.
- (2) No land acquired for the construction of village channel shall be used for any other purpose without the order of the Divisional Canal Officer.

37. Procedure after construction of village channel

- (1) On being put in possession of the land the Canal Officer shall construct the required village channel, and on its completion shall give the applicant notice thereof, and of any sum payable by him on account of the cost of acquiring the land and constructing the village channel.
- (2) On such notice being given, such sum shall be due from the applicant to the canal officer.



(3) On receipt of payment in full of all expenses incurred, the Canal Officer shall make over possession of such village channel to such applicant.

38. Canal Officer may direct transfer of village Channel

- (1) Whenever a Canal Officer considers that the transfer of a village channel from the owner is necessary for the proper management of the irrigation from such village channel, he may cause a notice to be served on the registered owner to appear on a certain day, not less than fifteen days after service of the notice, and to prefer any objection to such transfer.
- (2) After hearing such objection, the Canal Officer may order that such village channel shall be transferred to such person as he may think fit, and that such person be registered as owner of the said village channel: Provided that no person shall be registered as the owner of a village channel under this section ,unless he has expressed in writing his willingness to be so registered, and until he has paid to the Canal Officer such sum as may be fixed by the Canal Officer.

39. Admission of joint owner of village channel

- (1) Any person wishing to become the joint owner of an existing village channel may petition the Canal Officer to that effect, and on receipt of such petition the Canal Officer may, if he thinks fit, issue a notice as provided in last preceding section upon the registered owner, and, after hearing any objection which the registered owner may prefer against the admission of such applicant to be a joint owner, may direct that the applicant shall be registered as such joint owner.
- (2) All joint owners of a village channel shall be held to have an equal interest in it, unless with the permission of the Canal Officer, they register specific unequal interests.

40. Payment for joint ownership

When deciding the question of transfer or of admission of joint ownership under either of the two last preceding sections, the Canal Officer shall also determine what amount shall be paid as the cost of the proceeding.

As compensation to the previous owners and the amount so determined shall be due by the transferee, or the person admitted to registry as a joint owner, as the case may be and on payment of such amount, the village channel shall be transferred, or the applicant shall be registered as a owner or a joint owner thereof, as the case may be.



41. Rent for a transferred village channel

Instead of awarding payment of compensation, under the last preceding section, the Canal Officer may fix an amount of rent to be paid annually to the previous owner by the person to whom the village channel is transferred.

42. Rights and obligations of owner of village channel

- (1) Every owner of a village channel shall be bound-
 - (a) to construct and maintain all works necessary for passage across such village channel of canals, village channels, drainage channels, and public road existing at the time of its construction, and of the drainage intercepted by it, and for affording proper communication across it for the convenience of the occupants of neighbouring lands;
 - (b) to maintain such village channel in a proper state of repair for the conveyance of water;
 - (c) to allow the use of it to others on such terms as may be declared equitable by the Canal Officer;
 - (d) to have supply of water by such village channel at such rates and on such terms as are prescribed by the State Government.
 - (e) To receive such rent for the use of village channel by other persons as the Canal Officer may award;
- (2) If any village channel transferred under this Act is disused for three years continuously, the right of the applicant or of his representative in interest, to occupy such village channel shall cease absolutely.

43. If owner of village channel fails to execute work or repair, Canal Officer may do so

If the owner of a village channel fails to fulfil the obligations mentioned in clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of the last preceding section, the Canal Officer may require him by notice to execute the necessary works or repairs within a periods not being less than fifteen days, and in the event of failure may execute them on his behalf;

And all expenses incurred by the executions of such works or repairs shall be a sum due by such owner to Government;

And, if any such owner who has already failed on one occasion to execute such works or repairs when required to do so, and has left them to be executed on his behalf by the Canal Officer, again fails to execute any such works or repairs when required to do so; or if any such owner shall refuse in any respect to fulfil the obligation mentioned in clause (c) of sub-section(1) of the last preceding section, after having been required to fulfil the same by a notice in writing from the Canal Officer, the Canal Officer may strike such village channel off the register, and so disqualify it to be any longer a medium for the conveyance of canal water.



44. Procedure when joint owner neglects or refuses to maintain the village channel

- (1) If any person, jointly responsible with others for the maintenance of a village channel, or jointly making use of a village channel with others, neglects or refuses to pay his share of the maintenance or to execute his share of the maintenance or to execute his share of any work necessary for such maintenance, the Divisional Canal Officer, on receiving an application in writing from any person aggrieved by such neglect or refusal, shall serve notice on all the parties concerned that on the expiration of fifteen days from the service, he shall investigate the case, and shall, on the expiration of that period, investigate the case accordingly, and make such order thereon as he deems fit.
- (2) Such order shall be appealable to the Superintending Engineer, whose order thereon shall be final.
- (3) Any sum directed by such order shall be paid within a specified period.

45. Divisional Canal Officer may authorise supply

(1) Whenever application is made to a Divisional Canal Officer for supply of water from an irrigation work, and it appears to him expedient that such supply should be given and that it should be conveyed through some village channel, he shall give notice to the persons responsible for the maintenance of such village channel to show cause on a day not less than fourteen days from the date of such notice, why the said supply should not be so conveyed, and, after making enquiry on such day, the Divisional Canal Officer shall determine whether and on what conditions the said supply shall be conveyed through such village channel;

Provided that such application is made for lands already included in the irrigation work.

- (2) Any person, aggrieved by the determination of the Divisional Canal Officer, may prefer an appeal to the Superintending Engineer within thirty days of such determination.
- (3) When the Divisional Canal Officer determines that supply of water of an irrigation work may be conveyed through any village channel as aforesaid, his decision shall, when confirmed or modified by the Superintending Engineer on appeal, be binding on the applicant and also on the person responsible for the maintenance of the said village channel.
- (4) Such applicant shall not be entitled to use such village channel until he has paid the expense of any alteration of such village channel necessary in order to his being supplied through it, and also such share of the first cost of such village channel as the Divisional Canal Officer or, as the case may be, Superintending Engineer may determine.



- (5) Such applicant shall also be liable for his share of the cost of maintenance of such village channel so long as he uses it.
- (6) The Canal Officer shall fix a sum as rent to be paid for the use of such village channel to the owner.

46. Government may transfer distributary, minor or water course to water users Association

- (1) Government may transfer any Government distributary, minor or water course to the Water User Association (s) formed by the beneficiaries or to a group of person who may be considered fit by the Government to be owner of the said channels for their maintenance and operation. These channels, in such a case, will be considered as village channels and will accordingly be governed by the provisions of this chapter.
- (2) In case the management of distributary, sub-distributary or minor is handed over to the WUA, the WUA shall be supplied with authorised discharge at the head regulator of such channel. The Executive Engineer will ensure that the water so supplied will be in proportion to the area to be irrigated from that channel. In the case of deficient water supply in the parent channel, the shortage shall be equitably distributed to the various channel.

47. Preparation of draft scheme for on-farm development

- (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in this Act and subject to the rules, that may be made by the State Government in this behalf, an officer designated by the State Government in this behalf may, on his own motion or on the application of not less than fifty percent of the owners or occupiers of land in the culturable commanded area, prepare a draft scheme to provide for on-farm development on a group or block of fields.
- (2) Every scheme prepared under sub-section (1) shall among other matters, set out the cost of the on-farm development works, sketch plan of the area proposed to be covered by the said scheme, and particulars of the owners or occupier to be benefited by the said scheme.
- (3) Every scheme shall, as soon as may be after its preparation, be published in such form and manner as may be prescribed inviting objections and suggestions with respect thereof within twenty-one days of the publication.
- (4) After consideration of such objections and suggestions if any, the said officer shall approve the scheme either as it was originally published or in such modified form as he may consider fit and publish the same.
- (5) The officer designated by the State Government in this behalf may, at any time or on an application by any person aggrieved by the approved scheme made within a period of thirty days from the date of publication of the particulars of the scheme under sub- sections (4), revise the scheme approved by the said officer :-



Provided that such revision shall not be made without affording the person affected an opportunity of being heard.

- (6) An owner or occupier aggrieved by the order of the said officer in respect of a scheme, which has not been approved, may prefer an appeal, within thirty days of the passing of the order to such officer designated by the State Government in this behalf whose decision shall be final.
- (7) After a scheme has been approved by the said officer under sub- section (4) or where an appeal is pending before an officer under sub-section (6), after it has been disposed of by him, the scheme shall be published in such manner as may be prescribed and upon such publication, it shall be executed or got executed by the owners or occupiers in the group or block of field at their cost, within such period of time as may be specified by the said officer.
- (8) In the event of the failure of any or all of the said owners or occupiers to execute the works within the said period of time specified by the said officer or in the event of any or all of the owner or occupiers informing in writing the said officer prior to the expiry of the said period of time that they are unable to execute or get executed the works as required, the works may be carried out by the State Government or by an agency determined by the State Government in that behalf, and the cost of the works to executed by the State Government or by the said agency, as the case may be, shall be recoverable by the State Government or the said agency, as the case may, be from the owners or occupiers who fail or indicate their inability, to execute or get executed the works as required.
- (9) The share of the individual owners or occupiers of the cost of the works executed in the said group or block of field by the State Government or by the said agency, as the case may be, shall be as determined by the State Government or by the said agency, as the case may be.

48. Divisional Canal Officer may construct field drains on behalf of owner or occupiers

- Notwithstanding any thing contained to the contrary in sub-section (1) of section 16 the Divisional Canal Officer may cause a scheme for field drain to be drawn up.
- (2) Every scheme drawn up under sub-section (1) amongst other matters shall set out the estimated cost thereof, the alignment of the proposed field drain or realignment of the existing field drain, as the case may be, the particulars of the owners or occupiers to be benefited and other persons who may be benefited thereby and sketch plan of the area proposed to be covered by the scheme.
- (3) The Divisional Canal Officer may construct the field drain on behalf of the owners or occupiers and recover the cost pro-rata from the owners or occupiers.





CHAPTER X: THE SUPPLY OF WATER

49. Divisional Canal Officer to regulate the supply of water for irrigation

A Divisional Canal Officer duly empowered by the State Government by a notification in respect of any irrigation work or class of irrigation works may, after such inquiry as he deems fit, regulate in respect of any irrigation work for each year or part thereof or for a specified term of years at a time, as circumstances may require-

- (i) the time for letting out water for irrigation;
- (ii) the period of supply;
- (iii) the quantity of supply; and
- (iv) the areas to be supplied at different times.

Explanation- A land shall be deemed to have been supplied with water notwithstanding that the water is not utilised for irrigation or such nonutilisation is due solely to the action or inaction on the part of the owners or occupiers interested in such land.

50. Declaration of assured irrigable command area of a canal

- (1) The Divisional Canal Officer or officer authorised by the State Government may, for the purpose of this Act, by notification, declare any area to be assured irrigable command area which shall comprise of such lands the irrigation of which is assured by direct or indirect flow from a canal during, such period of the year as may be specified in the notification which in the opinion of the Divisional Canal Officer or any officer authorised by the State Government, be sufficient for maturity of the crops during the said period, and any area to be probable irrigable command area which shall comprise of such lands the irrigation of which is unassured and is subject to availability of water during the said period.
- (2) A public notice shall be affixed for the recovery of rent in such area in all the offices of the Gram Panchayat, police-station, office of the Anchal Adhikaris and in all Cutcheries of the State Government and the substance of the notice shall be announced by beat of drum in all the village falling in the notified area and the substance shall be published in two consecutive number of two newspapers circulating in the area.

51. Filling of application for inclusion in or exclusion from assured irrigable command or probable irrigable command area-

(1) Any of the occupiers of land may file an application before Canal Officer for inclusion of any land in, or exclusion of any land form, the assured irrigable command area or probable irrigable command area within ninety days of publication of the notification referred to in section 50.



- (2) On receipt of such application the Canal Officer shall hear the applicant and pass such orders as he may deem fit.
- (3) An appeal against the order of the Canal Officer shall lie to the Divisional Canal Officer within thirty days of the order passed under sub-section (2) and the order of the Divisional Canal Officer thereon shall be final.

52. Order to be recorded in writing

If on an application made under section 51 the Canal Officer passes orders for inclusion of any land in, or exclusion of any land from, the assured irrigable command area or probable irrigable command area 01" a canal he shall cause his orders to be recorded in writing in such forms as may be prescribed by rules made.

53. Person entitled to have supply of water

- (1) Every occupier of land within an assured irrigable command area of a caNal shall be entitled to have supply of water from the canal for irrigation purposes sufficient for the maturity of the crop grown during the period, specified, in the notification under section 50 and every occupier of land in the probable irrigable command area of a canal shall be entitled to have such supply subject to the availability of water during that period, and every such occupier shall be liable to pay such water charges as may be determined irrespective of the fact whether he uses such water or not.
- (2) Till such time as the assured irrigable command area or probable irrigable command area is notified, water will be supplied for irrigation by the Canal Officer and every person to whom water supplied shall be liable to pay such water charges as may be determined by the State Government.
- (3) Any occupier of land beyond assured irrigable command or probable irrigable command area, desirous of supply of water to his land from a canal shall make written application to that effect to the Canal Officer in the form prescribed, and water may be supplied (provided the area to be irrigated forms one compact block) after assessing the needs of the assured irrigable command and probable irrigable command areas and every such occupier shall be liable to pay water charges as may be determined by the State Government.

54. Regulation of supply of water

- (1) The Canal Officer may stop the supply of water to any village channel, or to any person who is entitled to such supply, in the following cases:-
- (a) Whenever and so long it is necessary to stop such supply for the purposes of executing any work ordered by competent authority;
- (b) Whenever and so long as the village channel is in such disrepair as to prevent the wasteful escape of water therefrom;



- (c) Whenever and so long as it is necessary to do so in rotation to supply the legitimate demands of other persons entitled to water;
- (d) Whenever and so long as it may be necessary to stop the supply in order to prevent the wastage or misuse of water;
- (e) Within the period fixed from time to time by the Divisional Canal Officer of which due notice shall be given;
- (f) Whenever there is diminution in the supply of water in the irrigation work due to any natural or seasonal cause and so long as it is necessary to do so;
- (g) For any reason beyond the control of the Divisional Canal Officer.
- (2) No claim shall be made against the State Government for compensation in respect of loss caused by the failure or stoppage of water from an irrigation work. Provided that the person suffering such loss may claim such remission of the charges payable for the use of the water as is specified by the State Government.

55. Sale or sub-letting of right to use canal water

(1) Except with the permission of the Superintending Engineer no person entitled to use the water of any irrigation work shall sell or sub-let or otherwise transfer his right to such use or use it for unauthorised purposes.

Provided that no permission shall be necessary for use of water for authorised purposes by a cultivating tenant of water supplied by the owner of a village channel for the irrigation of the land held by such tenant.

(2) Every right to supply of water for agricultural purposes to any land or other immovable property shall be attached thereto and shall be presumed to have been so transferred whenever a transfer of such land or immovable property takes place.

56. Duration of supply

When water from an irrigation work is supplied for the irrigation of one or more crops only, the right to use such water shall be deemed to continue only until such crop or crops shall come into maturity, and to apply only to such crop or crops.

57. Canal Officer may supply water for purposes other than those of irrigation

On an application being made for a supply of water to be used for purposes other than those of irrigation, the Canal Officer may give permission for water to be taken for such purposes under such special conditions and restrictions as to the limitation and control of the supply as he shall think proper to impose in each case.



58. Declaration of cropping pattern for assured irrigable command by the State Government

- (1) where the State Government is satisfied that, for the better cultivation oflands, and production of crops and due preservation and proper utilisation of water resources of any irrigation work, or in the public interest, it is expedient to regulate the kind of crops that should be sown, planted or grown on land under the irrigable command of an irrigation work or any part thereof, and the period during which such crops should be sown, planted or grown on such lands, the State Government may, having regard to the soil characteristics, climate. rain rail and water available, by order in writing make a declaration to that effect. Such a declaration shall be given wide publicity in such manner by the Canal Officer authorised by the State Government as he may think fit.
- (2) On such a declaration, the Canal Officer with the approval of the Superior Officer authorised by the State Government, may specify by notice published in such manner as may be determined by him, the kind of crops that shall be sown, planted or grown on the lands under the irrigable command of the irrigation work or any part thereof, the area of crops, and the periods during which such crops shall be sown, planted or grown. The Canal Officer shall, subject to the provisions of this Act, thereupon by order regulate the supply of water from the irrigation work for sowing, planting and growing such crops during the periods specified in the order.
- (3) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for determining the crops, and the periods during which such crops may be sown, planted or grown and for regulating supply of water for the purpose. Such rules may provide for fixing the extent of irrigation for sowing, planting or growing different crops on the lands under the irrigable command on an irrigation work.
- (4) On the publication of the notice under sub- section (2) no person shall sow, plant or grow or allow any crop, other that the crop or crops specified in such notice, to be sown, planted or grown on any land under the irrigable command of the irrigation work or any part thereof, specified in such notice and during the periods specified therein.
- (5) Any person aggrieved by any notice given under sub-section (2), may, within, thirty days from the date of publication of such notice, file an appeal before such officer not below the rank of Superintending Engineer as the State government may appoint. The appellate Officer may on hearing the parties pass such order as he thinks fit; and thereupon, the notice shall stand modified to such extent as may be specified in the order.



- (6) The person, who has sown, planted or grown any unauthorised crop, or allowed any land to be sown, planted or grown with such unauthorised crop, shall -
 - (a) be liable for contravening the provisions of this section; and
 - (b) also be liable to pay such water rate, as may be prescribed by the State Government, not being less than five times and not exceeding ten times the water rates which he would otherwise have been required to pay in addition to any penalty he may incur under the Act for such unauthorised crop;

Provided that if no water is utilised either directly or indirectly from the irrigation work for growing any crop, the provisions of subsections (4) and (6) shall not be applicable.

59. Transfer of schemes to water committee

- (1) Where in the opinion of the State Government an irrigation work is likely to irrigate lands not exceeding 200 hectares in an area as may be prescribed; the State Government may, in the public interest by notification prepare a draft scheme for supply of water from such irrigation works to such lands. The draft scheme shall provide for handing over the management of the irrigation work and distribution of water therefrom to the Water Committee appointed in this behalf.
- (2) The draft scheme shall contain the following particulars:-
 - (a) the area to which the scheme is applicable;
 - (b) the survey number of lands included in such area and the names of owners and occupiers thereof;
 - (c) the period or periods during which water will be supplied to such lands;
 - (d) the crop or crops which will be permitted to be grown thereon;
 - (e) the water rate at which water may be supplied to such land included in the scheme;
 - (f) the amount to be paid by the State Government for the management of the irrigation work to the Water Committee; and
 - (g) fixing a period of not less than three months from the date of publication of such notification, for submission of objections or suggestions to such scheme.
- (3) After the publication of such notification, it shall also be published by the Canal Officer duly empowered in this behalf as soon as practicable in the language of the residents of the area through which the irrigation work passes in such place or places and in such manner as he thinks fit for the information of the owners and occupiers who are likely to be affected by such notification.



- (4) After considering such objections and suggestions, if any, as may have been received with the period fixed as aforesaid, the State Government may, after making due inquiries, sanction the draft scheme with or without any notifications or may reject it.
- (5) The scheme as sanctioned under sub-section (4) shall be published in the Official Gazette, and in the village and at the headquarters of the Block Office and of the district in which the lands included in the scheme are situated, in such manner as the State Government deems fit, and shall, on such publication, be final.

60. Enforcement, alteration and cancellation of the scheme

- (1) The scheme shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
- (2) The scheme may at any time be varied by a subsequent scheme made, published and sanctioned in accordance with the provision of section 59
- (3) The scheme may at any time be cancelled by the State Government by a notification.

61. Appointment of Water Committee

- (1) After a scheme has come into force under sub-section (1) of section 60, the State Government shall appoint a Water Committee to execute the scheme subject to the superintendence, direction and control of the Canal Officer appointed by the State Government for the purpose.
- (2) The Water Committee shall consist of five persons or as may be prescribed, appointed from amongst the owners and occupiers of lands included in the scheme.
- (3) The members may be appointed by the State Government or any officer thereof duly empowered by it in that behalf.
- (4) The members of the Committee shall ordinarily hold office for a period of two years from the date of their appointment.
- (5) The members of the Committee shall hold office at the pleasure of the State Government and the State Government may terminate the appointment of all or any of the members of the Committee at any time by an order in writing in that behalf.
- (6) The Water Committee may meet from time to time, and may follow such procedure as it deems fit for the transaction, of its business,
- (7) The Water Committee shall-
 - (a) manage the irrigation work and ensure proper distribution of water to the lands included in the scheme;
 - (b) decide the crops to be grown during any period or periods according to the provisions of the scheme:
 - (c) Carry out day to day maintenance and repair of the irrigation work;



- (d) maintain the irrigation system of the irrigation work beyond the outlet in a fit state of supply of water;
- (e) assist the Canal Officer-
 - (i) in detecting and preventing encroachment on the irrigation work and on the lands appertaining thereto;
 - (ii) for preventing damage to the irrigation work;
 - (iii) for repairing any damage caused to the irrigation work;
- (f) have power to impose a penalty in the manner prescribed for unauthorised use of water, or use of water out of turn or for growing crops contrary to the provisions of the scheme;
- (g) maintain accounts of the amount paid to it in such manner as may be prescribed.
- (8) The penalty may consist of a fine not exceeding one thousand rupees.
- (9) Any person aggrieved by the decisions of the Water Committee may within thirty days from the date of receipt of the decision of the Water Committee make an appeal to the Canal Officer or any officer duly empowered by the State Government for the purpose.
- (10) The State Government may, not later than two years from the date of the order, call for and examine the record of any inquiry or proceeding underlying such order of the Water Committee, or of the officer appointed by it, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed or as to the regularity of the proceeding, and it may pass any order upholding, annulling, modifying or reversing the order of the Water Committee or of any such officer:

Provided that, no order affecting any person shall be made unless such person is given a reasonable opportunity of being heard.

- (11) If at any time the State Government is of opinion-
 - (a) that the Water Committee has persistently made default in the performance of the functions imposed on it by or under this Act, or
 - (b) that the circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do, the State Government may, by notification, supersede the Water Committee for such period, not exceeding two years as may be specified in the notification :

Provided that before issuing a notification under this sub-section for the reasons mentioned in clause (a), the State Government shall give a reasonable opportunity to the Water Committee to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanation and objection, if any, of the Water Committee.

- (12) Upon the publication of a notification under sub-section (11) superseding the Water Committee-
 - (a) all the members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;



- (b) all the power, functions and duties which may, by or under this Act, be exercised, performed or discharged by the Water Committee shall, until, the Water Committee is reconstituted under sub-section (13) be exercised, performed or discharged by the Canal Officer as the State Government may direct;
- (c) all property owned or controlled by the Water Committee shall until the water Committee is reconstituted under sub-section (13) vest in the State Government.
- (13) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub- section (II), the State Government may-
 - (a) extend the period of supersession for such further term, not exceeding six months as it may consider necessary; or
 - (b) reconstitute the Water Committee by fresh appointment, and in such case any person who vacated his office under clause (a) of sub-section (11) shall not be deemed to be disqualified for appointment:

Provided that the State Government may at any time before the expiration of the period of supersession, whether originally superseded under sub-section (11) or as extended under this sub-section, take action under clause (b) of this sub-section.



CHAPTER XI: WATER RATES AND TOLL

62. Charges for water- Whenever

- (a) water is supplied, made available or used for purposes of irrigation, municipal supply, industrial or commercial purposes from any irrigation work belonging to or constructed by, or on behalf of the State Government; and
- (b) Water from any such work, by direct flow or percolation or by indirect flow, percolation or drainage from or through adjoining land, irrigate any land under cultivation or flows into a reservoir and there after by direct flow or percolation or by indirect flow, percolation, or drainage from or through adjoining land irrigates any land under cultivation and, in the opinion of the Divisional Canal Officer such irrigation is beneficial to crops on such land :

the Government shall be entitled to levy a separate charge for such water hereinafter referred to as water rate and the Government may prescribe the rates at which such water rates shall be levied, which may be-

- (i) different in respect of water supplied, made available or used having regard to the costs of operation and maintenance of irrigation or drainage work;
- (ii) different in respect of water supplied made available or used for different purposes;
- (iii) different in respect of water supplied, made available or used for irrigation of any land with reference to the crop or crops grown or which may be grown on such lands;
- (iv) different in respect of the quantity and timelyness of supply of water or the number of watering.

63. Assessment of water charges

The Canal Officer shall prepare an assessment of the water charges for the purposes in respect of which water was supplied, made available or used from an irrigation work, and serve the same on the owner or occupier.

64. Appeal against assessment

An appeal against the assessment order of the Canal Officer shall lie to the Divisional Canal Officer in the prescribed manner within twenty one days of the passing of the order.

65. Notice for demand

As soon as an assessment is made under section 63 or where an appeal has been preferred and disposed off under section 64, the Canal Officer shall



serve a notice of demand in the prescribed manner for the amount of water charges assessed.

66. Period to be prescribed by the State Government

Any person on whom a notice of demand has been served shall be liable to pay the same within the period prescribed in this behalf.

67. Liability of occupiers of lands benefiting from unauthorised use of water

If canal water is used in an unauthorised manner and if the person by whose act or neglect such use has occurred cannot be identified, the occupiers of the lands on which such water has flowed, if such lands, have received benefit therefrom, shall be liable to the charges made from such use as determined by the State Government.

Explanation.- Water is said to be used in an unauthorised manner when it is taken from any canal, outlet or village channel or from the assured irrigable command area or probable irrigable command area in contravention of any of the provisions of this act or the rules made under or of any order passed by a Canal Officer in this behalf.

68. Liability when water runs to waste

- (1) If water supplied through a village channel be suffered to run to waste and if, after inquiry by the Canal Officer, the person through whose act or neglect such water was suffered to run to waste cannot be discovered, all the persons chargeable in respect of the water supplied through such village channel for the crop then on the ground shall be jointly liable for the charge made in respect of the water so wasted, as prescribed by the State Government.
- (2) All questions arising under this and the last preceding section shall be decided by the Canal Officer, subject to the provisions of the Act.

69. Charges recoverable in addition to penalty

All charges for the unauthorised use or for waste of water shall be deemed to be water rate due on the crop, and may be recovered as such water rate in addition to any penalties incurred on account of such use or waste.

70. Contract for collection of dues

The Canal Officer may enter into an agreement with any person for the collection and payment to the Government by such person of any sum payable under this Act by a third party.



71. Tolls on lines of navigation

Tolls at such rates as shall be fixed in manner hereafter mentioned shall be paid in respect of all vessels entering upon or passing along any of the lines of navigation subject to the provisions of this Act:

Provided that such tolls shall be payable only so long as such line of navigation shall be open.

72. State Government may fix and alter rates of tolls

The State Government may fix and, from time to time, alter the rates at which such tolls shall be levied.

73. Publication of rates of toll

Notification of the rates of toll and of the places of collection shall be exhibited to public view at every toll house in the Hindi language in Devanagri Script.

74. State Government to appoint person to collect tolls, who may farm collection

- (1) The State Government shall appoint such person as it may think fit to collect tolls under this Act, and it shall be lawful for any person so appointed to farm the collection of tolls to any other person, with the sanction of the State Government or to employ any other person in such collection.
- (2) The person to whom the collection of tolls may be farmed out, or who may be employed in the collection of them, shall have power to collect and be authorised to receive them in the like manner as any person appointed as aforesaid.

75. Payment of tolls

- (1) If any toll due under the provisions of this Act in respect of any vessel shall not be paid, on demand to the person authorised to collect the same, it shall be lawful for such person to seize such vessel, and any furniture thereof, and to detains the same.
- (2) Such person shall, within twenty four hours of such seizure and detention, report the same to the nearest Collector or Deputy Collector of the district in which the seizure has been made, or other public officer duly authorised by Government in that behalf.
- (3) On receipt of this report the Collector, Deputy Collector or other officer as aforesaid shall publish a notice appointing a day for the sale of the said vessel and any furniture thereof.
- (4) The sale shall be held at some period not less than fifteen days from the date of the publication of notice of sale; and if the toll and also



any expenses occasioned by non- payment be not paid, or sufficient cause for non-payment be not shown, at or before the time of sale to the Collector, Deputy Collector or other officer as aforesaid, such officer shall sell the vessel and furniture seized, or so much thereof as may be necessary to pay the toll and also any expenses occasioned by non-payment.

(5) So much of the property seized as may not have been sold, and so much of the sale proceeds as may be in excess of the sum necessary for satisfying the toll and for defraying the expenses occasioned by non-payment, shall be returned to the person in- charge of the vessel.



CHAPTER XII: LEVY OF BETTERMENT CONTRIBUTION

76. Beneficiaries to pay betterment contribution

(1) There shall be levied a tax called betterment contribution in accordance with the provisions of this Chapter from the owner who is benefited by the construction, expansion, improvement or alteration of any irrigation work by the State Government. Explanation (1) A land shall be deemed to be benefited not interaction of a statistical end of the state of the sta

notwithstanding that the benefit is not enjoyed, provided such nonenjoyment is due solely to the action or inaction on the part of the person or persons interested in such land.

Explanation (2) A land shall not be deemed to be benefited merely by reason of the execution of repairs and maintenance of an irrigation work wholly or partly at the expense of the State Government.

(2) For purpose of levy of betterment contribution, the prescribed officer shall, by notification, specify the dates of commencement and completion of the construction, expansion, improvement or alteration of any irrigation work and different dates of commencement and completion of any irrigation work depending upon the date on which water is made available to such lands.

77. Assessment of betterment contribution

(1) The amount of betterment contribution payable in respect of any land shall be an amount equal to the fraction as specified by the State Government of the total cost of the construction, expansion or improvement or alteration of the irrigation work:

Provided that the amount of betterment contribution payable in respect of any land shall not be more than the cost per hectare as may be prescribed by the State Government from time to time:

Provided further that the Government may prescribe different fraction of the total cost of construction, expansion, improvement or alteration of the irrigation work and different rates per hectare for different lands covered by different projects for purpose of betterment contribution :

Provided also that no betterment contribution shall be leviable in respect of a land

- (a) not earlier than five years from the date on which water is made available;
- (b) which is unarable;
- (c) benefited by the construction, expansion, improvement or alteration of an irrigation work which is not capable of irrigating more than forty hectares of land.



- (2) As soon as may be, after the publication of notification under subsection (2) of section 76 in respect of any irrigation work, the Betterment Levy Officer shall prepare a statement showing the land under the irrigable command of the irrigation work in respect of which the betterment contribution in accordance with the provisions of sub-section (I) is payable, and the nature and extent of irrigability of different lands.
- (3) The statement so prepared along with a public notice shall be published in the village and the Block Office and in such other manner as may be prescribed and such notice shall require the owners of lands under the culturable commended area of the irrigation work to appear before the Betterment Levy Officer either personally or by agent at a time and place therein mentioned, such time not being earlier than one month from the date of publication of the notice, and to state-
 - (a) their objection-
 - (i) to the inclusion of lands in the statement as land under the irrigable command of the irrigation work;
 - (ii) to the inclusion of the lands in the statement as land of any specified nature and extent of irrigability; and
 - (b) in respect of payment of betterment contribution, the basis on which they claim that the amount of betterment contribution has to be computed and such statement shall be made in writing and signed by the party or his agent.
- (4) The Betterment Levy Officer shall also serve notice to the same effect on the owner of such land or his agent authorised to receive service on his behalf, who resides within the revenue district in which the land is situated and in case any owner resides elsewhere and has no such agent, the notice shall be sent to him by registered post.
- (5) On the date fixed under sub-section (3) or on such other date to which an inquiry may be adjourned, the Betterment Levy Officer shall after holding an inquiry in the manner prescribed and after giving an opportunity of being heard to every person who has made a statement under sub-section (3) make an order specifying-
 - (a) the amount of betterment contribution payable in respect of the said lands; and
 - (b) the date from which such betterment contribution shall be payable.
- (6) Any person aggrieved by an order made under sub-section (5) may, within sixty days from the date of the order, appeal to the prescribed authority and the authority may pass such orders on the appeal as it may deem fit.



- (7) An order passed by the prescribed authority on an appeal preferred to it under sub-section (6) and subject to the orders of the authority the order of the Betterment Levy Officer under sub-section (5) shall be final.
- (8) At the end of every four years from the year in which the betterment contribution is finally determined under sub-section (1) any future instalment of such contribution shall be liable to be revised on the same basis as provided in the said sub-section.
- (9) If in the opinion of the State Government the enforcement of all or any of the provisions of this chapter will cause hardship in any case or cases, the Government may, by notification, setting out the ground therefore, exempt either permanently or for a specified period such case or cases from all or any of the provisions of this chapter, subject to such condition, if any, as the Government may deem fit to impose.

78. Betterment Levy Officer to serve notice of demand on owner

The contribution shall become payable under this chapter on a written notice of demand thereof issued by the Betterment Levy Officer being served on the owner:

Provided that no notice of demand shall be served on owner until an order made under sub-section (5) of section 77 becomes final:

Provided further that where, before the commencement of this Act, five years or more have elapsed from the date of completion of the construction, expansion, improvement or alteration of the work such notice may be served at any time after such commencement.

79. Betterment contribution deemed to be revenue demand

(1) The owner of any land, in respect of which contribution is payable, shall pay it in cash in such annual instalment not exceeding twenty as may be prescribed:

Provided, that if, on or before the date on which the first instalment is payable, or at subsequent date within a period of two years from that date, the owner pays the entire contribution or balance of contribution, as the case may be, he shall be entitled to a rebate as may be prescribed on such contribution or balance of contribution, as the case may be.

(2) Contribution payable under this Act in respect of any land shall be deemed to be revenue demand due upon the said land.

80. Any person having interest in the land may pay the contribution

Any person having interest in a land may, notwithstanding that he is not the owner of such land, pay the contribution payable by the owner in respect of



such land and shall, if such person, pays the entire contribution within a period of two years from the date on which the owner becomes liable to pay the contribution, be entitled to a rebate as may be prescribed.

81. Claim on account of failure or stoppage of water in Irrigation work

No claim shall lie against the State Government for compensation or for the refund of betterment contribution on account of loss occasioned by any temporary failure or stoppage of water in an irrigation work or by any cause beyond the control of the Divisional Canal Officer or by any repairs, alterations or additions made to such work.



CHAPTER XIII: OFFENCES AND PENALTIES

82. Offences under Act

Whoever voluntarily and without proper authority, does any of the following acts:-

- (a) damages, alters, enlarges or obstructs; or encroaches upon any Irrigation work;
- (b) interferes with, increases; or diminishes the supply of water from, through, over or under, any Irrigation work, or by any means raises or lowers the level of the water in any such work;
- (c) interferes with or alter; the flow of water in any river, or stream, so as to endanger, damage or render less useful any irrigation work;
- (d) being responsible for the maintenance of a village channel, or using it, neglects to take proper cautions for the prevention of waste of the water thereof, or interferes with the authorised distribution of the water therefrom, or uses such water in an unauthorised manner, or refuses to allow the use of the channel to others;
- (e) corrupts or fouls the water of any canal so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;
- (f) destroys, defaces or moves any level mark or water gauge fixed by the authority of a public servants;
- (g) destroys or removes any apparatus, or part of any apparatus for controlling or regulating the flow of water in any irrigation work;
- (h) causes vehicles of any type to pass in or across any of the work, banks or channel of a canal through other than the specified places, contrary to the rule, made under this Act;
- (i) without the permission of the Canal Officer knowingly or willingly roots up grass or other vegetation growing on any such embankment or removes, cuts or any way injures any trees, bushes, grass or hedges intended for the protection of such embankments;
- (j) causes any vessel to enter or navigate on any irrigation work contrary to the rules prescribed by the State Government;
- (k) while navigating on any irrigation work neglects to take proper precaution for the safety of the irrigation work and of vessel thereon;
- (1) neglects, without reasonable cause, to carry out duties in connection with the execution of any repair or work, when lawfully bound to do;
- (m) grows or allows to grow any crop in contravention of a notification under the provision of the Act;
- (n) uses water from an irrigation work without obtaining the permission;
- (o) wilfully obstructs any person duly authorised under this Act, in removing and levelling any embankment, houses, hut or other building, or in lawful exercises of any power in this Act;



- (p) violates any rule made under the Act, for breach whereof a penalty may be incurred;
- (q) erects or causes or wilful permits to be erected any new embankment, or adds to any existing embankment without previous permission of the Collector;
- (r) wilfully causes or aids in causing any obstruction to any line of navigation or damages the works of such line of navigation:

shall on conviction, be liable to fine not exceeding five hundred rupees, or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both:

Provided that in conviction for neglect of duty under Section 91, shall be liable to fine not exceeding five hundred rupees or to imprisonment for a term not exceeding one month or to both.

83. Further offences

Whoever, without the authority of the Canal Officer -

- (a) pierces or cuts through, or attempts to pierce or cut through, or otherwise to damage, destroy or endanger the stability of, any flood embankments;
- (b) opens, shuts or obstructs or attempts to open, shut or obstruct, any sluice in any such embankments;
- (c) makes any dam or other obstruction for the purpose of diverting or opposing the current of a river on the banks whereof are floods embankment, or refuses or neglects to remove any such dam or obstruction when so required by a Canal Officer;

shall, on conviction be liable to a fine not exceeding two thousand rupees or to imprisonment for a term not exceeding one year.

84. Obstruction to be removed and repaired

- (1) Whenever any person is convicted on an offence under either of the last two preceding sections, the convicting Magistrate may order that he shall remove the obstruction or repair the damage in respect of which the conviction is held within a period to be fixed in such order.
- (2) If such person neglects or refused to obey such order within the fixed period, the Canal Officer may remove such obstruction, or repair such damage and the cost of such removal or repair shall be levied from such person by the Collector under the procedure provided by the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914(B & 0 Act 4 of 1914) for the recovery of public demand.



85. Persons employed on canal may take offenders into custody

Any person in charge of or employed upon, any canal may remove from the lands or building belonging thereto or may take into custody without a warrant and take forth with before a Magistrate or to the nearest police station, to be dealt with according to law, any person who within his view commits any of the following offences:-

- (a) willfully damages or obstructs any canal;
- (b) without proper authority interferes with the supply or flow of water in or from any canal or in any river or stream, so as to make any canal dangerous or render the same less useful.

86. Compensation to person injured

Whenever any person is fined for an offence under this Act, the Court may direct that the whole or any part of such fine may be paid by way of compensation to any person injured by such offence, or to any person who gave information leading to the detection of such offence, or to the conviction of the offender.

87. Saving of prosecution under other laws

Nothing herein contained shall prevent any person from being prosecuted under any other law for the time being enforce for any offence punishable under this Act.

88. All offences under the Act to be cognisable and bailable

Notwithstanding anything contained in the code of Criminal Procedure, 1973 all offences punishable under this Act shall be cognisable and bailable.

89. Procedure when the person committing an offence is a company

(1) If the person committing and offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or



connivance of, or that the commission of the offence, is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officers of the company such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation For the purpose of this section

- (a) "Company" means a body corporate and included a firm or other association of individuals and
- (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

90. Compensation for offences

Any Canal Officer duly empowered under this Act, may accept before the institution of a prosecution under this Act, from any person, against whom a reasonable belief exist that he has committed an offence punishable under this Act or the rules made thereunder a sum of money as may be prescribed but not exceeding two thousand rupees, by way of compensation for such offence.



CHAPTER XIV: OBTAINING LABOUR AND MATERIALS FOR IRRIGATION WORK IN EMERGENCY

91. Canal Officer empowered to obtain labour from locality in case of emergency

- (1) Whenever it appears to the Divisional Canal Officer acting under his general or special orders in this behalf that unless some works or repair is immediately executed such serious damage will happen to any irrigation work as to cause sudden and extensive public injury or serious interruption of the established course of irrigation and that labour necessary for the proper execution thereof cannot be obtained in the ordinary manner in time to prevent such injury or interruption or to remedy it within a reasonable time, the Divisional Canal Officer or any officer acting under the said orders may by public proclamation by beat of drum require the labours enlisted under section 92 who reside in any village within eight K.M. of the place where the work is to be executed, to carry out such duties as he may allot to them in connection with the execution of the work necessary for the particular irrigation work.
- (2) All persons so labouring shall be entitled to payment at rates which shall not be less than the highest rates for the time being paid in the neighbourhood for similar labour.
- (3) In case the management of distributaries, sub-distributaries or minor is handed over to water users association under this Act, the water users association shall be an agency acting under the order of Divisional Canal Officer and on his behalf in the jurisdiction of water users association and may act accordingly and seek help from the Government under the provision of the act related to obtaining labour and materials for irrigation works in emergency.

92. Preparation of list of such labour

Subject so such rules as may be made in this behalf, the Division Canal Officer shall prepare list of labour willing and capable to carry out the duties as aforesaid and may from time to time add to or alter such list or any part thereof.

93. Canal Officer may take possession of materials required for work in emergency

Whenever it appears to a Divisional Canal Officer or any officer acting under his general or special orders in this behalf that it is essential for carrying out urgent works on any irrigation work to prevent public injury caused by damage to works, he may enter upon or into any immovable



property in the neighbourhood of the irrigation work requiring immediate repair, or other work and take possession, appropriate, cut or remove any trees, timber, bamboos, mats, ropes, straw, earth, stone and other materials and prepare an inventory of the materials taken, such materials shall be paid for at the highest prices for which they are sold in the neighbourhood and in case damage is sustained by any person in consequence of the removal, seizure or cutting of any" such material, compensation shall be paid for such damage, by the Divisional Canal Officer.

94. Appeal by such labour when aggrieved by fixation of wages

Any person aggrieved by fixation of wages under sub-section (2) of section 91 may prefer an appeal within sixty days to the Superintending Engineer whose decision shall be final.



CHAPTER XV: SAFETY OF IRRIGATION WORK

95. Encroachment upon irrigation works forbidden

Except as may be prescribed no person without the permission of the Canal Officer shall -

- (a) interfere with or encroach upon an irrigation work, or
- (b) construct any earthen or masonry bund or weir on any channel or stream flowing above or below any irrigation work.

96. Constructions above irrigation work

- (1) Every owner whose tank, well, pond, spring pond or other reservoir is situated above any irrigation work, shall maintain the bunds and surplusing arrangements of such tank, well, pond, spring pond, spring channels or reservoir in a safe and efficient condition.
- (2) If, in the opinion of the Canal Officer, such bunds or surplusing arrangements of the works referred to in sub-section (1) are not in a fit condition and are likely to endanger the irrigation works below, then the owner concerned shall be served with a notice to bring such bund or surplusing arrangements to a reasonably fit condition in such manner and within such time as may be specified in the notice.
- (3) If the said owner fails to comply with the notice within the time specified or does repair which in the opinion of the Canal Officer are unsatisfactory the Canal Officer may carry out the necessary repairs and recover the cost from the said owner.
- (4) From any order of the Canal Officer under this section an appeal shall lie within thirty days from the date of communication of the order to the Divisional Canal Officer, whose decision thereon shall be final.

97. Use of explosives in the vicinity of irrigation work prohibited

No person shall conduct mining or quarrying operation requiring the use of explosives within such distance as may be prescribed from the boundaries of an irrigation work, without the written permission of the Canal Officer.

98. Excavation of wells near irrigation work

Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-section (4) of section 12 no well exclusively for domestic use, either on personal or community basis shall be excavated within such distance as may be specified by the State Government from time to time, from the boundaries of an irrigation work without the previous sanction of the authority specified by the State Government and subject to such condition as the authority may impose.



99. Permission for fishing

No person shall have the right to fish or ply, any vessel in a reservoir, pond or tank or along a canal or channel maintained or controlled by the Government without the permission in writing of the State Government or of such officer as may he empowered in this behalf by the State Government, and except under such terms and conditions and subject to payment of such fees as may be prescribed.

100. No person entitled to let out water from a canal

No person other than the Canal Officer or any officer duly empowered in this behalf shall let out water from a canal or channel by cutting the bund, constructing a sluice or outlet or any other similar contrivance.

101. Permission for pumping water from irrigation works

- (1) Save as provided in this Act, no person shall abstract water for any purpose by the installation of pump sets or other electrical or mechanical devices for pumping water from an irrigation work except with the permission of the Divisional Canal Officer within whose jurisdiction such pump sets or other devices for abstraction of water are installed and subject to such terms and conditions and subject to the payment of such fees, as may be prescribed.
- (2) If any person abstracts water from an irrigation work in violation of sub-section (1), the Di visional Canal Officer or any person authorised by him in that behalf shall have the power to enter any property, place or premises in which any construction is made or any pump set or other electrical or mechanical device is installed for the abstraction of the water and remove or cause to be removed such construction or pump set or other device.
- (3) This type of action shall be treated as theft, the pump set shall be seized and criminal case shall be instituted against the person involved.

102. Prohibition of deposit produce of mines or earth near any irrigation channel

No person shall deposit any produce of mines or earth or any other material in or near any channel or field drain or other work, whether natural or artificial through which rain or other water flows into any irrigation work.

103. No person shall pollute water of irrigation work

(1) No person shall pollute, or discharge sewage effluent or trade effluent in the water of any irrigation work which may cause injury to the irrigation work or may deteriorate the quality of water of the irrigation



work or may give rise to the growth of any weeds in the irrigation work.

(2) The provisions of the Water Prevention and Control of Pollution Act, 1974 will apply with regard to matters in sub-section(1).



CHAPTER XVI: JURISDICTION

104. Settlement of disputes as to mutual rights and liabilities of person interested in village channel

- (1) Whenever a dispute arises between two or more persons in regard to their mutual rights or liabilities in respect of the use, construction or maintenance of a village channel, any such person interested may apply in writing to the Canal Officer stating the matter in dispute.
- (2) Such Officer shall thereupon give notice to the other persons interested that on a day to be named in such notice, he will proceed to inquire into the said matter and after such enquiry he may pass his order thereon, or may transfer the matter to the Divisional Canal Officer who shall thereupon inquire into and pass his order on the said matter.

105. Dispute as to share and payments

Whenever any dispute arises among J0111t owners of a village channel as to their shares of expense or as to the amounts severally contributed, or as to failure on the part of any owner to contribute his share, the matter may be decided after inquiry by the Canal Officer or Divisional Canal Officer.

106. Revision by the Superintending Engineer

The Superintending Engineer, within whose jurisdiction the village channel is situated, may on his own motion or on an application made in this behalf by an aggrieved person, revise an order passed by a Divisional Canal Officer.

Provided that no such application shall lie unless it is made within a period of thirty days from the date of such order.



CHAPTER XVII: MISCELLANEOUS

107. State Government or its Officers not liable for loss or damage

No suit shall lie against the State Government or any servant of the Government serving in connection with the affairs of the State in respect of:-

- (a) any loss caused by the failure or stoppage of water in any irrigation work or the failure or partial failure of any drainage or other work, or
- (b) any loss or damage caused by the overflow of water from any such work or resulting directly or indirectly from any such work.

108. Claim for compensation to include claim for every loss

Every claim for compensation for any loss resulting from an act done or purported to be done under any of the provisions of this Act shall include the whole of the claim for compensation in respect of every loss which the person making the claim has sustained or is likely to sustain as a result of such act, and where any person omits to claim compensation or intentionally relinquishes any claim to compensation in respect of any such loss, he shall not afterwards be entitled to claim any compensation in respect thereof.

109. Power to be cumulative

The powers conferred by the Act are in addition to, and not in derogation of, any powers which would be exercisable by the State Government or any officer of the Government apart from this Act.

110. Mode of publishing proclamation and issuing notice

Every proclamation and general notice by this Act required to be issued or given shall be published by affixing a copy of the same in the office of every Collector, Sub-divisional Officer and Munsif within whose jurisdiction, and at every police- station within the limits of which any lands affected by such proclamation or notice are known by the Collector to be situated; and by affixing copies of the same in conspicuous positions in such hats, bazars, towns, villages or other public places as the Collector may direct and also by giving notice by beat of drum at such public places that such copies have been affixed and that one copy of the papers containing the information which is the subject of such proclamation or general notice is open to inspection by all concerned at the office of the Collector.

111. Service of notices

Every notice or order by this Act required to be served shall be served -

(1) by delivering a copy of the same to the person to whom it is directed, or, on failure of such service, by posting a copy on some conspicuous



part of the house in which the said person resides, or by delivering a copy to any agent authorised to appear generally for the person to whom such notice or order is directed; or

- (2) by sending a registered letter containing a copy of such notice or order directed to the said person at his usual place of abode, or at the place where he may be known to' reside; or
- (3) by posting a copy of the notice or order at the Panchayat Office, if no such Panchayat office be found, on some conspicuous place of the said village.

112. Disposal of lands no longer required for any irrigation work

- (1) whenever the retention of any land appropriated to the purpose of any irrigation work, may no longer be required, and the permanent relinquishment of the same may be deemed expedient, such land shall be restored by the Collector to the owner from which such land was originally taken on return of the compensation amount, if any, which was paid for such land when the same was taken for the purpose of the irrigation work.
- (2) If persons who are entitled to the restoration of any land under this section or any of them, refuse or neglect to pay such price within a reasonable time after demand, the land shall be sold by the Collector as a revenue free holding for such price as he can obtain for the same.
- (3) All sums obtained for lands conveyed under the provisions of this section shall, after the payment of all expenses incurred on account of the same, be applied to the payment of the cost of any new irrigation works, or of the expenses of maintaining any irrigation works affecting the said lands and other adjacent lands, in reduction of the amount chargeable upon the beneficiaries of the land benefited, as herein before provided, if any amount be so chargeable.

113. Government to provide means of crossing canals and drainage

Suitable means of crossing canals constructed or maintained at the cost of Government shall be provided at such places as the State Government thinks necessary for the reasonable convenience of the inhabitants of the adjacent lands and suitable bridges, culverts or other works shall be constructed to prevent drainage of the adjacent lands being obstructed by any canal.



114. Recovery of dues

Every sum declared to be due under this Act shall be recoverable on behalf of the State Government by such officer who may be authorised in this behalf.

115. Power to make rules

- (1) The State Government may by notification in Official Gazette make rules to carry out the purposes of this act or for matters connected therewith or which are required to be prescribed by rules under provisions of this act.
- (2) No such rules shall be made by the State Government until a draft of the same shall be published in the Official Gazette for one month.

116. Repeal and saving

- (1) On the commencement of this Act, the following, namely:-
 - (i) the Bengal Canal Act, 1864 (V of 1864)
 - (ii) the Bengal Embankment Act, 1873 (VI of 1873)
 - (iii) the Bengal Irrigation Act, 1876 (III of 1876)
 - (iv) the Bengal Drainage Act, 1880 (VI of 1880)
 - (v) the Bengal Embankment Act, 1882 (II of 1882)
 - (vi) the Bihar Private Irrigation Works Act, 1922 (V of 1922)
 - (vii) the Bihar Public Irrigation and Drainage works Act, 1947 (X of 1947)
 - (viii) the Bihar Lift Irrigation Act, 1956 (XVI of 1956)
 - (ix) the Bihar Irrigation Field Channel Act, 1965 (XVII of 1965) are hereby repealed,
- (2) Provided that such repeal shall not affect -
 - (a) anything duly done or action taken under the repealed Acts.
 - (b) any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed, or
 - (c) any -penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any Jaw so repealed, or
 - (d) any investigation, proceeding, legal proceeding or remedy in respect of any right, privilege, obligation liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, proceeding, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment that may be imposed as if this Act has not been passed.
- (3) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Act shall be deemed to be have been done or taken in exercise of the powers



conferred by or under this Act, as if this Act was enforced on the day on which such thing or action was done or taken.

> By the order of Governor Sd-(Rajendra Prasad) Secretary to the Government

